Hkkx & ,d
lkekU;

1-1 e/; izn'k dk ou & ,d nf"V esa

1-1-1 lkekU; tkudkjh

मध्य प्रदेश देश का सर्वाधिक वनक्षेत्र वाला राज्य है। भारत की कुछ महत्वपूर्ण नदियों के उद्गम स्थल प्रदेश में स्थित हैं। प्रदेश के वनों में प्रचुर जैव विविधता पाई जाती है। मण्डला, डिंडोरी, शहडोल, छिंदवाड़ा, बैतूल, होशंगाबाद, बालाघाट के वनों में जहां साल और सागौन वृक्ष प्रजातियां हैं, वहीं चम्बल क्षेत्र में झाड़ीदार वन हैं। मध्य प्रदेश का सम्पूर्ण वन क्षेत्र कार्य आयोजना के अंतर्गत लिया गया है। वनवासियों के आवास स्थल मध्य प्रदेश के इन्हीं वनों में अथवा वनों के आसपास हैं। वनवासियों की आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था वनों से जुड़ी होने के कारण वन उनके जीवन पर सीधा प्रभाव डालते हैं।

प्रदेश के वन क्षेत्रों के प्रबंधन में व्यवसायिक दृष्टि के साथ ही जनकल्याण भावना भी मुख्य प्रेरक बिन्दु है। प्रदेश की वन नीति में इन्हीं प्राथमिकताओं का समावेश कर वानिकी गतिविधियों का संचालन किया जा रहा है। प्रदेश की घरेलू तथा औद्योगिक वनोपज की आवश्यकताएं पूर्ण करने के साथ ही वन क्षेत्र की सीमा से लगे क्षेत्रों में रहने वाले ग्रामीणों को आजीविका के नये संसाधन उपलब्ध कराने का विभाग द्वारा प्रयास किया जा रहा है, ताकि वनों पर जैविक दबाव को कम किया जा सके।

1-1-2 foHkkx dk nkf;Ro

विभाग का दायित्व वनों का वैज्ञानिक दृष्टि से प्रबंधन करना है, ताकि वनों की संवहनीयता बनाए रखते हुए उनका संरक्षण व संवर्धन किया जा सके, स्थानीय लोगों को उनकी आवश्यकता के वन उत्पाद यथासंभव प्राप्त हो सकें, तथा वन आधारित उद्योगों को कच्चे माल की पूर्ति की जा सके। इन दायित्वों के निर्वहन के लिए विभाग की निम्न प्राथमिकताएं निर्धारित की गई हैं –

1. वन एवं वन्य प्राणियों का संरक्षण।
2. वन क्षेत्रों में जैव विविधता संरक्षण।
3. वनों का विकास तथा बिगड़े वनों का सुधार करते हुए उत्पादकता बढ़ाना।
4. वनेत्तर भूमि पर वृक्षारोपण को बढ़ावा देना।
5. वैज्ञानिक विधि से वनों का समयबद्ध विदोहन कर वनोपज को समय से बाजार में उपलब्ध कराने की व्यवस्था करना।
6. निस्तार प्रदाय की व्यवस्था करना।
7. भूमि स्वामी क्षेत्र पर उपलब्ध वनोपज के विदोहन एवं निवर्तन हेतु लाभकारी प्रणाली स्थापित करना।
8. वनोपज के निवर्तन से राजस्व अर्जन करना।
9. उपरोक्त समस्त दायित्यों को पूर्ण करने हेतु वनों की सुरक्षा एवं प्रबंधन में जन भागीदारी सुनिश्चित करना।
10. वन प्रबंधन में सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करना।
11. ईको पर्यटन को बढ़ावा देते हुए वनों के बारे में आम जनता में जागरूकता का विकास करना।

1-1-3 egRoi.k lkf[;dh

1-1-3-1 ouk dk {k=Qy

मध्य प्रदेश के वनों के क्षेत्रफल, राजस्व आदि से संबंधित महत्वपूर्ण आंकड़े निम्न तालिकाओं में दर्शित हैं।

rkfydk 1-1 % n'k dh rqyuk e e/; in'k d ou

	Hkkxkfyd {k= र्विर्ग कि.मी.क्र	ou{k= र्विर्ग कि.मी.क्र	ifr'kr ou{k=	ifr 0;fDr ou{k= र्हिक्टेयरक्र
Hkkjr	32,87,263	7,69,512	23.41	0.29
e/; in'k	3,08,245	94,689	30.72	0.51

rkfydk 1-2 % in'k d ou{k=k dh o/kkfud fLFkfr

oxhdj.k	{k=Qy र्विर्ग कि.मी.क्र	ifr'kr
आरक्षित वन	61,886	65.36
संरक्षित वन	31,098	32.84
अन्य	1,705	1.80
;kx	94]689	100-00

rkfydk 1-3 % in'k d ouk dk ?kuRo&okj {k=Qy

oxhdj.k	{k=Qy र्विर्ग कि.मी.क्र	ifr'kr
अति सघन वन	6,640	7
सघन वन	34,986	36
विरल वन	36,074	39
कुल वनाच्छादित क्षेत्र	77,700	82
खुला क्षेत्र[1]	16,989	18
;kx	94]689	100

1 – ऐसे क्षेत्र, जिनका घनत्व 0.1 से कम है। इसका उल्लेख स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट में नहीं है।

र्स्रोतः स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2011क्र

rkfydk 1-4 % in'k d ouk d idkj vkj {k=Qy

lajpuk	{k=Qy र्विर्ग कि.मी.क्र	ifr'kr
सागौन	18,332	19.36
साल	3,932	4.15
बांस	434	0.45
मिश्रित वन	21,595	22.80
अन्य एवं रिक्त	50,396	53.24
;kx	94]689	100-00

1-1-3-2 ou xkeks dh l[;k

मध्य प्रदेश में कुल वन ग्रामों की संख्या 925 है, जिसमें से 15 वीरान एवं 17 विस्थापित हैं। इस प्रकार वर्तमान में 893 वन ग्राम हैं, जिनमें से 827 क्षेत्रीय वन मंडलों में, 27 राष्टीय उद्यानों में और 39 अभ्यारण्यों में स्थित हैं।

1-1-3-3 oukit dk mRiknu

राज्य में मुख्य रूप से सागौन, साल, बांस, खैर तथा अन्य मिश्रित प्रजातियों के वन पाये जाते हैं। कार्य आयोजना के प्रावधानों के अनुसार कूपों से ईमारती लकड़ी, जला{ , बांस व खैर का वन वर्धन के अनुसार विदोहन किया जाता है। साथ ही वनोपज की औद्योगिक व व्यापारिक आवश्यकताओं और वनों के समीप बसे ग्रामीणों की घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आवश्यक व्यवस्था की जाती है। विगत तीन वर्षों में वन क्षेत्रों से काष्ठ एवं बांस उत्पादन के विवरण तालिका 1.6 एवं 1.7 में दर्शित है :–

rkfydk 1-6 % dk"B mRiknu

o"kZ	bekjrh ydMh ¼?k-eh-½	tykÅ pVV ¼ux e½
2009–10	2,58,857	2,11,023
2010–11	2,78,083	2,20,816
2011–12 ग्दिसम्बर 2011 तकक्र	1,83,000	53,000

rkfydk 1-7 % ckal mRiknu

o"kZ	vkS|kfxd ckal ¼uks- Vu½	O;kikfjd ckal ¼uks- Vu½	;ksx ¼uks- Vu½
2009–10	49,252	29,255	78507
2010–11	42,464	21,713	64,177
2011–12 ग्दिसम्बर 2011 तकक्र	1,177	1,348	2,525

[1 नो. टन = 2400 रनिंग मीटर]

1-1-3-4 fuLrkj O;oLFkk

राज्य शासन की वर्तमान निस्तार नीति 01 जुलाई 1996 से लागू है। इस नीति में निस्तार सुविधा की पात्रता वनों की सीमा से 05 कि.मी. की परिधि में बसे परिवारों को ही दी गई है, जिन्हें घरेलू उपयोग के लिए बांस, छोटी इमारती लकड़ी बिल्लीक्र हल–बक्खर बनाने की लकड़ी तथा जला{ लकड़ी रियायती दरों पर दी जाती है। इन वनोपजों की पूर्ति के लिए राज्य में 1896 निस्तार डिपो संचालित हैं। इसके साथ–साथ स्वयं के उपयोग के लिये अथवा बि ी के लिए वनों से सिरबोझ द्वारा गिरी–पड़ी, मरी, सूखी जला{ लकड़ी लाने की सुविधा भी पूर्व अनुसार दी जा रही है। राज्य में 24,058 बसोड़ परिवार पंजीकृत हैं, जिन्हें रायल्टी मुक्त दर पर बांस उपलब्ध कराया जाता है। बांस का उत्पादन सीमित जिलों में होता है एवं उसकी मांग पूरे राज्य में रहती है। ऐसे बैगा आदिवासियों, जो कि बांस का सामान बनाकर जीविकोपार्जन करते हैं, को भी निस्तारी दरों पर बांस उपलब्ध कराने का निर्णय मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग के पत्र दिनांक 9.9.2009 द्वारा लिया गया है।

प्रदेश में निस्तार व्यवस्था के तहत विगत 3 वर्षो में प्रदाय वनोपज का विवरण तालिका 1.8 में दी गई है।

rkfydk 1-8 % fuLrkj iznk;

o"kZ	inkFkZ ek=k	foØ; ewY; ¼yk[k :i, esa½	Ckktkj ewY; ¼yk[k :i, esa½	nh xbZ fj;k;r ¼yk[k :i, esa½
2009	67.21 लाख नग बांस 2.31 लाख नग बल्ली 0.64 लाख जला{ चट्टे	466.81 220.02 171.17	1162.32 340.44 402.61	1047.35
2010	59.69 लाख नग बांस 1.91 लाख नग बल्ली 0.83 लाख जला{ चट्टे	436.80 184.29 213.16	1038.41 381.36 729.92	1315.44
2011	55.17 लाख नग बांस 01.73 लाख नग बल्ली 00.81 लाख जला{ चट्टे	462.88 178.57 308.15	954.46 283.08 848.27	114.22

1-1-3-5 ouksa ls izkIr vk;

विगत वर्षो में राजस्व / प्राप्ति का विवरण तालिका 1.9 में दिया गया है।

rkfydk 1-9

o"kZ	izkIr jktLo किरोड़ रुपयेक्र	iz0 o"kZ dh rqyuk esa of) प्रितिशतक्र
2008–09	685.57	12.7
2009–10	804.18	17.3
2010–11	837.14	4.1
2011–12 दिसम्बर 2011 की स्थिति में क्र	669.14	–

1-2 foHkkxh; lajpuk

वन विभाग की गतिविधियां मुख्यालय स्तर पर विभिन्न शाखाओं के माध्यम से संचालित की जाती हैं। विभाग प्रमुख के रूप में प्रधान मुख्य वन संरक्षक इन शाखाओं के कार्यों पर नियंत्रण रखते हैं तथा दिशानिर्देश देते हैं। प्रधान मुख्य वन संरक्षक के कार्यालय के अतंर्गत अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मुख्य वन संरक्षक, वन संरक्षक तथा उप वन संरक्षक स्तर के अधिकारी विभिन्न शाखाओं के कार्यों का संपादन करते हैं। इनके अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक किार्य आयोजना एवं वन भू–अभिलेख क्रद्वारा प्रदेश के वनों के वैज्ञानिक प्रबंधन हेतु कार्य आयोजना पुनरीक्षण के कार्य का नियंत्रण किया जाता है, एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक विन्य प्राणीक्रव्दारा प्रदेश के राष्टीय उद्यानों व अभ्यारण्यों पर प्रशासकीय नियंत्रण रखा जाता है तथा वैज्ञानिक आधार पर वन्य प्राणी संवर्धन सुनिश्चित किया जाता है।

1-2-1 eq[;ky; Lrj ij dk;Zjr 'kk[kk,¡

- कार्य आयोजना
- वन–भू अभिलेख
- वन्य प्राणी
- प्रशासन – एक
- प्रशासन – दो
- विकास
- संरक्षण
- उत्पादन
- वि ा एवं बजट
- अनुसंधान, विस्तार एवं लोक वानिकी
- सूचना प्रौद्योगिकी
- समन्वय
- सतर्कता एवं शिकायत
- प्रोजेक्ट्स
- भू–प्रबंध
- मानव संसाधन विकास
- संयुक्त वन प्रबंधन एवं वन विकास अभिकरण
- सामुदायिक वन प्रबंधन परियोजना
- नीति विश्लेषण
- विश्व खाद्य कार्य म एवं अजीविका

1-2-2 {k=h; dk;kZy;

वन क्षेत्रों का वैज्ञानिक प्रबंधन और वन संसाधन का संरक्षण व संवर्द्धन क्षेत्रीय स्तर पर गठित प्रशासनिक इकाईयों के माध्यम से किया जाता है, जिसका विवरण निम्नानुसार है –

{k=h; bdkbZ;ksa dk izdkj	la[;k	bdkbZ;k
क्षेत्रीय वन वृ ा	16	बालाघाट, बैतूल, भोपाल, छतरपुर, छिन्दवाड़ा, ग्वालियर, होशंगाबाद, इंदौर, जबलपुर, खंडवा, रीवा, सागर, सिवनी, शहडोल, शिवपुरी एवं उज्जैन।
कार्य आयोजना इकाई	16	बालाघाट, बैतूल, भोपाल, छतरपुर, छिन्दवाड़ा, ग्वालियर, होशंगाबाद, इंदौर, जबलपुर, खंडवा, रीवा, सागर, सिवनी, शहडोल, शिवपुरी एवं उज्जैन।
अनुसंधान एवं विस्तार वृ ा	11	बैतूल, भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, झाबुआ, खंडवा, रतलाम, रीवा, सागर एवं सिवनी।
कार्य आयोजना वृ ा	3	भोपाल, इन्दौर एवं जबलपुर।
राष्टीय उद्यान	10	कान्हा (मंडला/बालाघाट) बांधवगढ़ (उमरिया/कटनी) पेंच (सिवनी) पन्ना, सतपुड़ा (पंचमढ़ी) संजय (सीधी) वन विहार (भोपाल) माधव (शिवपुरी) एवं फॉसिल राष्टीय उद्यान (डिंडौरी) एवं डायनासौर जीवाश्म राष्टीय उद्यान, बाग (धार)
क्षेत्रीय वनमंडल	45 DFO स्तर के 18 CF स्तर के 63	उत्तर बालाघाट, दक्षिण बालाघाट, उत्तर बैतूल, दक्षिण बैतूल, पश्चिम बैतूल, भोपाल, सीहोर, रायसेन, विदिशा, राजगढ़, ओबेदुल्लागंज, छतरपुर, उत्तर पन्ना, दक्षिण पन्ना, टीकमगढ़, पूर्व छिंदवाडा, पश्चिम छिंदवाडा, दक्षिण छिंदवाड़ा, ग्वालियर, दतिया, भिण्ड, मुरैना, श्योपुर, होशंगाबाद, हरदा, इंदौर, धार, झाबुआ, जबलपुर, कटनी, पश्चिम मण्डला, पूर्व मण्डला, डिण्डौरी, खण्डवा, बुरहानपुर, खरगौन, बड़वाह, बड़वानी, सेंधवा, रीवा, सतना, सिंगरौली, सीधी, उत्तर सागर, दक्षिण सागर, दमोह, दक्षिण सिवनी, उत्तर सिवनी, नरसिंहपुर, उत्तर शहडोल, दक्षिण शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, शिवपुरी, गुना, अशोक नगर, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, नीमच, देवास, शाजापुर (अलीराजपुर संवर्ग में नही है)
उत्पादन वनमंडल एवं वि य इकाई	9	उत्तर बालाघाट, दक्षिण बालाघाट, बैतूल,रायसेन, छिंदवाड़ा, मण्डला, डिण्डौरी, दक्षिण सिवनी, एवं देवास।
वन विद्यालय/ वन प्रशिक्षण संस्थान	9	वन क्षेत्रपाल महाविद्यालय, बालाघाट; वन विद्यालय शिवपुरी, अमरकंटक, बैतूल, गोविंदगढ़ एवं झाबुआ; राजीव गांधी सहभागी वानिकी प्रशिक्षण संस्थान, लखनादौन (सिवनी) इंदिरा गांधी वन प्रशिक्षण शाला, पचमढ़ी; जैव विविधता प्रशिक्षण केन्द्र, ताला (उमरिया)

1-3 i:'kklfud fo"k;

1-3-1 ou foHkkx dh uohu lajpuk

मध्यप्रदेश शासन द्वारा 3.4.2008 को जारी आदेश अनुसार विभाग की संरचना निम्नानुसार है।

in	l[;k
1. वनरक्षक	13,997
2. वनपाल	4,184
3. उप वन क्षेत्रपाल	1,257
4. वन क्षेत्रपाल	1,192
5. सहायक वन संरक्षक	358
6. लिपिकीय	2,829
7. चतुर्थ श्रेणी	1,165
8. विविध अन्य	731
9. विविध राजपत्रित	24
dy	25]737

1-3-2 lh/kh Hkjrh

विभिन्न क्षेत्रीय पदों पर सीधी भरती के संबंध में विवरण निम्नानुसार है –

1-3-2-1 ou j{kd

- वर्ष 2008 में वनरक्षकों के सीधी भर्ती से 2241 पदों पर सीधी भर्ती से एवं 1245 पदों को दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों से भरा गया।
- वर्ष 2008 की प्रतीक्षा सूची से दैनिक वेतन भोगी से वनरक्षक के पद पर वर्ष 2010–2011 में 300 पदों की भर्ती की गई ।
- वर्ष 2011 में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों से वनरक्षक के पद पर 121 की भर्ती की कार्यवाही संपन्न की गई।
- वनरक्षकों को 31.12.10 की स्थिति में रिक्त पदों के विरुद्ध व्यापम के माध्यम से 1384 पदों की सीधी भर्ती की कार्यवाही प्रचलित है।

1-3-2-2 ou {k=iky

- वन क्षेत्रपालों के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती की प्र ि या वर्ष 2008 में पुनः प्रारंभ की गई है। प्रथमतः 172 पदों हेतु मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा 171 उम्मीदवारों की चयन सूची विभाग को उपलब्ध कराने पर चयनित उम्मीदवारों द्वारा विभिन्न वनक्षेत्रपाल महाविद्यालयों में प्रशिक्षण उपरांत 161 वनक्षेत्रपाल विभाग मे उपस्थित हो चुके है एवं फील्ड प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे है। शेष 5 वनक्षेत्रपाल वर्ष 2012 में प्रशिक्षण उपरांत विभाग में उपस्थित होगे तथा शेष 5 उम्मीदवारों का चयन अन्य सेवाओं में हो जाने या मृत्यु हो जाने के कारण वनक्षेत्रपाल पद पर उपस्थित नही हो सकेगे।
- शासन द्वारा आगामी 5 वर्षो में 241 सीधी भर्ती के पदों को भरे जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। जिसमें से 93 पदों की पूर्ति हेतु म0प्र0 लोक सेवा आयोग द्वारा वर्ष 2010 में परीक्षा आयोजित की गई। लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित उम्मीदवार भारत के विभिन्न वनक्षेत्रपाल महाविद्यालयों में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे है। वर्ष 2011 में 48 पदों की पूर्ति हेतु लोक सेवा आयोग द्वारा परीक्षा आयोजित की जा चुकी है।

1-3-3 inkUufr

rkfydk 1-11

विभाग के अंतर्गत वर्ष 2010 –11 में पदवार किये गये पदोन्नतियों का विवरण निम्न तालिका में दर्शित है।

in	inkUufr;k dh l[;k
वनरक्षक से वनपाल	669
वनपाल से उपवनक्षेत्रपाल	294
उपवनक्षेत्रपाल से वनक्षेत्रपाल	138
लेखा अधीक्षक से अधीक्षक	13
सहायक ग्रेड–1 से लेखा अधीक्षक	18
लेखापाल से सहायक ग्रेड–1	36
सहा.ग्रेड–2 से लेखापाल	07
सहा.ग्रेड–3 से सहायक ग्रेड–2	01
स्टेनो टायपिस्ट से शीघ्रलेखक	01
शीघ्रलेखक से निज सहायक	07
भृत्य से सहा.ग्रेड–3	05
भृत्य से दफतरी /जमादार	32
योग	1221

1-3-4 jkT; ou lok

राज्य वन सेवा के लिए लोक सेवा आयोग के माध्यम से चयन प्रक्रिया पूर्ण करने के उपरांत शासन द्वारा सहायक वन संरक्षकों के 21 पदों पर वर्ष 2011 में नियुक्ति की गई, जिसमें 5 महिलाएं सम्मिलित हैं, वर्ष 2011 में 12 पदों को भरे जाने हेतु मांग पत्र राज्य शासन द्वारा लोक सेवा को प्रेषित किया गया है। भर्ती की प्रि या लोक सेवा आयोग स्तर पर प्रचलित है। आगामी वर्ष 2012 में 12 तथा वर्ष 2013 में 11 कुल 23 पद लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भरती से भरे जाएंगे।

1-3-5 Hkkjrh; ou lok

भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय किार्मिक और प्रशिक्षण विभागक्र की अधिसूचना दिनांक 26 अगस्त 2008 द्वारा मध्यप्रदेश संवर्ग के भारतीय वन सेवा अधिकारियों का संवर्ग पुनरीक्षण किया गया है, जो तालिका 1.12 में दर्शित है।

rkfydk 1-12

in	l[;k
प्रधान मुख्य वन संरक्षक	3
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक	10
मुख्य वन संरक्षक	68
वन संरक्षक	34
उप वन संरक्षक	65
dy ofj"B in	180
केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व	36
राज्य प्रतिनियुक्ति रिजर्व	45
प्रशिक्षण रिजर्व	6
छुट्टी रिजर्व तथा कनिष्ठ पद रिजर्व	29

d|y ikf/kd'r l[;k	296
पदोन्नति से भरे जाने वाले पद	89
सीधी भरती से भरे जाने वाले पद	207
;kx	296

1-4 fo/kkulHkk i'u ,o vk'oklu

विगत तीन वर्षों में प्राप्त विधान सभा प्रश्नों तथा विभिन्न प्रश्नों पर निर्मित आश्वासनों की जानकारी तालिका 1.13 एवं 1.14 में दी गई है।

rkfydk 1-13

वर्ष	प्राप्त प्रश्नों की संख्या	लंबित प्रश्नों की संख्या
2009	416	निरंक
2010	494	निरंक
2011	509	निरंक

rkfydk 1-14

वर्ष	प्राप्त आश्वासनों की संख्या	लंबित आश्वासनों की संख्या
2009	42	05
2010	19	03
2011	35	35

&&&&&&&

1-5 foHkkx d: vrxr vkuoky: fuxe] miØe o lLFkkvk dk fooj.k

मध्य प्रदेश वन विभाग के अन्तर्गत निम्नलिखित चार उप म कार्यरत हैं –

1-5-1 e/;in'k jkT; ou fodkl fuxe

राष्टीय कृषि आयोग की अंतरिम रिपोर्ट, 'प्रोडक्शन फॉरेस्टीः मैन–मेड फारेस्ट्स' 1972 के आधार पर मध्यप्रदेश राज्य वन विकास निगम की स्थापना 24 जुलाई 1975 को की गई थी। निगम की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य निम्न कोटि के वन क्षेत्रों को तेजी से बढ़ने वाली बहुमूल्य तथा बहुउपयोगी प्रजातियों के रोपण द्वारा उच्च कोटि के वनों में परिवर्तित कर उत्पादन क्षमता में सुधार लाना है। निगम से संबंधित विवरण ifjf'k"V ,d में दिया गया है।

1-5-2 e/;in'k jkT; y?kq oukit ¼O;kikj ,o fodkl½ lgdkjh l?k

मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ का गठन 1984 में लघु वनोपजों के संग्रहण और व्यापार हेतु किया गया था। 1989 में इस व्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ और प्रदेश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य कमजोर वर्ग के ग्रामीणों के समाजिक–आर्थिक उत्थान हेतु वनोपज के संग्रहण तथा विपणन का कार्य सहकारी समितियों के माध्यम से किये जाने का निर्णय लिया गया। लघु वनोपज संघ से संबंधित विस्तृत आलेख ifjf'k"V nks में संलग्न है।

1-5-3 jkT; ou vuql/kku lLFkku] tcyiqj

राज्य वन अनुसंघान संस्थान, जबलपुर वर्ष 1963 में अस्तित्व में आया। राज्य शासन के 29 अक्टूबर 1994 को जारी आदेश द्वारा इसे स्वायत्तशासी संस्थान घोषित किया गया। यह संस्थान वन वनस्पति, वनवर्धन, वृक्ष सुधार, बीज तकनीकी, जैव विविधता, वन अनुवांशिकी, जैव प्रौद्योगिकी, वनोपज विपणन, वन विस्तार, वन मापिकी, पर्यावरणीय प्रभाव आदि विषयों में शोध एवं तकनीक विकसित कर उनके प्रचार प्रसार का कार्य करता है। संस्थान की गतिविधियों का विवरण ifjf'k"V rhu में सम्मिलित है।

1-5-4- e/;in'k bdksi;Vu fodkl cksMZ

मध्यप्रदेश के प्राकृतिक सौन्दर्य से परिपूर्ण क्षेत्रों में पर्यटन को विकसित करने के लिये मध्य प्रदेश ईकोपर्यटन विकास बोर्ड का गठन 12 जुलाई 2005 को किया गया। यह देश का पहला ईकोपर्यटन विकास बोर्ड है। बोर्ड का उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों में अभिरूचि जागृत करने के साथ–साथ उनके संरक्षण के प्रति भी जागरूकता लाना, ईकोपर्यटन गंतव्य स्थलों पर अधोसंरचना विकास करना और इन गतिविधियों के माध्यम से स्थानीय समुदायों को रोजगार उपलब्ध कराना है। बोर्ड से संबंधित आलेख ifjf'k"V pkj में दिया गया है।

– – – – –

Hkkx &nks

foRrh; iko/kku

2-1 ctV fogxkoykdu

rkfydk 2-1

jkT; ;kstuk;s ¼jkf'k yk[k #0 e½

Ø-	;kstuk dk uke	foRrh; o"kZ					
		2009&2010		2010&2011		2011&2012	
		iko/kku	O;;	iko/kku	O;;	iko/kku	O;; ekg fnl0 2011dh fLFkfr es
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	भूमि एवं जल संरक्षण	56.00	55.89	100.00	98.10	0.00	0.00
2	प्रशासन सुदृढ़ीकरण	300.00	253.34	518.75	500.60	889.00	676.45
3	पर्यावरण वानिकी	600.00	595.60	752.25	707.63	815.40	634.39
4	कार्य आयोजनाओं का ि यान्वयन	16544.17	15993.92	19034.00	18524.14	21994.67	16663.77
5	वन विकास उपकर निधि से व्यय	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00
6	वन प्रशिक्षण केन्द्रों का संचालन	60.00	58.92	100.00	91.20	100.00	66.86
7	कर्मचारी कल्याण योजना	50.00	46.72	100.00	99.89	100.00	81.27
8	लोक वानिकी एवं रोपणियों में पौधा तैयारी कार्य	968.90	925.75	1470.00	1458.42	1800.00	1193.92
9	संडक, भवन एवं चौकी निर्माण कार्य	1900.00	1845.54	1095.00	1237.72	2600.00	1712.70
10	संरक्षित क्षेत्रों से ग्रामों का पुनर्वास एवं संरक्षित क्षेत्रों में अधिकारों के अर्जन हेतु मुआवजा	100.00	0.00	100.00	0.00	150.00	60.00
11	संरक्षित क्षेत्रों में स्थित ग्रामों के लिये ईको विकास योजना	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	अध्ययन एवं अनुसंधान	68.40	68.40	70.00	69.97	80.00	66.41
13	वनों के अनुरक्षण हेतु केन्द्रीय अनुदान	2586.19	2424.19	0.00	0.00	0.00	0.00
14	जापान सोशल डेवलमेंट फण्ड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	ओंकारेश्वर निधि से व्यय	200.00	197.55	500.00	498.27	500.00	415.36
16	ईको टूरिज्म बोर्ड को अनुदान	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
17	संरक्षित क्षेत्र के बाहर वन्यप्राणी प्रबंधन	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	178.41
18	बुन्देलखण्ड पैकेज	0.00	0.00	5791.48	5791.48	4863.00	2572.40
19	वृक्षारोपण योजना	500.00	484.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20	टाईगर कन्जवेसन सेल की स्थापना	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	गोविन्दगढ़/मुकुंदपुर चिड़ियाघर, रेस्क्यू सेंटर की स्थापना	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27	0.00
22	वन्यप्राणी द्वारा फसल हानि का मुआवजा	50.00	9.41	184.80	21.31	200.00	18.26
	;ksx&	**24133.76**	**23059.98**	**29916.38**	**29198.73**	**34642.34**	**24440.20**

rkfydk 2-2

dUnz izofrr ;kstuk;sa

¼jkf'k yk[k #i;s esa½

Ø	;kstuk dk uke		o"kZ					
			2009&2010		2010&2011		2011&2012	
			vkoaVu	0;;	vkoaVu	0;;	vkoaVu	0;; ekg fnl0 2011 dh fLFkfr e
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
1	राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्यों का विकास प्रीजेक्ट टाईगर क्र	राज्यांश	963.92	709.12	978.97	907.31	1100.00	328.78
		केन्द्रांश	26189.59	4057.96	23143.95	3844.82	16598.42	572.43
2	केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के माध्यम से वन्य प्राणी विकास	राज्यांश	8.50	7.98	40.00	7.69	40.00	0.00
		केन्द्रांश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्यों का विकास	राज्यांश	40.00	23.21	120.00	20.70	120.00	0.00
		केन्द्रांश	734.67	618.78	774.90	579.50	756.01	0.00
4	गहन वन प्रबंध योजना	राज्यांश	467.99	116.58	505.00	300.31	410.00	88.59
		केन्द्रांश	1523.98	349.73	1515.00	900.93	1230.00	265.76
	;kx %&	jkT;k'k	**1480.41**	**856.89**	**1643.97**	**1236.01**	**1670.00**	**417.37**
		dUnzk'k	**28489.96**	**5026.47**	**25433.85**	**5325.25**	**18584.43**	**838.19**
	jkT;k'kh ;kx		**25614.17**	**23916.87**	**31560.35**	**30434.74**	**36312.34**	**24857.57**

2--2 vk;kstukUrj 0;;

आयोजने ार बजट प्रावधान तथा व्यय की स्थिति तालिका 2.4 में दर्शित है।

rkfydk Ø- 2-4

¼jkf'k yk[k :i, e½

en	2008&09		2009&10		2010&11		2011&12 ¼fnlEcj &11 rd½	
	vkcVu	0;;	vkcVu	0;;	vkcVu	0;;	vkcVu	0;;
1. वेतन एवं भत्ते	28711.22	29449.72	39207.84	38547.39	46732.01	45789.94	54242.02	39338.88
2. मजदूरी	4292.70	4958.64	5534.03	5478.97	6444.48	6431.67	6941.68	4349.53
3. कार्यालय व्यय	1831.42	1297.92	1720.96	1341.21	1875.21	1653.07	2077.71	1122.43
4. अनुरक्षण कार्य	151.01	115.06	153.81	132.65	145.19	259.56	170.06	107.40
5. भवनों, सड़कों का रखरखाव	1200.00	1088.37	1400.00	1193.25	1545.00	1495.24	1600.00	983.15
6. इमारती लकड़ी, बांस, खैर	9204.98	8333.77	13329.87	8776.31	11757.75	10168.29	14405.02	6315.81
7. अनुग्रह अनुदान	226.10	295.00	436.60	364.70	526.92	486.99	506.51	378.00
8. गोपनीय सेवा, क्षतिपूर्ति, पुरस्कार	113.96	187.91	418.80	210.89	415.70	287.82	410.01	246.35
9. लाभांश	2000.00	1904.57	3000.00	2334.81	3700.00	3593.39	3700.00	2764.07
10. कर एवं रायल्टी	5812.88	5757.02	5872.53	5808.19	8075.16	7932.77	8400.85	5775.39
11. विज्ञापन, सामग्री, पूर्तियां, अन्य	166.53	160.05	205.09	173.96	567.97	551.99	791.92	250.22
12. भारित मद िडि ी धनक्र	928.00	11.45	1025.00	17.04	42.75	22.01	28.00	17.22
13. वन विकास निधि में अंतरण	0	0	0	0	1000.00	0.00	1200.00	0.00
;kX	**54638.8**	**53559.48**	**72304.53**	**64379.37**	**82828.14**	**78672.74**	**94473.78**	**61648.45**

Hkkx&rhu
;kstuk,a

मध्य प्रदेश वन विभाग में वर्तमान में अथवा गत 3 वर्षो में प्रचलित योजनाओं का विवरण निम्नानुसार है। प्रत्येक योजना हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिये जो आर्थिक उपलब्धियॉ दर्शाई गई हैं वे माह दिसम्बर अंत तक हैं।

3-1 ftyk {k=d ;kstuk,a

3-1-1 dk;Z vk;kstukvksa dk fdz;kUo;u

इस योजना के अंतर्गत वनों के प्रबंध हेतु बनाई गई 10 वर्षीय कार्य आयोजनाओं का क्रियान्वयन किया जाता है। योजना के माध्यम से कम घनत्व वाले वन क्षेत्रों में वनीकरण भी किया जाता है, साथ ही बिगडे वनों के सुधार गतिविधियॉ एवं सघन वनों में पुनरोत्पादन हेतु सहायक वन वर्धनिक कार्य, वन सीमांकन एवं अग्नि सुरक्षा कार्य कराये जाते है। जहां आवश्यक है वहां राशि की उपलब्धता अनुसार भूमि एवं जल संरक्षण किया जाता है। क्षेत्र की तकनीकी उपयुक्तता एवं आवश्यकतानुसार चारागाह एवं जला{ रोपण भी किया जाता है। विगत वर्षो में कराये गये कार्यों हेतु प्राप्त आवंटन तथा उस पर हुये व्यय का विवरण निम्नानुसार हैं:—

क्षेत्रफल हे0 में /राशि लाख रु0 में

o"kZ	y{;		miyfC/k	
	Hkkfrd	vkfFkZd	Hkkfrd	vkfFkZd
2008-2009	308428	16691.76	297823	16141.53
2009-2010	305841	16544.17	300408	15993.92
2010-2011	348240	19034.00	343770	18524.14
2011—2012 (दिसम्बर 2011 तक)	361730	21994.67	361730	16663.77

3-1-2 i;kZoj.k okfudh

यह योजना वर्ष 1983—84 से प्रारंभ की गई है । इस योजना के अंतर्गत शहरी क्षेत्र, पर्यटन क्षेत्र आदि में रोपण/वन महोत्सव का कार्य किया जाता है। इससे छोटे— छोटे शहरी पार्क, सड़क किनारे एवं अन्य सामुदायिक क्षेत्र में वृक्षारोपण कर शहरों में हरियाली लाने का कार्य किया जाता है। विगत वर्षो में प्राप्त आर्थिक आवंटन एवं व्यय का विवरण निम्नानुसार हैं:—

¼jkf'k yk[k #0 esa½

o"kZ	y{;	miyfC/k
	vkfFkZd	vkfFkZd
2008-2009	600.00	598.31
2009-2010	600.00	595.60
2010-2011	752.25	707.63
2011—2012 (दिसम्बर 2011 तक)	815.40	634.39

3-2 jkT; {k=d ;kstuk,¡

3-2-1 lM+d] Hkou ,oa pkSdh fuekZ.k

इस योजना के अंतर्गत मुख्यतः वन विभाग के कार्यालय भवन, वन कर्मचारियो के आवास, सामूहिक गश्ती दल के लिये चौकी, चौकी पर रहने वाले कर्मचारियों के परिवारों को आवास हेतु लाईन क्वॉटर तथा नयी सड़कों एवं पुल, पुलिया का निर्माण कराया जाता है। सुदूर वन क्षेत्रों में स्थित कर्मचारियों के मुख्यालय में कार्य संचालन की सुविधा हेतु यह सुरक्षा चौकियां अत्यन्त उपयोगी हैं। कभी–कभी जप्त वनोपज एवं वन अपराधियों को भी वन कर्मचारियों की निगरानी में रखना पड़ता है। ऐसे कार्यो के लिये इन चौकियों का उपयोग किया जाता है। उड़न दस्ता अथवा ऐसे सुरक्षा दल जो समय–समय पर वनों में गश्त इत्यादि के लिये जाते हैं, उन्हें भी विश्राम की सुविधा इन चौकियों में उपलब्ध करायी जाती है। विभिन्न वर्षो में प्राप्त आवंटन एवं उसके विरूद्व हुये व्यय की जानकारी इस प्रकार हैः–

(jkf'k yk[k #0 esa)

o"kZ	y{;		miyfC/k	
	Hkkfrd	vkfFkZd	Hkkfrd	vkfFkZd
2008-2009	370 भवन, 38 चौकी 16 लाईन क्वॉटर	2463.00	362 भवन, 38 चौकी 16 लाईन क्वॉटर	2342.29
2009-2010	350 भवन, 5 वन विश्राम गृह, 16 लाईन क्वॉटर का निर्माण एवं 160 आंशिक भवन निर्माण	1900.00	350 भवन पूर्ण, 160 आंशिक भवन, 5 वन विश्राम गृह, 16 लाईन क्वॉटर	1845.54
2010-2011	160 आंशिक भवन निर्माण पूर्ण करना एवं 277 आंशिक भवन निर्माण प्रारंभ	1095.00	160 आंशिक भवन निर्माण पूर्ण किये एवं 277 आंशिक भवन निर्माण किये	1237.72
2011–2012 (दिसम्बर 2011 तक)	277 आंशिक भवन पूर्ण करना तथा 388 भवन, 10 चौकी 8 लाईन क्वॉटर	2600.00	277 आंशिक भवन पूर्ण तथा 388 भवन, 10 चौकी 8 लाईन क्वॉटर प्रगति पर	1712.70

3-2-2 yksd okfudh ,oa jksi.k;ksa esa ikS/kk rS;kjh

इस योजना के अन्तर्गत मुख्यतः विभागीय एवं निजी आवश्यकताओं हेतु पौधा तैयारी का कार्य कराया जाता है। इसके अतिरिक्त निजी अथवा राजस्व भूमि पर आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रजातियों के वृक्षारोपण के लिये क्षमता विकास किया जाता है। लोक वानिकी योजना प्रदेश में व्यापक रूप से निजी पूंजी निवेश द्वारा लागू की जा रही हैं जिसका वैज्ञानिक ि यान्वयन एक प्रबंध योजना के अनुसार किया जाता है। इस योजना में मानव संसाधन विकास हेतु नीति विषयक राज्य स्तरीय कार्यशालायें, वृत्त तथा वनमण्डल स्तरीय किसान सम्मेलन, प्रबंध योजनाओं के ि यान्वयन तथा मानिटरिंग संबंधी प्रशिक्षण, पंचायत प्रतिनिधियों एवं संस्थाओं के लिये प्रशिक्षण–सह–अध्ययन प्रवास, स्थानीय व अन्तर्राज्यीय अध्ययन प्रवास, औषधीय पौधों की खेती हेतु प्रशिक्षण संबंधी कार्य लिये जाते हैं। योजना को सरल एवं लोकप्रिय बनाने के लिये प्रदेश में केन्द्र शासन की सहमति से नियम एवं कानून भी पारित किये

जा रहे हैं ताकि सामान्य जनता द्वारा इस योजना को वृहद स्तर पर अपनाया जा सके। आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण प्रजातियों के उत्पादन द्वारा प्रदेश के काष्ठ पर निर्भर उद्योगों को कच्चे माल का प्रदाय भी इस योजना द्वारा सुनिश्चित किया जा सकेगा।

f`jkf'k yk[k #0 e½

o"k	y{;	miyfC/k
	vkfFkd	vkfFkd
2008-2009	563.15	555.85
2009-2010	968.90	925.75
2010-2011	1470.00	1458.42
2011–2012 ¼दिसम्बर 2011 तक½	1800.00	1193.92

3-2-3 i:'kklu lqn<hdj.k

प्रशासन सुदृढ़ीकरण की योजना वर्ष 1988–89 में प्रारंभ की गई थी। इस योजना के अंतर्गत वन प्रबंध का सुदृढ़ करने हेतु वन सुरक्षा, संसूचना, आवागमन के साधनों और शस्त्रों का प्रावधान किया जाता है। विभिन्न वर्षो में इस कार्य हेतु प्राप्त आर्थिक लक्ष्य एवं व्यय की जानकारी इस प्रकार हैः–

¼ jkf'k yk[k #0 e½

o"k	y{;	miyfC/k
	vkfFkd	vkfFkd
2008-2009	350.00	315.98
2009-2010	300.00	253.34
2010-2011	518.75	500.60
2011–2012 ¼दिसम्बर 2011 तक½	889.00	676.45

3-2-4 vksdkjs'oj fuf/k l0;;

यह योजना वर्ष 2007–08 में ओंकारेश्वर सिंचाई परियोजना से निर्मित रूपये 25 करोड़ की निधि से प्रारम्भ कर वनमण्डल खण्डवा, खरगौन, बड़वानी, बड़वाह, झाबुआ, देवास, धार, एवं हरदा में संचालित की जा रही है। योजना अन्तर्गत ओंकारेश्वर बांध के जलग्रहण क्षेत्र में आनेवाले वनों में पुनरूत्पादन एवं वृक्षारोपण के कार्य किये जाते है। विगत वर्षो में कराये गये कार्यों हेतु प्राप्त आवंटन तथा उस पर हुये व्यय का विवरण निम्नानुसार हैं:–

f]jkf'k yk[k #0 e½

o"k	y{;		miyfC/k	
	Hkkfrd	vkfFkd	Hkkfrd	vkfFkd
2008-2009	910 हे0 ¼क्षेत्र तैयारी½ 3885 हें0 ¼रोपण½	500.00	910 हे0 ¼क्षेत्र तैयारी½ 3885 हें0 ¼रोपण½	476.34
2009-2010	910 हे0 ¼रोपण½ 3885 हें0 ¼रखरखाव½	200.00	910 हे0 ¼रोपण½ 3885 हें0 ¼रखरखाव½	197.55
2010-2011	लगभग 1000हे0 ¼क्षेत्र तैयारी½ 4795 हें0 ¼रखरखाव½	500.00	लगभग 1000हे0 ¼क्षेत्र तैयारी½ 4795 हें0 ¼रखरखाव½	498.27
2011–2012 ¼दिसम्बर 2011 तक½	लगभग 900हे0 ¼क्षेत्र तैयारी½ 4795 हें0 ¼रखरखाव½	500.00	कार्य सतत् प्रकृति ।	415.36

3-2-5 l jf{kr {k=k d ckgj oU; ik.kh ic/ku

यह योजना वर्ष 2011–12 में प्रारम्भ की गई है। इसके अंतर्गत राष्टीय उद्यानों एवं अभयरण्यों के बाहर स्थित वन क्षेत्रों में वन्यप्राणियों के संरक्षण एवं संर्वधन के उपाय किये जाते हैं। योजना के अंतर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष में किये गये व्यय का विवरण निम्नानुसार है : –

¼ jkf'k yk[k #0 e½

o"k	y{;	miyfC/k
	vkfFkd	vkfFkd
2011–2012 ¼दिसम्बर 2011 तक½	450.00	178.41

3-2-6 deZpkjh dY;k.k ;kstuk

इस योजना के अंतर्गत दूरस्थ वनों में पदस्थ वन कर्मचारियों को मूलभूत सुविधायें उपलब्ध कराई जाती है, जिसके अंतर्गत पीने के पानी, बिजली की व्यवस्था, भवन एवं शौचालय आदि का निर्माण कार्य एवं कर्मचारियों में खेलकूद के प्रोत्साहन इत्यादि कार्य कराया जाता है। विगत वर्षो में इस योजना मे किये गये कार्यों में आवंटन एवं व्यय का विवरण निम्नानुसार हैंः–

¼jkf'k yk[k #0 e½

o"k	y{;	miyfC/k
	vkfFkd	vkfFkd
2008-2009	50.00	47.15
2009-2010	50.00	46.72
2010-2011	100.00	99.89
2011–2012 ¼दिसम्बर 2011 तक½	100.00	81.27

3-2-7 ou izf'k{k.k dsUnzksa dk lapkyu

प्रदेश के 1 रेंजर कालेज, 3 वनपाल एवं 5 वन रक्षक प्रशिक्षण शालाओं में संचालित कार्य म इस योजना से पोषित है। वानिकी के समग्र विकास के लिये समुचित मानव संसाधन विकास इस योजना द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। इन प्रशिक्षण शालाओं में आधुनिक उपकरण का प्रदाय एवं विभिन्न वर्ग के वन कर्मियों तथा वन समितियों के सदस्यों हेतु प्रशिक्षण का आयोजन इसी योजना के अंतर्गत किया जाता है। वनों के तकनीकी प्रबंधन को सुदृढ़ करने हेतु यह एक महत्वपूर्ण योजना है।

f˜jkf'k yk[k #0 e½

o"k	y{;	miyfC/k
	vkfFkd	vkfFkd
2008-2009	60.00	57.67
2009-2010	60.00	58.92
2010-2011	100.00	91.20
2011–2012 ¼दिसम्बर 2011 तक½	100.00	66.86

3-2-8 oU; izkf.k;ksa }kjk Qly {kfr dk eqvkotk

यह योजना वित्तीय वर्ष 2009–10 से प्रारम्भ की गई है। योजना का उद्देश्य वन्यप्राणी धरोहर का संरक्षण करना एवं इसमें स्थानीय लोगों का सहयोग प्राप्त करना है। वन्यप्राणियों

व्दारा किये जा रहे फसल नुकसानी का मुआवजा देने से इस कार्य में ग्रामीणों का सहयोग भी प्राप्त होता है। विगत वर्षो में प्राप्त आवंटन एवं उसके विरूद्व किये गये व्यय की जानकारी इस प्रकार हैः–

¼jkf'k yk[k #0 e½

o"k	y{;	miyfC/k
	vkfFkd	vkfFkd
2009-2010	50.00	9.41
2010-2011	184.80	21.31
2011–12 (दिसम्बर 2011 तक)	200.00	12.08

3-2-9 ljf{kr {k=k l xkek dk iuokl ,o ljf{kr {k=k e vf/kdkjk d vtu gr evkotk

यह योजना वित्तीय वर्ष 2007–08 से प्रारम्भ की गई है। योजना का उद्‌देश्य वन्यप्राणी संरक्षण क्षेत्रों से ऐसे ग्रामों का पुर्नवास करना एवं अधिकारों का अर्जन है जो संबंधित क्षेत्र में वन्यप्राणी प्रबंधन हेतु नितांत आवश्यक है। योजना में मुख्यतः प्रोजेक्ट टाईगर क्षेत्र के अतिरिक्त अन्य वन्यप्राणी संरक्षण क्षेत्रों को सम्मिलित किया जाता है। विगत वर्षो में प्राप्त आवंटन एवं उसके विरूद्व किये गये व्यय की जानकारी इस प्रकार हैः–

¼jkf'k yk[k #0 e½

o"k	y{;	miyfC/k
	vkfFkd	vkfFkd
2008-2009	500.00	496.52
2009-2010	100.00	0.00
2010-2011	100.00	0.00
2011–2012 (दिसम्बर 2011 तक)	150.00	60.00

3-2-10 bdk i;Vu fodkl ckM dk vunku

यह योजना वित्तीय वर्ष 2009–10 से प्रारम्भ की गई है। योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश ईको पर्यटन विकास बोर्ड को चिन्हित क्षेत्रों के पर्यटन की दृष्टि से विकास हेतु अनुदान दिया जाता है, विशेषतौर पर ऐसे क्षेत्रों के लिये जिनका विकास पब्लिक प्राईवेट पार्टनरशिप से किया जाना संभव नहीं है। विगत वर्षो में प्राप्त आवंटन एवं उसके विरूद्व किये गये व्यय की जानकारी इस प्रकार हैः–

¼jkf'k yk[k #0 e½

o"k	y{;	miyfC/k
	vkfFkd	vkfFkd
2009-2010	100.00	100.00
2010-2011	100.00	100.00
2011–2012 (दिसम्बर 2011 तक)	100.00	100.00

3-2-11 v/;;u ,o vuql/kku

योजना का उद्‌देश्य वन विभाग के कार्यो हेतु अनुसंधान की आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। इसमें मुख्यतः राज्य वन अनुसंधान संस्थान, जबलपुर को विशिष्ट अध्ययन एवं

अनुसंधान परियोजनाओं हेतु राशि का प्रदाय किया जाता है। इसके अतिरिक्त अन्य आकस्मिक अध्ययन एवं अनुसंधान कार्यों का सम्पादन हेतु योजना संचालित की जा रही है। है। वर्ष 2008–09 में प्राप्त आवंटन एवं उसके विरूद्ध किये गये व्यय की जानकारी निम्नानुसार हैः–

¼jkf'k yk[k #0 esa½

o"kZ	y{;	miyfC/k
	vkfFkZd	vkfFkZd
2008-2009	40.00	39.35
2009-2010	68.40	68.40
2010-2011	70.00	69.97
2011–2012 (दिसम्बर 2011 तक)	80.00	66.41

3-2-12 xksfoUnx<@eqdqanij fpfM+;k?kj]jsLD;w lsUVj rFkk lQsn 'ksj ituu dsUnz

यह योजना वित्तीय वर्ष 2011–12 के तृतीय त्रैमास में स्वीकृत हुई है। योजना का उद्देश्य गोविन्दगढ़/ मुकुंदपुर में चिड़ियाघर, रेस्क्यू सेंटर एवं सफेद शेर प्रजनन केन्द्र स्थापित करना है। योजना में अभी केवल प्रतीक प्रावधान है। माह दिसम्बर तक पदों की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अभी व्यय निरंक है।

¼jkf'k yk[k #0 esa½

o"kZ	y{;	miyfC/k
	vkfFkZd	vkfFkZd
2011–2012 (दिसम्बर 2011 तक)	0.27	0.00

3-3 vfrfjDr dsUnzh; lgk;rk

3-3-1 cqUnsy[k.M ifj;kstuk

यह योजना बुन्देलखण्ड क्षेत्र के विकास हेतु राज्य योजना आयोग की मांग संख्या 61 के अंतर्गत संचालित है। वर्ष 2009–10 में बुन्देलखण्ड पैकेज भारत सरकार से स्वीकृत हुआ था, किन्तु वन विभाग को वस्तुतः वर्ष 2010–11 से ही राशि प्राप्त हो सकी। योजना में मुख्यतः बुन्देलखण्ड अंचल के वन क्षेत्रों में भूमि एवं जल संरक्षण का कार्य संपादित किया जा रहा है। विगत दो वर्षो में आवंटन एवं व्यय की जानकारी निम्नानुसार है : –

¼ jkf'k yk[k #0 esa ½

o"kZ	y{;	miyfC/k
	vkfFkZd	vkfFkZd
2010-2011	5791.48	5791.48
2011–2012 (दिसम्बर 2011 तक)	4863.00	2572.40

3-4 dsUnz izofrZr ;kstuk,a

3-4-1 izkstsDV Vkbxj

इस योजना अंतर्गत केन्द्र शासन व्दारा प्रोजेक्ट टायगर क्षेत्रों को प्रतिवर्ष केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। मांग संख्या 10 एवं 41 में प्राप्त राशि क्रमशः योजना क्रमांक 1594 एवं 3730 में समायोजित होती है। इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश के प्रोजेक्ट टायगर क्षेत्रों में वन्यप्राणी के रहवास सुधार एवं उनके संरक्षण, अधोसंरचना के सुदृढ़ीकरण का कार्य किया जाता है। इस योजना में आवर्ती कार्यो के लिए 50 प्रतिशत तथा अनावर्ती कार्यो के लिए 100

प्रतिशत धनराशि केन्द्र शासन से प्राप्त होती है। आवर्ती कार्यो हेतु शेष 50 प्रतिशत राशि राज्य शासन को वहन करना पड़ती है। विगत वर्षो में इस योजना में केन्द्रांश सहित स्वीकृति राशि एवं उपलब्धि का विवरण इस प्रकार हैः–

¼jkf'k yk[k #0 esa½

o"kZ	vkfFkZd y{;	vkfFkZd miyfC/k
2008-2009	5999.60	5855.75
2009-2010	27153.51	4767.08
2010-2011	24122.92	4752.13
2011–2012 (दिसम्बर 2011 तक)	17698.42	1512.24

3-4-2 jk"Vªh; m|ku ,oa vH;kj.;ksa dk fodkl

इस योजनान्तर्गत केन्द्र शासन द्वारा सभी राष्टीय उद्यान एवं अभ्यारण्यों को प्रतिवर्ष केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। इस योजना के अन्तर्गत वन्यप्राणियों संरक्षण हेतु अधोसंरचना विकास का कार्य जैसे– जल स्त्रोंतो का विकास, खरपतवार उन्मूलन कार्य, पशु अवरोधक दीवाल/फेंसिग, संचार साधनों का विकास, आवासीय/कार्यालय भवन का निर्माण, जनहानि एवं पशुहानि प्रकरणों मे क्षतिपूर्ति का भुगतान, सड़क निर्माण/उन्नयन, पशु टीकाकरण कार्य, वाहन य, प्रचार प्रसार, सेमीनार/सम्मेलन इत्यादि कार्य कराये जाते है। आवर्ती कार्यो के लिए 50 प्रतिशत एवं अनावर्ती कार्यो के लिए 100 प्रतिशत धनराशि केन्द्र शासन से प्राप्त होती है। आवर्ती कार्यो हेतु शेष 50 प्रतिशत राशि राज्य शासन को वहन करना पड़ती है। विगत वर्षो में इस योजनान्तर्गत स्वीकृत राशि एवं आर्थिक उपलब्धि का विवरण निम्नानुसार हैः–

f¼jkf'k yk[k #0 esa½

o"kZ	vkfFkZd y{;	vkfFkZd miyfC/k
2008-2009	1187.51	854.68
2009-2010	774.67	641.99
2010-2011	894.90	600.20
2011–2012 (दिसम्बर 2011 तक)	876.01	238.92

3-4-3 dsUnzh; fpfM+;k?kj izkf/kdj.k ds ek/;e ls oU; izk.kh fodkl

इस योजना अंतर्गत केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण व्दारा प्रदेश में वन विहार राष्टीय उद्यान हेतु प्रतिवर्ष केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। भारत सरकार की सहायता का अंश बजट के बाहर प्राप्त होता है। केवल राज्यांश हेतु बजट में प्रावधान रहता है। विगत वर्षो में इस योजना में किये गये व्यय का विवरण इस प्रकार हैः–

¼jkf'k yk[k #0 esa½

o"kZ	vkfFkZd y{;	vkfFkZd miyfC/k
2008-2009	38.50	30.99
2009-2010	8.50	7.98
2010-2011	40.00	7.69
2011–2012 (दिसम्बर 2011 तक)	40.00	0.00

ukV:– वर्ष 2010–11 में मार्च की स्थिति में वास्तविक व्यय दिया गया है। वर्ष 2011–12 अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा राशि विमुक्त नही की गई है।

3-4-4 xgu ou izca/k ;kstuk

यह योजना वर्ष 2004–05 से प्रारम्भ हुई है। पूर्व में यह योजना वनों में आधुनिक अग्नि सुरक्षा योजना के नाम से प्रचलित थी। इसके अंतर्गत वनों में अग्नि सुरक्षा कार्य के अतिरिक्त वन सुरक्षा हेतु चौकी एवं लाईन क्वाटर का निर्माण किया जाता है। वन सीमा पर पक्के मुनारों का निर्माण तथा वन सुरक्षा एवं प्रबंध को सुदृढ़ करने के लिये अन्य अनुषांगिक कार्यवाहियां भी योजना के अंतर्गत वित्त पोषित है। विगत वर्षों में इस योजना में प्राप्त आर्थिक लक्ष्य के विरूद्व उपलब्धि निम्नानुसार रही हैः–

¼jkf'k yk[k #0 esa½

o"kZ	vkfFkZd y{;	vkfFkZd miyfC/k
2008-2009 *	1059.00	445.37
2009-2010	1991.97	466.31
2010-2011	2020.00	1201.24
2011–2012 (दिसम्बर 2011 तक)	1640.00	354.35

3-4-5 lkSj ÅtkZ ls fo|qrhdj.k

यह योजना वित्तीय वर्ष 2011–12 से प्रारम्भ की गई है। योजना का उद्देश्य केन्द्र प्रवर्तित योजना के अंतर्गत प्रदेश के ऐसे वन परिक्षेत्र, डिपों, वनचौकी एवं बैरियर पर सौर { र्जा से विद्युत उपलब्ध कराना है, जहॉ विद्युत का प्रवाह अनिश्चित है अथवा विद्युत उपलब्ध नहीं है। योजना में केन्द्र सरकार की राशि बजट के बाहर प्राप्त होती है, योजना में केवल राज्यांश का प्रावधान है। माह दिसम्बर अंत तक बजट प्रावधान शेष था। अतः आवंटन एवं व्यय की जानकारी निरंक है।

———————————

3-5 dsUnz {ks=h; ;kstuk,a

3-5-1 jk"Vªh; tyh; r= laj{k.k dk;ZØe

इस योजना के अंतर्गत प्रदेश में स्थित माधव राष्टीय उद्यान, शिवपुरी एवं रातापानी राष्टीय उद्यान, औबेदुल्लागंज में स्थित झीलों के संरक्षण का कार्य किया जा रहा हैं उक्त योजना वर्ष 2006–07 से प्रारम्भ की गई हैं। इस योजना में विगत चार वर्षों की आर्थिक उपलब्धि निम्नानुसार हैः–

¼jkf'k yk[k #0 esa½

o"kZ	vkfFkZd y{;	vkfFkZd miyfC/k
2008-2009	37.50	19.72
2009-2010	54.00	33.00
2010-2011	59.00	0.00 केन्द्र सरकार से राशि विमुक्त न होने के कारण
2011–2012 ¼दिसम्बर 2011 तक½	60.00	0.00 केन्द्र सरकार से राशि विमुक्त न होने के कारण

3-5-2 y?kq oukssit la?k dks vuqnku

इस योजना के अंतर्गत भारत सरकार से मध्य प्रदेश राज्य लघु वनोपज संघ को उसके कार्यो हेतु आंशिक पूंजी प्रदाय की जाती है। इस योजना में विगत चार वर्षों की आर्थिक उपलब्धि निम्नानुसार हैः–

¼jkf'k yk[k #0 esa½

o"kZ	vkfFkZd y{;	vkfFkZd miyfC/k
2008-2009	463.00	463.00
2009-2010	372.00	372.00
2010-2011	262.00	262.00
2011–2012 ¼दिसम्बर 2011 तक½	400.00	50.00

3-4 fons'kh lgk;rk izkIr ifj;kstuk,a

3-4-1 ;w-,u-Mh-ih-&th-bZ-,Q- ijkstsDV

वैश्विक पर्यावरण सुविधा ¼GEF½व्दारा अनुदान से संयुक्त राष्टे विकास कार्य म ¼UNDP½ के सहयोग से मध्यप्रदेश वन विभाग एक परियोजना **e-iz- ,dhd`r Hkwfe ,oa ikfjfLFkfrdh; r= izca/ku ** का निष्पादन कर रही है। परियोजना की लागत लगभग रु. 26.00 करोड़ तथा अवधि 5 वर्ष के लिये ¼2010 से 2014 ½है। परियोजना प्रदेश के 5 जिलों बैतूल, छिंदवाड़ा, सीधी, सिंगरौली एवं उमरिया जिलों के नौ वन मंडलों में ि यान्वित है। परियोजना का मुख्य उद्देश्य भूमि क्षरण को कम करना है । इस उद्देश की प्राप्ति के लिये परियोजना के अर्न्तगत निम्नलिखित कार्य किये जायेंगे–

3-4-1-1 fcxMs cakl oukas dk lq/kkj

परियोजना के इस घटक के अर्न्तगत प्रत्येक परियोजना जिले में कुल परियोजना अवधि में 3000 से 4000 हेक्टेयर बिगड़े बांस वन क्षेत्र के उपचार का कार्य ग्रामीणों के माध्यम से किया जाना है। एक गरीब परिवार व्दारा प्रति वर्ष 5 हेक्टेयर बिगड़े बांस वन क्षेत्र मे कार्य किया जायेगा तथा प्रत्येक 4 वर्ष तक प्रत्येक वर्ष 5–5 हेक्टेयर क्षेत्र में कार्य किया जायेगा। इस प्रकार एक परिवार व्दारा 4 वर्षो में कुल 20 हेक्टेयर क्षेत्र में कार्य किया जायेगा। किये गये कार्य के एवज में प्रति हितग्राही परिवार को रु0 2500/– प्रतिमाह का मानदेय उपलब्ध होगा। परियोजना जिलों के 09 वन मंडलों में कुल 14500 हेक्टेयर बिगड़े बांस वन क्षेत्र में कार्य कराया जायेगा जिससे लगभग 725 परिवार लाभान्वित होंगे। इस घटक से जहॉ बिगड़े बांस

वनों का सुधार होगा वही इस कार्य में हितग्राही गरीब परिवार को 4 वर्ष तक निरंतर रोजगार प्राप्त होगा। 4 वर्ष उपरांत इन ग्रामीणों को जिनके व्दारा बिगडे बांस वन सुधार का कार्य किया गया है संयुक्त वन प्रबंधन के नियमों के तहत उपचार क्षेत्रों में बांस उत्पादन से लाभ प्राप्त होता रहेगा।

3-4-1-2 Åtkz jksi.k dh LFkkiuk

परियोजना के अन्र्तगत प्रत्येक वन मंडल में { र्जा वन की स्थापना करने का लक्ष्य रखा गया है। इससे लगभग 40 ग्राम लाभान्वित होंगे तथा वन मंडलों में परियोजना क्षेत्र के 200 हेक्टेयर क्षेत्राफल में { र्जा रोपण की स्थापना की जायेगी। { र्जा रोपण में तेजी से बढ़ने वाले जला{ वृक्षों की प्रजातियों को सम्मिलित किया जायेगा। परियोजना अवधि की समाप्ति के पश्चात जला{ लकड़ी ग्रामवासियों को उपलब्ध हो सकेगी जिससे वनों पर ग्रामवासियों का जला{ लकड़ी के लिये दबाव कम होगा।

3-4-1-3 pkjkxkg jksi.k dh LFkkiuk

परियोजना के अन्र्तगत प्रत्येक वन मंडल में चारागाह वन की स्थापना करने का लक्ष्य रखा गया है। इससे लगभग 40 ग्राम लाभान्वित होंगे तथा परियोजना क्षेत्र के 200 हेक्टेयर क्षेत्राफल में चारागाह रोपण की स्थापना की जायेगी। चारागाह रोपण में तेजी से बढ़ने वाले एवं चारा उपलब्ध कराने वाली प्रजातियों को सम्मिलित किया जायेगा। परियोजना अवधि की समाप्ति के पश्चात ग्रामवासियों को इस क्षेत्र से चारा उपलब्ध होगा जिससे वनों चराई का दबाव कम होगा।

3-4-1-4 xzkeh.kksa dh ckfM+;ksa esa vkS"kk/kh; iztkfr;ksa dk o{kkjksi.k

परियोजना के प्रत्येक वन मंडल में इस घटक के अन्र्तगत ग्रामीणों की बाड़ियों में औषधीय प्रजातियों के रोपण हेतु निःशुल्क पौधा वितरण किया जायेगा। प्रत्येक चिन्हित समिति में 1500 पौधों का वितरण होगा तथा उन्हे लगाने एवं रखरखाव का प्रशिक्षण ग्रामवासियों को दिया जायेगा। प्रत्येक परिवार को 5 से 10 पौधे प्रदाय किये जायेंगे जिन्हे वह अपनी बाड़ियों में लगायेंगे। पौधा लगाने, उनके रखरखाव का कार्य ग्रामीण अपनी – अपनी बाड़ियों में स्वयं करेंगे। पौधों में ऐसी प्रजातियों को प्रमुखता दी जायेगी जिनका उपयोग स्थानीय वैद्य करते है। इन औषधीय प्रजातियों के उपलब्ध हो जाने से जहॉ स्थानीय वैद्यों को इनकी प्राप्ति में आसानी होगी वही ग्रामवासी इन औषधीय प्रजातियों का स्वयं भी उपयोग कर सकेंगे तथा स्थानीय वैद्यों को उत्पाद बि ी भी कर सकेंगे। इस घटक के अन्र्तगत लगभग 400 समितियों में कुल 6 लाख पौधे लगेंगे।

3-4-1-5 ou@xSj ou Hkwfe fLFkr ty xzg.k {ks= dk izcU/ku

वन एवं गैर वन भूमि क्षेत्रा में भू–क्षरण को रोकने हेतु मृदा एवं जल संरक्षण के कार्य किये जायेंगे जिनके अन्र्तगत मृदा एवं जल संरक्षण संरचना का निर्माण ि कंटूर टैंच, गली प्लगिंग, स्टाप डैम, नाला बंधन, निस्तार टेंक आदि क्रएवं बांस वृक्षारोपण का कार्य किया जा रहा है। यह कार्य कुल 3000 हेक्टेयर क्षेत्र में किया जायेगा। बैतूल, छिंदवाड़ा एवं उमरिया जिलों में प्रत्येक में लगभग 900 हेक्टेयर तथा सीधी एवं सिंगरोली जिले में कुल लगभग 300 हेक्टेयर क्षेत्र में कार्य किया जायेगा।

3-4-1-6 ou lfefr lnL;ksa dk dkS'ky mUu;u

परियोजना जिलों के 09 वन मंडलों में चिन्हित प्रत्येक वन समिति के लगभग 20 सदस्यों का वन प्रबंधन, संयुक्त वन प्रबंधन से संबंधित विषयों पर प्रशिक्षण देकर उन्हे मास्टर टैनर बनाया जायेगा। कुल 100 समितियों के 2000 समिति सदस्यों को मास्टर टैनर के रुप में तैयार किया जायेगा। प्रशिक्षण के विषयों का निर्धारण स्थानीय ग्रामीणों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर किया जायेगा। इस प्रकार जो मास्टर टैनर तैयार होंगे वह वन विभाग के लिये Resource Person के रुप में कार्य करेंगे तथा इनके व्दारा अन्य समिति सदस्यों को समय–समय पर प्रशिक्षण दिया जायेगा।

3-4-1-7 y?kq e/;e m|e dh LFkkiuk

इस घटक के अर्न्तगत वन/कृषि उत्पाद आधारित लघु मध्यम उद्यम संचालित किये जायेंगे। परियोजना जिलों के 09 वन मंडलों में वन समितियॉ जिनमें लघु मध्यम उद्यम संचालित करने की संभावना है, का चिन्हांकन किया जाकर लघु मध्यम उद्यम स्थापित करने हेतु बिजनेस प्लान तैयार किये जायेंगे। इसका संचालन संयुक्त वन प्रबंधन समितियों के व्दारा किया जायेगा। लघु मध्यम उद्यम का संचालन सफलता पूर्वक हो इसके लिये उद्यमिता विकास का प्रशिक्षण, जिसमें प्रदेश एवं प्रदेश स्तर पर भ्रमण कार्य म भी सम्मिलित है, समिति सदस्यों को उपलब्ध कराया जायेगा।

इस घटक का मुख्य उद्देश्य ग्रामवासियों को आजीविका का अतिरिक्त स्त्रोत उपलब्ध कराना है तथा उनमें उद्यमिता कौशल का विकास करना है। यदि वन उत्पाद आधारित उद्यम संचालित होंगे तो इस उत्पाद के संरक्षण में ग्रामवासियों की रुचि बढ़ेगी।

3-4-1-8 df"k ,oa i'kqikyu lac/kh dk;Z

इस घटक के अर्न्तगत प्रत्येक वन मंडल में कुछ ग्रामों में मॉडल के रुप में उन्नत कृषि को प्रोत्साहन देने के लिये कार्य तथा पशुधन विकास से संबंधित कार्य किये जायेंगे।

3-4-2 Hkkjr ljdkj &;w-,u-Mh-ih- ifj;kstuk&

^^lajf{kr {ks=ksa ds ckgj izkd`frd lalk/kuksa dk laj{k.k^^

भारत सरकार एवं यू.एन.डी.पी. द्वारा यह परियोजना मध्यप्रदेश एवं उड़ीसा राज्य में जनसमुदाय fCommunityक्रद्वारा संरक्षित क्षत्रों के बाहर प्रारंभ किये गये संरक्षण को बढावा देने के लिये संचालित की गई है। परियोजना का उद्देश्य संरक्षित क्षेत्रों के बाहर प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु जन सहयोग प्राप्त करना है। परियोजना अवधि वर्ष 2009 से 2012 तक है। इस परियोजना के अन्तर्गत मध्यप्रदेश में f1क्रकारोपानी कृष्णमृग संरक्षण क्षेत्र, डिण्डौरी f2क्रपरियट नदी मगरमच्छ संरक्षण क्षेत्र, जबलपुर को लिया गया है। परियोजना के अन्तर्गत जनसमुदाय में उनके क्षेत्रों में स्थित जैव विविधता एवं प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण के लिये जागरूकता तैयार करना एवं इनके सतत् पोषणीय उपयोग द्वारा आय के स्रोत विकसित करने के लिये प्रशिक्षण, अधोसंरचना का विकास एवं ईकोपर्यटन को बढ़ावा देने के लिये अनेक कार्य किये गये है। इस परियोजना के अन्तर्गत प्रशिक्षण, सूक्ष्म प्रबंध योजना तैयार करना एवं अधोसंरचना के विकास पर वर्ष 2009 से 2011 तक रूपये 50 लाख व्यय किये गये हैं। वर्ष 2012 के लिये आवंटन प्राप्त होना अपेक्षित है। दोनों परियोजना क्षेत्रों का विवरण निम्नानुसार है:–

<u>ifj;V exjePN laj{k.k {ks=] tcyiqj&</u> परियट नदी एवं परियट जलाशय क्षेत्र मगरमच्छ के आवास के लिये प्रसिद्व है । इनके संरक्षण के लिये क्षेत्र के 05 गॉवों के स्थानीय समुदायों के सहयोग से यह परियोजना संचालित की जा रही है। परियोजना के अन्तर्गत स्थानीय समुदाय द्वारा जैव विविधता एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु जन जागरण के अन्तर्गत इनके ज्ञान एवं समझ बढाने हेतु कार्यशालायें एवं प्रशिक्षण कार्य कराये गये। मगरमच्छ के बचाव के लिये स्थानीय समुदाय के बचाव दल गठित किये जाकर बचाव संबंधी प्रशिक्षण दिया गया। इसके अतिरिक्त जैविक संसाधनों के संरक्षण बाबत् प्रशिक्षण, प्रशिक्षण भ्रमण एवं बॉस का रोपण कराये गये हैं। स्थानीय समुदाय की मूलभूत सुविधाओं के अन्तर्गत घाट विकास कार्य कराया गया है। स्थानीय समुदाय की आजीविका के स्रोत बढाने के लिये इस क्षेत्र में ईको पर्यटन को बढ़ावा दिया जाना प्रस्तावित है।

<u>dkjksikuh d".ke`x {ks=] fM.MkSjh&</u> कोरोपानी के आसपास के 05 गॉव को सम्मिलित करते हुये कृष्णमृग संरक्षण परियोजना आरंभ की गई है । इस क्षेत्र में लगभग 200 कृष्णमृग वन, राजस्व भूमि एवं खेतों में विचरण करते है, जो कि इनका नैसर्गिक रहवास है। इन्हें एवं इनके रहवास को संरक्षित करने के लिये जन जागरूकता अभियान के अन्तर्गत जनसमुदाय का प्रशिक्षण तथा क्षेत्र में ईको पर्यटन आधारित आय बढाने के लिये सतत् प्रयास किये गये हैं। जिसके अन्तर्गत समुदायों का प्रशिक्षण, सड़कों का विकास तथा अन्य सुविधाओं का विकास किया गया है।

Hkkx & pkj
egRoi.k miyfC/k;k

4-1 oU; i.kh lj{k.k %&

मध्यप्रदेश में वन्यजीव संरक्षित क्षेत्र 10989.247 वर्ग किलोमीटर है। प्रदेश में 10 राष्टीय उद्यान एवं 25 वन्यप्राणी अभ्यारण्य हैं। कान्हा, बांधवगढ़, पन्ना, पेंच, सतपुड़ा एवं संजय राष्टीय उद्यानों को टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया है। करेरा एवं घाटीगांव अभ्यारण्य विलुप्तप्राय दुर्लभ पक्षी सोनचिड़िया के संरक्षण के लिये, सैलाना एवं सरदारपुर एक अन्य विलुप्तप्राय दुर्लभ पक्षी, खरमोर के संरक्षण के लिये तथा 3 अभ्यारण्य चिंम्बल, केन एवं सोन घड़ियालक्र जलीय प्राणियों के संरक्षण के लिये गठित किये गये हैं। भोपाल के वन विहार राष्टीय उद्यान को आधुनिक चिड़ियाघर के रूप में मान्यता प्राप्त है। डिण्डोरी जिले में घुघवा में एक फॉसिल राष्टीय उद्यान है, जहॉ 6 करोड़ वर्ष पुराने वृक्षों के फॉसिल संरक्षित किये गये हैं। धार जिले में वर्ष 2011 में एक नया राष्टीय उद्यान ''डायनोसोर जीवाश्म राष्टीय उद्यान, बाग'' स्थापित किया गया है।

प्रदेश को पहचान देने वाली मुख्य वन्य प्राणी प्रजातियॉ हैं :– बाघ, मगर, डॉल्फिन, घड़ियाल, तेन्दुआ, गौर, बारासिंघा, काला हिरण, खरमोर एवं सोन चिड़िया। संरक्षित क्षेत्रों के गठन से स्थानीय ग्रामवासियों को जिन कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है, उन्हें दूर करने के लिए इन क्षेत्रों से लगे ग्रामों में ईको विकास के कार्य म संचालित किये जा रहे हैं। राज्य शासन द्वारा वन्यप्राणी संरक्षण को उच्च प्राथमिकता दी गई है। वन्यप्राणी संरक्षण हेतु केन्द्र शासन से विभिन्न केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के अंतर्गत अनुदान प्राप्त होता है।

4-1-1 flg iuokl dk;Øe %&

एशियाई सिंहों के पुनर्वास हेतु केन्द्र सरकार की पहल पर राज्य में कूनो पालपुर अभ्यारण्य से ग्रामीणों की सहमति से 24 ग्रामों के 1545 परिवारों को पुनर्वासित किया जा चुका है। इसके लिये भारत शासन से अभी तक रूपये 15.45 करोड़ की राशि विमुक्त की गई है। पुनर्वासित ग्रामीणों की अचल संपत्ति के आंकलन उपरान्त मुआवजे की राशि रूपये 4.71 करोड़ राज्य शासन के बजट से विभाग द्वारा कलेक्टर को उपलब्ध करा दी गई है, तथा रहवास सुधार तथा प्रे–बेस विकास हेतु भी कार्य किये जा रहे हैं। गुजरात सरकार द्वारा सिंह देने से मना करने पर केन्द्र शासन द्वारा देश के अन्य चिड़ियाघरों से एशियाई सिंह लाने की अनुमति दी गई है। इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में प्रकरण लंबित है।

4-1-2 oU; i.kh lj{k.k dh vU; xfrfof/k;k %&

संरक्षित क्षेत्रों में सुविधाओं के विकास के फलस्वरूप पर्यटकों की संख्या में लगातार वृद्धि हुई है। विगत वर्षों में पर्यटकों की संख्या तथा उनसे हुई आय तालिका 4.1 अनुसार रही।

rkfydk 4-1

o"k	i;Vdk dh l[;k ¼yk[k½	vftr vk; ¼yk[k : i;½
2008–09	9.42	970.99
2009–10	11.44	1038.15
2010–11	12.08	1541.16

पर्यटकों की सुविधा के लिये कान्हा, बांधवगढ़, पन्ना एवं पेंच टाईगर रिजर्व में ऑनलाइन बुकिंग की व्यवस्था की गई है।

भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय वन्यप्राणी अपराध अन्वेषण ब्यूरो का क्षेत्रीय कार्यालय जबलपुर में खोला गया है, जिसका कार्यक्षेत्र मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखण्ड एवं उड़ीसा राज्य है। वन्यप्राणी अपराध रोकने के लिये राज्य शासन द्वारा टाईगर स्टेाइक फोर्स का गठन किया गया है। इस फोर्स के पांच आंचलिक केन्द्र इन्दौर, सागर, होशंगाबाद, जबलपुर और सतना में स्थित हैं। वनों के समीपस्थ बसाहटों में भटककर आने वाले वन्यप्राणियों को पकड़ने के लिये 9 रेस्क्यू स्क्वॉड गठित किये गये हैं। वन्यप्राणी के अवयवों की तस्करी को रोकने हेतु 2 श्वानों तथा उनके 4 हेण्डलर्स को प्रशिक्षित कर इटारसी एवं जबलपुर में रखा गया है।

4-1-3 oU;ik.kh x.kuk %&

बाघों की संख्या का आंकलन एवं उनके रहवास का मूल्यांकन वर्ष 2010 में राष्टीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एवं भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून के सहयोग से किया गया था। इसके अनुसार प्रदेश में 12709 वर्ग कि.मी. क्षेत्र में बाघों की उपस्थिति प्रमाणित हुई तथा उक्त आंकलन के अनुसार बाघों की संख्या 257 ि213—301क्रपाई गई।

4-1-4 ekuo rFkk oU;ikf.k;ks dk chp }n de djus dk i;kl %&

वन सीमा से पांच कि.मी. की परिधि में स्थित ग्रामों में वन्य प्राणियों द्वारा फसल हानि किये जाने पर संबंधित व्यक्तियों को फसल हानि का मुआवजा दिये जाने का प्रावधान है। मुआवजे का निर्वारण राजस्व अधिकारियों द्वारा राजस्व पुस्तक परिपत्र में निर्धारित प्रि या अनुसार किये जाने के उपरान्त भुगतान वन मंडलाधिकारी द्वारा किया जाता है। वन्यप्राणियों द्वारा पालतू पशुओं को मारे जाने पर भी क्षतिपूर्ति का प्रावधान है, तथा क्षतिपूर्ति की अधिकतम राशि राजस्व पुस्तक परिपत्र के अनुसार निर्धारित की जाती है।

किसी भी वन्य प्राणी ि सांप व गुहेरा को छोड़करक्र द्वारा जन हानि किये जाने पर भी क्षतिपूर्ति का प्रावधान किया गया है। जनहानि, जनघायल, पशुहानि के प्रकरणों को लोकसेवा गारंटी अधिनियम, 2010 में शामिल किया गया है। जिनके लिये क्षतिपूर्ति राशि मशः रू 1.00 लाख एवं ईलाज पर हुये व्यय िजनहानिक्र घायल होने पर रू 20000/— अधिकतम, स्थाई रूप से अपंग होने पर रू 75000/— एवं ईलाज पर हुये व्यय तथा पशुहानि होने पर राजस्व पुस्तक परिपत्र के प्रावधानों के अनुसार क्षतिपूर्ति भुगतान किया जाता है। इसके अतिरिक्त फसल क्षति के प्रकरणों का उक्त अधिनियम के तहत निराकरण एवं भुगतान राजस्व विभाग द्वारा किया जाने का प्रावधान किया गया है।

4-1-5 oU;ik.kh lo)u dh vU; miyfC/k;k %&

4-1-5-1 ck/kox< jk"Vh; m|ku e xkj dh iuLFkkiuk %&

बांधवगढ़ राष्टीय उद्यान में 19 गौरों को सफलतापूर्वक बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के 50 हेक्टेयर के बाड़े में स्थानांतरित किये जाने के साथ इस योजना को सफलतापूर्वक पूर्ण किया गया। वन विभाग द्वारा भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून तथा दक्षिण अफ्रीका के तीन विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में देश में पहली बार इतनी बड़ी संख्या में विशालकाय शाकाहारी जीवों का पुनर्स्थापना किया गया है। इस योजना के द्वारा संकटग्रस्त प्रजाति को एक संरक्षित क्षेत्र से दूसरे संरक्षित क्षेत्र में स्थापित करने में सफलता प्राप्त हुई है। इस अभूतपूर्व अनुभव के माध्यम से मध्यप्रदेश वन विभाग तथा भारतीय वन्यजीव संस्थान को गौर को पकड़कर परिवहन करने में दक्षता प्राप्त हुई है। माह जनवरी 2012 में 31 गौर और स्थानांतरित करने का प्रस्ताव है।

4-1-5-2 iUuk jk"Vh; m|ku e ck?kk dh iuLFkkiuk %&

मध्यप्रदेश में स्थित पन्ना बाघ रिजर्व में बाघ प्रजाति को पुनर्स्थापित करने के निर्णय के तहत अभी तक 4 बाघिनें एवं एक बाघ की पुनर्स्थापना की गयी है। 2 बाघिनों के 6 शावकों सहित वर्तमान में यहॉ कुल 11 बाघ विद्यमान हैं।

4-1-5-3 dkUgk e d".ke`xk dk iuLFkkiuk %&

दिनांक 21.11.2011 तक 50 काले हिरणों को पकड़कर कान्हा टाईगर रिजर्व, मण्डला में पुनर्स्थापित किये जा चुके हैं।

4-1-5-4 Hkkoh Vk l ykd'ku dk;Øe ¼&

खोई हुई प्रजातियों को उनके पूर्व के रहवास स्थलों में स्थापित करने की नीति के अंतर्गत विभाग द्वारा वर्ष 2011–12 की शीत ऋतु में बारासिंगा को बोरी अभ्यारण्य में कान्हा से लाकर बसाया जायेगा। जैसा कि सर्वविदित है कान्हा में पाये जाने वाली विशेष बारासिंगा उप प्रजाति विश्व में और कहीं नहीं पाई जाती तथा यह आवश्यक है कि इस प्रजाति को अन्य संरक्षित क्षेत्रों में भी स्थापित किया जाये ताकि किसी प्राकृतिक आपदा या बीमारी से यह प्रजाति नष्ट न हो जाये। केन्द्र शासन द्वारा इस कार्य म के अंतर्गत 20 बारासिंगो को बोरी अभ्यारण्य में स्थानान्तरित करने की अनुमति दी गई है। यह कार्य आगामी शीत ऋतु में किया जायेगा।

पालपुर कूनो अभयारण्य में चीता एवं एशियाई सिंहों को बसाये जाने की स्वीकृति भी केन्द्र शासन द्वारा दी गई है। इस संबंध में कार्यवाही की जा रही है। इसी नीति के अंतर्गत विभाग द्वारा संजय टाईगर रिजर्व में सफेद बाघ तथा माधव राष्टीय उद्यान में सामान्य बाघ को स्थापित करने का कार्य म प्रस्तावित है। इसमें राज्य शासन एवं केन्द्र शासन की अनुमति प्राप्त होने पर कार्यवाही की जायेगी।

4-1-5-5 l jf{kr {k=k l xkek dk iuokl ¼&

वन्यप्राणी संरक्षण के लिए सबसे अधिक आवश्यक घटक उनके रहवास क्षेत्र हैं। प्रदेश के संरक्षित क्षेत्रों में प्रारंभ में 821 ग्राम थे, जिनमें से 91 गांव विभाग द्वारा अभी तक पुनर्स्थापित कर वन्यप्राणियों के लिए अतिरिक्त भूमि हासिल की गई है। विभाग द्वारा पुनर्वास हेतु चयन किये गये ग्रामों में से 112 ग्रामों का विस्थापन शेष है।

वर्ष 2010–11 में सतपुड़ा टाईगर रिजर्व में बोरी अभ्यारण्य से–01, बांधवगढ़ राष्टीय उद्यान से–01 तथा कान्हा राष्टीय उद्यान से एक ग्राम का पुनर्वास किया गया है, जबकि पन्ना, फेन, बांधवगढ़ तथा बोरी अभ्यारण्य में से एक–एक गांव का पुनर्वास प्रगति पर है। वन्यप्राणी संरक्षण में यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्य है तथा प्रदेश को इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त हुई है। अन्य राज्यों में इस गति से ग्रामों का पुनर्वास संभव नहीं हो पा रहा है।

4-1-5-6 in'k d Vkbxj fjto d cQj tku dh vf/kl puk ¼&

वन्यप्राणी र्सिंरक्षणक्रअधिनियम, 1972 यथा संशोधित र्2006क्रकी धारा 38V (4) (ii) के अंतर्गत प्रत्येक टाईगर रिजर्व में बफर क्षेत्र अधिसूचित किया जाना अनिवार्य है। बफर क्षेत्र ि टिकल टाईगर हैबीटेट या कोर क्षेत्र के चारों ओर वह क्षेत्र है, जहॉ कोर क्षेत्र की तुलना में कम प्रतिबन्धों की आवश्यकता होती है एवं यह ि टिकल टाईगर हैबीटेट की समग्रता के लिये आवश्यक है। मध्यप्रदेश में 6 टाईगर रिजर्व हैं। कान्हा टाईगर रिजर्व के पूर्व से घोषित बफर क्षेत्र में वृद्धि करते हुये वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम के तहत नवीन अधिसूचना जारी की गई है।

इसी प्रकार बांधवगढ़, सतपुड़ा, पेंच एवं संजय टाईगर रिजर्व के बफर क्षेत्र वर्ष 2010–2011 में अधिसूचित किये जा चुके हैं। पन्ना टाईगर रिजर्व के बफर क्षेत्र के संबंध में कार्यवाही प्रगति पर है। संजय टाईगर रिजर्व के ि टीकल टाईगर हेबीटेट की भी अधिसूचना वर्ष 2010–11 में जारी की जा चुकी है। 5 टाईगर रिजर्व ि टीकल टाईगर हेबीटेट पूर्व से ही अधिसूचित है।

4-1-5-7 l jf{kr {k=k d ckgj oU; ik.kh ic/ku ¼&

टाईगर रिजर्व एवं अन्य महत्वपूर्ण संरक्षित क्षेत्रों की परिधि में स्थित क्षेत्रीय वन मण्डलों के 56 परिक्षेत्रों में सुरक्षा तंत्र को सुदृढ़ करने हेतु पेटेोलिंग चौकी निर्माण, वाहन, वायरलेस एवं अन्य उपकरणों का प्रदाय किया गया है। इस प्रयासों को निरंतर रखने हेतु राज्य शासन के संकल्प 2013 के बिन्दु मांक 30 के ि यान्वयन के लिए एक नवीन योजना स्वीकृत की गई है। जिसमें वर्ष 2011–12 के लिए 4.50 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

4-1-5-8 oU;ik.kh lj{k.k grq lpuk nu oky dk ijLdkj ;ktuk %&

विलुप्त प्रायः एवं संकटापन्न खरमोर एवं सोनचिड़िया के संरक्षण हेतु जनभागीदारी सुनिश्चित करने के लिए एक अभिनव योजना की मंजूरी, जिसके अंतर्गत पक्षियो की सूचना देने वाले व्यक्तियों एवं उनके अण्डे, चुजे एवं रहवास की सुरक्षा सुनिश्चित करने वाले कृषक को नगद प्रोत्साहन राशि दिये जाने का प्रावधान किया गया।

4-1-5-9 ijLdkj ;ktuk %&

वन्यप्राणी संरक्षण में उत्कृष्ट योगदान के लिये कर्मचारियों एवं अधिकारियों को प्रोत्साहन करने हेतु राज्य शासन द्वारा वर्ष 2008 में वन्यप्राणी संरक्षण पुरस्कार संस्थापित किये गये है।

इस पुरूस्कार के अंतर्गत उप वनसंरक्षक/सहा.वन संरक्षक स्तर के लिये 1, वन क्षेत्रपाल स्तर के लिये 1 तथा उप वन क्षेत्रपाल/वनपाल/वनरक्षक स्तर के लिये 4 पुरस्कार का प्रावधान किया गया है। प्रत्येक पुरूस्कार की राशि रू.50 हजार है।

4-1-5-10 oU;ik.kh vxhdj.k ;ktuk %&

वन विहार राष्टीय उद्यान भोपाल में 2008 से वन्यप्राणियेां के प्रति जन सामान्य के मन में जागरूकता पैदा करने हेतु वन्यप्राणी अंगीकरण योजना को प्रारंभ किया गया है। अक्टूबर 2011 तक इस योजना के अंतर्गत 35 वन्यप्राणी को गोद लिया जा चुका है एवं रू. 18 लाख की राशि प्राप्त हो चुकी है।

4-1-5-11 lruk ftyk e fpfM+;k?kj ,o jLD; lVj dh LFkkiuk %&

केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण भारत सरकार एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं मंत्री परिषद से अनुमति पश्चात् सतना जिले के मुकुन्दपुर में चिडिया घर एवं रेस्क्यू सेन्टर के स्थापना की कार्यवाही प्रगति पर है।

4-1-5-12 fo'k"k lEeku ,o fu;fDr %&

स्व. श्री रामकुमार आदिवासी, वनपाल र्किूनो वन्यप्राणी वनमण्डल में पदस्थक्र की मृत्यु दिनांक 30.09.2009 को शिकारियों की गोली से हो जाने के कारण वन्यप्राणी सुरक्षा के प्रति उनके द्वारा दिये गये बलिदान को ध्यान में रखते हुये शासन द्वारा स्व. श्री रामकुमार आदिवासी, वनपाल को शहीद घोषित किया। मृतक के परिवार को दी जाने वाली विशेष आर्थिक सहायता राशि की सीमा 1.00 लाख से बढ़ाकर 10.00 लाख किया गया तथा प्रदेश में पहली बार मृतक के नाबालिग पुत्र को बाल वनरक्षक के रूप में नियुक्त किया गया।

4-1-5-13 i'k fpfdRldk dh lfonk fu;fDr %&

4 पशु चिकित्सकों की संविदा नियुक्ति की जाकर विभिन्न राष्टीय उद्यान/वन्यप्राणी वनमण्डलों में पदस्थ किया गया। इसीप्रकार वेटनरी डॉक्टरों एवं बॉयोलाजिस्ट के लिए अलग कैडर बनाया जाना विचाराधीन है।

&&&&&

4-2 ou lj{k.k

4-2-1 ou lj{k.k dh xfrfof/k;k

प्रदेश के वनों पर बढ़ते जैविक दबाव के कारण वन संरक्षण सर्वोच्च प्राथमिकता का विषय है। जनभागीदारी एवं क्षेत्रीय इकाईयों की सि यता से वन अपराधों पर नियंत्रण के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। विभाग द्वारा विगत तीन वर्षो में पंजीबद्ध वन अपराध प्रकरणों का विवरण तालिका 4.2 में दर्शित है।

rkfydk 4-2

वर्ष जिनवरी से दिसंबर क्र	वन अपराध प्रकरणों की संख्या					
	अवैध कटाई	अतिक्रमण	अवैध उत्खनन	अवैध शिंकार	अन्य	योग
2009	58,025	1,017	1,144	740	10,114	71,040
2010	52,927	1,774	1,141	752	7,198	63,792
2011*	42,559	1,019	1,045	587	6,528	51,738

*अन्तरिम।

अतिसंवेदनशील वनक्षेत्रों में बीट व्यवस्था के स्थान पर सामूहिक गश्त हेतु वन चौकियों की स्थापना की गई है। आज की स्थिति में 298 वन चौकियॉ कार्यरत हैं। वन चौकियों पर गठित गश्ती दलों के लिए 12 बोर की 2,600 नई बन्दूकें प्रदाय की गई हैं। संचार व्यवस्था को प्रभावी बनाने हेतु 4,266 वायरलेस सेट, 5493 मोबाईल सिम, 3912 मोबाईल हेण्ड सेट, 900 पी.डी.ए. एवं 900 बायनाकूलर प्रदाय किए गए हैं। परिक्षेत्र अधिकारी स्तर तक के अधिकारियों को प्रदाय हेतु 136 रिवाल्वर/ पिस्टल का य किया जा रहा है।

पेटोलिंग एवं निरीक्षण हेतु केन्द्रीय सहायता से 10 वाहनों का क्रय कर क्षेत्रीय इकाईयों को प्रदान किया गया है एवं केम्पा निधि से 43 पेटोलिंग एवं निरीक्षण वाहनों की क्रय हेतु स्वीकृति प्राप्त हो चुकी हैं, क्रय की कार्यवाही प्रक्रियाधीन हैं।वन सुरक्षा में तैनात क्षेत्रीय कर्मचारियों के लिए 73 भवन का निर्माण वर्ष 2011–12 में किया जा रहा है।

वन अपराधों पर नियंत्रण एवं त्वरित कार्यवाही हेतु प्रत्येक वन वृत्त में उड़नदस्ता दल कार्यरत है। उड़नदस्ता दल में पर्याप्त संख्या में वनकर्मी, शस्त्र एवं वाहन उपलब्ध हैं। ऐसे क्षेत्रों, में जहां संगठित वन अपराधों की संभावना है, विशेष सशस्त्र बल की 3 कम्पनियां भी तैनात की गयी हैं।

वर्षा ऋतु में पहुचविहिन वनक्षेत्रों में मानसून पेटोलिंग की विशेष कार्यवाही क्षेत्रीय इकाईयों द्वारा की गई है जिससे अच्छे परिणाम सामने आये है।

वर्ष 2011 में 18176 वन अपराधियों के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही की गई है। वन अपराध में लिप्त 695 वाहन जप्त किये गये है। कर्तव्य के दौरान वन कर्मचारियों पर हमले के 32 प्रकरण दर्ज हुये जिसमें 4 कर्मचारी शहीद हुये 27 कर्मचारी गंभीर रुप से घायल हुये है।

वन सुरक्षा में लगे वन कर्मियों को सी.आर.पी.सी. की धारा 197[2]क्रके अंतर्गत सुरक्षा प्रदान की गई है, ताकि आवश्यकता के अनुरूप बन्दूकों के उपयोग उपरान्त उन्हें वैधानिक कठिनाई न हो। वन सुरक्षा के लिए गोपनीय सूचनाएं एकत्र करने के लिए मुखबिर तंत्र विकसित किया गया है। वन अपराध की सूचना देने वाले व्यक्तियों को पारितोषिक दिये जाने हेतु गुप्त निधि बनाई गई है, तथा 'मध्य प्रदेश वन सुरक्षा पुरस्कार नियम 2004' के अंतर्गत वन अपराध सिद्ध होने पर वन अपराध का पता लगाने में, अपराधी को पकड़ने में, अपराधी को दोषसिद्धि में या वनोपज तथा अन्य वस्तुओं की जप्ती में सहायता देने वाले व्यक्तियों को अधिकतम रूपए 25,000 का पुरस्कार दिये जाने का प्रावधान किया गया है।

4-2-2 ou lj{kk esa lpuk ik|kfxdh dk mi;kx

वन सुरक्षा के अनुश्रवण हेतु इन्टरनेट आधारित 'वन अपराध प्रबंधन प्रणाली' ऐंफि.ओ.एम. एस.क्रविकसित की गई है। इसके अंतर्गत अपराधों के पंजीयन, उनकी जांच, अभिसंधान, वसूली, न्यायालय में चालान इत्यादि कार्यवाही की सतत समीक्षा की जाती है। अग्नि दुर्घटनाओं की सामयिक जानकारी प्राप्त करने हेतु 'अग्नि सचेतन संदेश प्रणाली' फिायर एलर्ट मेसेजिंग सिस्टमक्रविकसित की गई है।

वन अपराध की सूचना देने के लिए भोपाल में राज्य स्तरीय वन अपराध सूचना केंद्र की स्थापना की गई है। इस केंद्र के फोन नंबर 155312 अथवा 1800 233 4396 पर निःशुल्क डायल कर कोई भी व्यक्ति प्रदेश में कहीं से वन अपराध संबंधी गोपनीय सूचना 24 घंटे में कभी भी दे सकता है।

4-3 vuqla/kku foLrkj ,oa ykdokfudh

मध्यप्रदेश के वनों की उत्पादकता बढाने एवं वन क्षेत्रों के बाहर सामुदायिक एवं निजी भूमि पर वनीकरण कार्य किया जाकर वनोपज की आवश्यकता की पूर्ति हेतु प्रदेश के 11 कृषि जलवायु प्रक्षेत्रों भोपाल, जबलपुर, रीवा, ग्वालियर, सागर, इंदौर, खंडवा, झाबुआ, रतलाम, सिवनी एवं बैतूल में एक–एक अनुसंधान एवं विस्तार वृत्त स्थापित किये गये हैं । प्रत्येक अनुसंधान एवं विस्तार वृत्त के अंतर्गत उच्च तकनीकी रोपणियॉ स्थापित की गई है। वर्तमान में 156 अनुसंधान एवं विस्तार रोपणियॉ विभिन्न अनुसंधान एवं विस्तार वृत्तों में कार्यरत हैं जहॉ सभी प्रजातियों के उचित गुणवत्ता के सामान्य, ग्राो टेड एवं क्लोनल पौधे तैयार किये जा रहे हैं ।

4-3-1 mPp xq.koRrk ds ikS/kks dh rS;kjh ,oa fuorZu

वर्षा ऋतु 2011 में प्रदाय हेतु विभागीय बजट मद र्6397क्रलोकवानिकी एवं रोपणियों में पौधा तैयारी मद के अंतर्गत अनुसंधान एवं विस्तार वृत्तों की रोपणियों में 31 मार्च 2011 की स्थिति में विभिन्न प्रजातियों के 557 लाख पौधे तैयार किये गये, जिसमें से शासकीय विभागों, संस्थाओं, कृषकों एवं निजी व्यक्तियों को उनकी मॉग के अनुसार वर्षा ऋतु 2011 में लगभग 344 लाख पौधे वितरित किये जा चुके हैं। शेष पौधे अगले वर्ष रोपण हेतु उपयोग किये जावेगें।

वर्ष 2012 के रोपण हेतु अनुसंधान एवं विस्तार वृत्तों की रोपणियों में नये पौधों की तैयारी, विगत वर्ष के अवशेष पौधों के रखरखाव, बीज संग्रहण, बीज उत्पादन क्षेत्रों का रखरखाव एवं रोपणी उन्नयन हेतु रू. 1215 लाख का आवंटन वर्ष 2011–12 में किया गया है । आवंटित राशि से मॉग अनुरूप विभिन्न प्रजाति के पौधों की तैयारी एवं अन्य संबंधित कार्य प्रचलन में है ।

मध्यप्रदेश वन विकास अभिकरण के माध्यम से विभिन्न प्रजाति के पौधों की तैयारी हेतु रू. 216.22 लाख की अनुसंधान एवं विस्तार वृत्तों को विमुक्त की गई है ।

4-3-2-1 i;kZoj.k okfudh

वित्तीय वर्ष 2011–12 में समस्त क्षेत्रीय वनमंडलों, अनुसंधान एवं विस्तार वृत्तों एवं राजधानी परियोजना प्रशासन, भोपाल को राशि रू. 815.40 लाख का आवंटन किया गया है। पर्यावरण वानिकी योजना के अंतर्गत शहरी क्षेत्रों में वृक्षारोपण, विधा वन एवं सडक किनारे वृक्षारोपण आदि योजनाएं जिला स्तर पर ि यान्वित है । वर्षा ऋतु 2011 में लगभग 712 हे0 क्षेत्र में 3.16 लाख पौधों का रोपण क्षेत्रीय वनमंडलों के माध्यम से किया गया। साथ ही वर्षा ऋतु 2012 के लिये वनमंडलों की आवश्यकता अनुसार पौधा तैयारी का कार्य प्रगति पर है ।

4-3-2-2 [kesj ikS/kksa dh rS;kjh

माननीय वन मंत्री जी की मंशा एवं खमेर की उपयोगिता को देखते हुए वर्ष 2011 में 1 करोड़ खमेर पौधों की तैयारी का निर्णय लिया गया जिसके विरूद्ध 50 लाख खमेर पौधे

पॉलिथिन में एवं 8432 बेड में खमेर पौधों की तैयारी का कार्य प्रगति पर है । वर्षा ऋतु 2011 में लगभग 18 लाख खमेर के पौधे वृक्षारोपण हेतु विभिन्न एजेंसियों को वितरित किये गये हैं ।

खमेर के पौधे यथा संभव प्रदेश के समस्त वनमंडलों के विभागीय रोपणों तथा वन समितियों के माध्यम से रोपित किया जाना है। निजी क्षेत्र, कृषकों की मेंढ़ों एवं अन्य भूमि पर भी पौधे प्रदाय कर रोपित किये जावेंगे।

4-3-2-3 egqvk o"kZ 2011

वित्तीय वर्ष 2011 को महुआ वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। जिसके अंतर्गत वर्षा ऋतु 2011 तक भौतिक आर्थिक लक्ष्य एवं उपलब्धि निम्नानुसार रही :–

भौतिक लक्ष्य	**भौतिक उपलब्धि**
10 लाख महुआ रोपण, पौधों के माध्यम से	13.26 लाख पौधे रोपित
30 लाख महुआ रोपण, बीज के माध्यम से	बीज के माध्यम से रोपण कार्य किया गया

आगामी वर्ष के लिये ग्राो टेड महुआ पौधों की तैयारी बावत समस्त अ0वि0 वृत्तों को निर्देशित किया गया है। इस हेतु राज्य वन अनुसंधान संस्थान, जबलपुर द्वारा प्रशिक्षण दिया जा रहा है ।

4-3-3 ykdokfudh

लोकवानिकी अधिनियम के अंतर्गत भूमिस्वामियों के निजी वृक्ष आच्छादित क्षेत्रों के प्रबंधन हेतु भूमिस्वामी द्वारा प्रस्तुत प्रबंध योजना पर 30 दिवस में समयबद्ध कार्यवाही सुनिश्चित की जाती है । अभी तक 10 हे0 से कम निजी वृक्ष आच्छादित क्षेत्रों की लगभग 2947 प्रबंध योजनाएं निर्मित की गई जिसमें से 2916 प्रबंध योजनाएं सक्षम अधिकारी द्वारा एवं 10 हे0 से अधिक क्षेत्र की 31 प्रबंध योजनाएं भारत शासन द्वारा स्वीकृत की गई हैं । लोकवानिकी योजना के अंतर्गत भूमि स्वामियों को उनकी विदोहित काष्ठ के एवज में 1640 प्रकरणों में राशि रू. 27. 61 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है ।

विस्तार योजना के अंतर्गत 173 किसान सम्मेलन, 52 कार्यशाला एवं 8 अध्ययन प्रवास आयोजित किये गये जिसमें 27822 कृषकों, कर्मचारियों तथा वानिकी विदों द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त किया गया । प्रदेश में अब तक 8252 भूमिस्वामियों के पास उपलब्ध कुल 27072 हे0 वृक्ष आच्छादित क्षेत्रों की पहचान की गई है ।

4-4 ou ¼laj{k.k½ vf/kfu;e 1980

4-4-1 ou Hkwfe O;iorZu dk izdj.kksa esa Lohd`fr dh fLFkfr

वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत वनभूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु व्यपवर्तन की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा दी जाती है। विभिन्न संस्थाओं से 31.10.2011 की स्थिति में 1162 प्रकरण प्राप्त हुए ,जिनमें 761 प्रकरणों में 135386.861 हेक्टेयर वनभूमि के व्यपवर्तन हेतु अंतिम चरण की स्वीकृति दी गई है,तथा 191 प्रकरण अस्वीकृत हुए है। कुल लंबित 210 प्रकरणों में से प्रथम चरण की स्वीकृति प्राप्त 115 प्रकरण औपचारिक स्वीकृति हेतु विभिन्न स्तर पर लंबित है। इनमें से 90 प्रकरण आवेदक स्तर पर, 25 प्रकरण भारत सरकार स्तर पर लंबित है। प्रथम चरण की सैद्धांतिक स्वीकृति हेतु 95 प्रकरण लंबित है,जिनमें से 61 प्रकरण आवेदक स्तर पर, 2 प्रकरण मुख्य वन संरक्षक एवं 32 प्रकरण भारत सरकार स्तर पर लंबित है।

4-4-2 ,d gsDVs;j ls de ou Hkwfe dk O;iorZu

भारत सरकार द्वारा वन सिंरक्षणक्रअधिनियम 1980 के अंतर्गत जनवरी 2005 से कुछ शर्तों के अधीन शासकीय विभागों को एक हेक्टेयर से कम वन भूमि के व्यपवर्तन की स्वीकृति

के अधिकार राज्य शासन को प्रत्यायोजित किए गये थे। इस अधिकार के उपयोग की समय सीमा 31 दिसम्बर 2008 तक बढ़ाई गई थी। भारत सरकार द्वारा यह अवधि उनके पत्र दिनांक 11.9.2009 द्वारा 31 दिसम्बर 2013 तक उन क्षेत्रो के लिए बढ़ाई गई है, जो अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी र्विन अधिकारों की मान्यताक्र अधिनियम 2006 की परिधि के बाहर हैं। इसके अंतर्गत स्कूल, अस्पताल, विद्युत व संचार लाईनें, पेय जल की व्यवस्था, रेनवाटर हारवेस्टिंग, गैर परंपरागत { र्जा स्रोत, व्यावसायिक प्रशिक्षण केद्र, विद्युत सब स्टेशन, छोटी सिंचाई नहरें, संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस स्थापना जैसे कि पुलिस स्टेशन, आउट पोस्ट, वाच टावर इत्यादि निर्माण कार्य लिए जा सकते हैं। 22.11.2011 की स्थिति में वन सिंरक्षणक्र अधिनियम 1980 के अंतर्गत कुल 279 प्रकरण स्वीकृत किये गये, प्रकरणों की कुल व्यपवर्तित वन क्षेत्रफल 96.213 हेक्टेयर है।

4-4-3 ou vf/kdkj vf/kfu;e d: vrxr ou Hkfe dk 0;iorlu

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी र्विन अधिकारों की मान्यताक्र अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 की धारा 3 र्2क्र के तहत ग्राम सभा की अनुशंसा पर एक हेक्टेयर से कम वन भूमि, जिनमें प्रति हेक्टेयर 75 से अधिक वृक्ष नहीं काटे जाएंगे, निम्न विकास कार्यो के लिए व्यपवर्तन हेतु निर्धारित शर्तो पर स्वीकृति के अधिकार प्रावधानित किये गये –

पाठशालाएं, चिकित्सालय, आंगन बाड़ी, उचित मूल्य की दूकानें, विद्युत एवं दूरसंचार लाईनें, टंकियां और अन्य लघु जलाशय, पेयजल की आपूर्ति हेतु जल प्रदाय के लिए पाईप लाईनें, जल या वर्षा जल संचयन संरचनाएं, लघु सिंचाई नहरें, अपारम्परिक { र्जा स्रोत, कौशल उन्नयन व व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र, सड़कें तथा सामुदायिक केन्द्र।

स्वीकृति हेतु विस्तृत प्रि या भारत सरकार के पत्र 23011 /15/2008 एसजी 11 दिनांक 18 मई 2009 द्वारा जारी की गई है, तथा राज्य शासन द्वारा इस संबंध में निर्देश दिनांक 29.5.2009 को जारी किए गए हैं। दिनांक 22.11.2011 की स्थिति में मुख्यतः वर्षा जल संचयन संरचनाएं, र्लिघु जलाशय, तालाब निर्माणक्र सड़के, पाठशाला, विद्युत, अन्य मार्ग उन्नयन कार्य आदि प्रयोजनों के लिये, 471 प्रकरण स्वीकृत किये गये हैं, प्रकरणों का व्यपवर्तित वनक्षेत्र 232.603 हेक्टेयर है।

4-4-4 i/kkueU=h xzkeh.k lM+d ;kstuk d vrxr ekxk d mUu;u dh Lohdfr

भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 30.4.2005 के तारतम्य में वन क्षेत्र से गुजर रहे मार्गों के उन्नयन हेतु वन मंडलाधिकारी को प्रत्यायोजित अधिकारो के तहत म0प्र0 शासन वन विभाग के ज्ञापन दिनांक 17.5.2005 द्वारा वनमंडलाधिकारी को वनक्षेत्रों के गुजर रहे 25.10.1980 के पूर्व के कच्चे मार्गो के उन्नयन हेतु डिामरीकरण हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति के बादक्र सशर्त अनुमति जारी करने के लिए अधिकृत किया गया हैं। राज्य शासन के पत्र दिनांक 21.11.2006 में उपलब्ध मार्ग में ही राईट आफ वे के तहत स्वीकृति हेतु समस्त वनमंडलाधिकारियें को निर्देश दिये गये। भारत सरकार की 2006 की पर्यावरणीय अधिसूचना के परिपेक्ष्य में उक्त योजनांतर्गत सड़को के उन्नयन हेतु अलग से पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्यकता नही हैं।

उक्त अनुमति के तहत अब तक वनमंडल स्तर पर अक्टूबर 2011 की स्थिति में प्राप्त 1948 प्रकरणो में से 1925 प्रकरणों की स्वीकृति दी गई है। 21 प्रकरण वन सिंरक्षणक्र अधिनियम एवं सर्वोच्च न्यायालय की स्वीकृति हेतु भेजे गये। 2 प्रकरण वनमंडल स्तर पर लंबित है।

4-4-5 dEik l iklr jkf'k dk mi;kx

वन सिंरक्षणक्र अधिनियम 1980 के अंतर्गत माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 29.10.2002 के परिप्रेक्ष्य में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण र्किम्पाक्र से प्राप्त राशि के उपयोग के संबंध में निम्नानुसार निकाय तथा समितियों का गठन किया गया –

1. मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश दिनांक 11.8.2009 द्वारा माननीय मुख्य मंत्रीजी की अध्यक्षता में नीति निर्धारण तथा समीक्षा हेतु शासी निकाय का गठन किया

गया। माननीय मंत्री, वन विभाग, वित्त विभाग एवं योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी तथा अन्य अधिकारी इस निकाय के सदस्य हैं। सचिव, वन विभाग इस निकाय के सदस्य–सचिव हैं।

2. मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश दिनांक 11.8.2009 द्वारा मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय संचालन समिति (स्टियरिंग कमेटी) का गठन किया गया। अन्य अधिकारी सदस्यों के अतिरिक्त भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के प्रतिनिधि एवं अशासकीय संगठन के दो प्रतिनिधि इस समिति के सदस्य तथा अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबन्ध) सदस्य–सचिव हैं।

3. मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग के आदेश दिनांक 31.7.2009 द्वारा प्रधान मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में कार्यकारिणी समिति का गठन किया गया। अन्य अधिकारी सदस्यों के अतिरिक्त अशासकीय संगठनों के दो प्रतिनिधि इस समिति के सदस्य तथा अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास) सदस्य–सचिव हैं।

भारत सरकार के उक्त निर्देशों के अनुसरण में एड–हॉक कैम्पा मद में 24.11.2011 तक रूपये 1158.25 करोड़ की राशि जमा की जा चुकी है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में अगस्त 2009 में भारत सरकार से प्राप्त राशि रूपए 53.04 करोड़ से 215 वनीकरण योजनाओं का ि यान्वयन किया जा रहा है। द्वितीय किश्त के रूप में अक्टूबर 2010 में प्राप्त रूपए 50.96 करोड़ से 39 वनीकरण योजनाओं एवं एन.पी.व्ही. मद से वन संरक्षण एवं विकास के कार्यों का ि यान्वयन किया जा रहा है।

4-5 ou Hk&vfHkys[k

4-5-1 ouxkek dk jktLo xkek e ifjofrr djuk

मध्य प्रदेश के 29 जिलों में 925 वन ग्राम हैं, जिनमें से 827 वन ग्रामों को राजस्व ग्रामों में परिवर्तित करने के जिलेवार प्रस्ताव भारत सरकार को जनवरी 2002 से जनवरी 2004 तक की अवधि में प्रेषित किए गए हैं। 925 वनग्रामों में से 15 वीरान एवं 17 विस्थापित हैं, 27 राष्ट्रीय उद्यानों में और 39 अभ्यारण्यों में स्थित हैं। इन 98 वनग्रामों के लिए प्रस्ताव भारत सरकार को नहीं भेजे गये हैं। 827 वन ग्रामों में से 310 वनग्रामों के लिए भारत सरकार द्वारा अक्टूबर 2002 से जनवरी 2004 के मध्य सैद्धांतिक स्वीकृति जारी की गई है। शेष 517 वन ग्रामों के प्रकरण भारत सरकार स्तर पर विचाराधीन हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 24.2.2004 द्वारा भारत सरकार की उक्त स्वीकृति पर स्थगन जारी किया गया है।

अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3 के अनुसार वनग्रामों को राजस्व ग्रामों में परिवर्तित किया जा सकता है, जिसके लिए ग्राम सभा में दावा प्राप्त होने पर आवश्यक कार्यवाही की जा सकती है। मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग के परिपत्र दिनांक 7.6.2009 द्वारा सभी जिलाध्यक्षों तथा वन मंडलाधिकारियों को उक्त अधिनियम के अंतर्गत दावा प्राप्त होने पर वनग्रामों को राजस्व ग्रामों में परिवर्तन करने संबंधी आवश्यक कार्यवाही करने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं।

4-5-2 ou jktLo lhekadu

राज्य शासन के निर्देशानुसार वन एवं राजस्व विभाग द्वारा संयुक्त सीमांकन की कार्यवाही की जा रही है। वन सीमा से लगे ग्रामों की कुल संख्या 19,717 है, जिसमें से 19,491 (98 प्रतिशत) ग्रामों के सीमा विवाद का निराकरण किया जा चुका है। शेष 226 ग्रामों में मुख्यतः नक्शे उपलब्ध न हो पाने के कारण निराकरण में कठिनाई हो रही है।

राजस्व विभाग द्वारा वनभूमि को राजस्व भूमि मानकर दिए गए पट्टों को सीमा विवाद हल करने की प्रि या में चिन्हित एवं निरस्त करने की जानकारीः–

rkfydk 4-3

iVVk dk i:dkj	fpUgkfdr l:[;k	fujLr l:[;k	fujLr jdck हैक्टेयर में क्र
कृषि	28,655	10,764	14,216
उत्खनन	17	17	22
आवासीय	447	181	19
;kx	29]119	10]962	14]257

4-5-3 ou 0;oLFkkiu vf/kdkjh }kjk ou Hkfe d: vf/kdkjk dk 0;oLFkkiu

भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा ''4'' के अन्तर्गत प्रस्तावित आरक्षित वन अधिसूचित किये जाते हैं। प्रस्तावित आरक्षित वनों के वन खण्डों की धारा 6 से 19 तक की विधिक कार्यवाही करने हेतु वन व्यवस्थापन अधिकारियों की नियुक्तियां की जाती हैं। वर्ष 1988 से वन व्यवस्थापन के लिए अनुविभागीय अधिकारी रिंजस्वक्र को वन व्यवस्थापन अधिकारी बनाया गया है। वर्ष 1988 से यह कार्य विभिन्न कारणों से पूर्ण नहीं होने पर वन विभाग द्वारा दिसम्बर 2003 में वन व्यवस्थापन अधिकारियों हेतु मार्गदर्शी निर्देश/ प्रि या संकलित कर जिलाध्यक्ष के माध्यम से समस्त वन व्यवस्थापन अधिकारियों को भेजी गई तथा उनका प्रशिक्षण भी जिला स्तर पर कराया गया फिर भी वन व्यवस्थापन के कार्य में वांछित प्रगति प्राप्त नहीं हुई ।

राज्य शासन के परिपत्र क्रमांक/एफ–25/54/2003/10–3, दिनांक 10.5.2006 द्वारा इस कार्य हेतु सेवा–निवृत्त उप जिलाध्यक्षों को संविदा आधार पर नियुक्त करने का निर्णय लिया गया। प्रारंभ में 11 जिलों िपन्ना, छिंदवाड़ा, सतना, छतरपुर, सीधी, गुना, रतलाम, रायसेन, सागर, शहडोल एवं सिवनीक्र के लिए स्वीकृति प्राप्त हुई । उक्त स्वीकृति के विरूद्ध छिन्दवाड़ा, सतना,गुना रतलाम, रायसेन, सागर में संविदा के आधार पर नियुक्ति की गई थी। आशातीत प्रगति न होने के कारण वर्तमान में किसी भी जिले में संविदा के आधार पर वन व्यवस्थापन अधिकारी कार्यरत नहीं है।

मध्यप्रदेश शासन वन विभाग का पत्र मांक/एफ–3–122/2006/10–1 दिनांक 17. 09.11 द्वारा एवं पत्र मांक एफ–25 –70/2003/10–3/डी05 दिनांक 03.01.11 के पैरा 5 के अनुसार मुख्य सचिव म0प्र0 के निर्देशानुसार अब यह कार्य जिले में कार्यरत डिप्टी कलेक्टर/एस0डी0एम0 द्वारा ही किया जाना है। वर्णित स्थिति में पूर्व से नियुक्त व्यवस्थापन अधिकारियों की संविदा नियुक्ति में सेवा वृद्धि किया जाना संभव नही है। और ऐसी नई नियुक्तियॉ भी नहीं की जा सकती ।

वर्तमान में भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा–4 मे अधिसूचित 6,520 वनखंडों की 30,04,624 हेक्टेयर भूमि के संबंध में धारा 6 से 19 तक की वन व्यवस्थापन की कार्यवाही लंबित है। मुख्य सचिव द्वारा दिनांक 23.12.2010 को परख कार्य म के अंतर्गत की गई वन व्यवस्थापन कार्य की समीक्षा के उपरांत मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग के पत्र दिनांक 03.01. 2011 द्वारा निर्देश जारी किए गए कि जिन प्रकरणों में भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा –6 के अंतर्गत उद्घोषण जारी हुए अत्यधिक समय हो चुका है, उन प्रकरणों में पुनः धारा –6 की उद्घोषणा जारी की जाये। जिलों में अनुविभागीय अधिकारियों रिंजस्वक्र की कमी के परिप्रेक्ष्य में मुख्य सचिव द्वारा निर्देश दिये गये हैं कि जिले में पदस्थ अन्य उप जिलाध्यक्षों को इस कार्य के लिए अनुविभागवार अधिकृत किया जाये। इस कार्य के लिए अधिकृत उप जिलाध्यक्ष को जिले के एक से अधिक अनुविभागों में भी व्यवस्थापन का कार्य सौंपा जा सकता है।

&&&&&&&&&

4-6 l;qDRk ou izca/ku

राष्टीय वन नीति के अनुसरण में जन भागीदारी सुनिश्चित करने के लिये वन विभाग ने संयुक्त वन प्रबंधन की अवधारणा को अंगीकार किया है। वन सुरक्षा एवं वन विकास के समस्त कार्यों में जन भागदारी को सुनिश्चित करने के लिये मध्यप्रदेश शासन द्वारा 22 अक्टूबर 2001 को संशोधित संकल्प पारित किया गया है, जिसमें तीन प्रकार की संयु७ वन प्रबंधन समितियों के गठन करने का प्रावधान है – l?ku ou {k=k e ou lqj{kk lfefr] fcxM ou {k=k e xke ou lfefr rFkk lqjf{kr {k=k e bdk fodkl lfefrA

संकल्प के अनुसार वोट देने का अधिकार रखने वाले समस्त ग्रामीण आम सभा के सदस्य होंगे। राज्य शासन द्वारा वर्ष 2008 में संकल्प की कंडिका 5.2 को संशोधित करते हुये अध्यक्ष पद के एक तिहाई पद महिलाओं हेतु आरक्षित किये गये हैं, साथ ही अध्यक्ष व उपाध्यक्ष में से एक पद महिला का होना अनिवार्य किया गया है। अनूसचित जाति, जनजाति व पिछडा वर्ग के सदस्यों का अनुपात ग्राम सभा में यथासंभव इनकी जनसंख्या के अनुपात में होगा तथा कार्यकारिणी में न्यूनतम 33 प्रतिशत महिलाएं होंगी।

4-6-1 ou lfefr;k d ykHkka'k dk forj.k &

मध्यप्रदेश शासन ने 2008 में निर्णय लिया है कि वन समितियों को लाभांश का प्रदाय म.प्र. शासन के वर्ष 2001 के संकल्प के अनुसार इमारती लकड़ी के लाभ का 10 प्रतिशत एवं बांस के लाभ का 20 प्रतिशत लाभांश संयु७ वन प्रबंधन समितियों को वितरित किया जाये।
वर्ष 2000–01 से वर्ष 2011–12 तक वितरित लाभांश का विवरण निम्नानुसार हैः–

¼jkf'k yk[k :i;s e½

Ø-	o"kZ	lfefr dk n; ykHkka'k
1.	2001-02	785.36
2.	2002-03	392.24
3.	2003-04	1095.03
4.	2004-05	821.81
5.	2005-06	1559.10
6.	2006-07	900.70
7.	2007-08	1245.30
8.	2008-09	1416.60
9.	2009-10	1564.20
10	2010-11	2874.71
11.	2011-12	2315.70
;kx% &		**14970.75**

4-6-2 ou lfefr lnL;k dk nh tk jgh lqfo/kk,s &

संयुक्त वन प्रबंध समितियों के सदस्यों को आजीविका के साधन उपलब्ध कराने हेतु वर्तमान में विशेष प्रयास किये जा रहे हैं।

4-6-2-¼i½ tudY;k.kdkjh oLrqvk dk iznk; & संयुक्त वन प्रबंध समितियों के सदस्यों को जागरूकता उत्पन्न करने तथा वन संरक्षण में प्रोत्साहन दिये जाने हेतु वर्तमान में विशेष प्रयास किये जा रहे हैं।

समिति के सदस्यों को निम्नानुसार सामग्री वितरित की गई है:–

क्र0	सामग्री का नाम	संख्या
1.	कम्बल	69418
2.	सामुदायिक उपयोग के बर्तन के सेट	490
3.	साईकिल	1566
4.	सिलाई मशीन	407
5.	एल.पी.जी गैस के कनेक्शन	12218
6.	प्रेशर कुकर	38673
7.	राशन कार्ड	9898

कार्पोरेट सोशल रिस्पान्सिबिलिटी के अन्तर्गत पावर ग्रिड कार्पोरेशन, वेस्टर्न कोल फील्ड तथा नार्दन कोल फील्ड से राशि प्राप्त कर संयुक्त वन प्रबंध समितियों को विभिन्न प्रकार के संसाधन जैसे कम्बल, प्रेशर कुकर, साईकिल इत्यादि उपलब्ध कराये गये हैं। इससे समिति के सदस्यों की जलाऊ पर निर्भरता कम हुई है और समय की बचत भी हुई है। बचत किये हुये समय को आर्थिक उत्पादकता के कार्यों में उपयोग किया जा रहा है।

4-6-2 (ii) संयुक्त वन प्रबंध समितियों की खेलकूद की प्रतियोगिता सह प्रशिक्षण सहित आयोजन –

मध्य प्रदेश के युवाओं को संयुक्त वन प्रबंध से जोड़ने के लिये वन समितियों के परिक्षेत्र स्तरीय, वन मण्डल स्तरीय, वृत्त स्तरीय, जोन स्तरीय एवं राज्य स्तरीय कबड्डी तथा वालीवॉल प्रतियोगिता प्रारंभ की गई है। संयुक्त वन प्रबंध समितियों के राज्य स्तरीय महा–सम्मेलन तथा संयुक्त वन प्रबंध समितियों की प्रथम राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिताओं का समापन समारोह सह प्रशिक्षण दिनांक 17.11.2011 को लाल परेड ग्राउंड में आयोजित किया गया। खेलों से "युवा ऊर्जा" को वन संरक्षण तथा प्रबंध में जोड़कर एक सकारात्मक सोच विकसित की जा रही है, जिससे कि स्थानीय समुदाय में वन विभाग के प्रति सकारात्मक संबंध स्थापित हो सके।

4-6-2-(iii) सार्वजनिक वितरण प्रणाली में भागीदारी – वनांचलों में निवासरत ग्रामीणों को सुगमता से राशन उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से संयुक्त वन प्रबंध समितियों के माध्यम से सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्रियान्वयन का निर्णय लिया गया। इसके अन्तर्गत 48 जिलों के 63 वनमंडल एवं 6 राष्टीय उद्यान के कुल 970 संयुक्त वन प्रबंध समितियों द्वारा दुकान संचालन हेतु आवेदन पत्र संबंधित जिलाध्यक्ष कार्यालय (खाद्य शाखा) को प्रस्तुत कर दिये गये हैं। जिलाध्यक्ष खाद्य शाखा द्वारा विभिन्न जिलों की 490 संयुक्त वन प्रबंध समितियों को राशन की दुकान संचालित करने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है।

4-6-3 शहीद अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार – मध्यप्रदेश शासन ने प्रतिवर्ष वन रक्षा एवं वन संवर्धन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली संस्थाओं और व्यक्तियों के लिये शहीद अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार दिये जाने का निर्णय लिया है। वर्ष 2001 से 2005 तक तीन वर्गों में पुरस्कार दिये गये हैं तथा 2006 से शासकीय एवं अशासकीय व्यक्तियों को व्यक्तिगत पुरस्कार पृथक–पृथक दिये जाने का निर्णय लिया गया है। वर्तमान में कुल पांच वर्गों में पुरस्कार दिये जा रहे हैं। वन रक्षा एवं वन संवर्द्धन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली संस्था को एक लाख रूपये नकद एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है।

वन रक्षा एवं संवर्द्धन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्ति (शासकीय एवं अशासकीय) को पचास–पचास हजार रूपये नगद तथा प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। इसी प्रकार वन्यप्राणियों की रक्षा में अदम्य साहस व सूझबूझ का प्रदर्शन करने वाले व्यक्ति (शासकीय एवं अशासकीय) को पचास–पचास हजार रूपये नकद एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। पूर्व के वर्षों में प्रदत्त पुरस्कारों के विजेताओं के नाम निम्न तालिका में दर्शित हैं –

तालिका 4.8

वर्ष	पुरस्कृत संस्था	वन रक्षा एवं वन संवर्द्धन के लिये पुरस्कृत व्यक्ति	वन्य प्राणियों की रक्षा के लिये पुरस्कृत व्यक्ति
2007	ग्राम वन समिति, रूपाखेडा, झाबुआ	श्री सत्यपाल जैन, मण्डला (शास.)	श्री वेदप्रकाश विश्नोई, हरदा (अशास.) एवं श्री चंद्रभान सिंह, वनपाल उमरिया (शास.)
2008	वन सुरक्षा समिति, सीवल, बुरहानपुर	श्री कैशरी सिंह खंगार, जबलपुर (अशास.)एवं श्री अजय मिश्रा, वन रक्षक, पश्चिम छिन्दवाडा वनमण्डल(शास.)	श्री हीरालाल यादव, टीकमगढ़, (अशास.) एवं श्री सुभाष उईके, वन रक्षक, दक्षिण बालाघाट, वनमण्डल, (शास.)
2009	वन सुरक्षा समिति, जम्बुपानी, बुरहानपुर	श्री संजय कश्यप, राजगढ,. (अशास.)एवं श्री ओम प्रकाश पटेल, वन परिक्षेत्र अधिकारी, कान्हा रा.उ.मण्डला (शास.)	श्री वनराज जडेजा, छिन्दवाडा, (अशास.)एवं श्री ऋषिराज तिवारी, दैनिक वैतन भोगी, कटनी, (शास.)

4.6.4 बसामन मामा स्मृति वन्य प्राणी संरक्षण पुरस्कार –

मध्यप्रदेश शासन द्वारा वन्य प्राणी संरक्षण हेतु पुरस्कार निम्न दो श्रेणियों की घोषणा की गई –

1. **विन्ध्य क्षेत्र हेतु पुरस्कार –** यह पुरस्कार शासकीय तथा अशासकीय व्यक्तियों के लिये होगा, जिन्हें प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार मशः रू. 2.00 लाख, 1.00 लाख तथा 50 हजार दिये जाएेंगे। यह पुरस्कार मरणोपरांत भी दिया जा सकेगा।

2. **राज्य स्तरीय पुरस्कार –** निजी भूमि पर उत्कृष्ट वृक्षारोपण के लिये यह पुरस्कार दो श्रेणियों में दिया जाएगा। 5 हैक्टेयर से अधिक तथा 5 हैक्टेयर से कम भूमि पर, 5 वर्ष से अधिक उम्र के उत्कृष्ट वृक्षारोपण हेतु। प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार मशः रू. 2.00 लाख, 1.00 लाख तथा 50 हजार दिये जाएेंगे।

वर्ष 2009 में पुरस्कार विजेताओं के नाम निम्नलिखित है :–

तालिका 4.9

पुरस्कार वर्ग श्रेणी	प्रथम पुरस्कार विजेता	द्वितीय पुरस्कार विजेता	तृतीय पुरस्कार विजेता
विन्ध्य क्षेत्र स्तरीय पुरस्कार (शासकीय)	श्री मुनिराज पटेल, उपवन क्षेत्रपाल, वनमण्डल सतना	श्री रोहित प्रसाद मिश्रा, वनपाल, वनमण्डल उमरिया	–
विन्ध्य क्षेत्र स्तरीय पुरस्कार (अशासकीय)	श्री बालेन्दु द्विवेदी, ग्राम किरहाई, जिला सतना	श्री इंद्रभान सिंह बुन्देला, ग्राम जनकपुर, जिला पन्ना	श्री रामानुज प्रसाद शुक्ला, रीवा
राज्य स्तरीय पुरस्कार (5 हैक्टेयर से अधिक)निजी क्षेत्र में वृक्षारोपण	श्री नरसिंह रंगा, जबलपुर	श्री ब्रजेन्द्र तिवारी, लश्कर, ग्वालियर	श्री महेन्द्र सिंह, शिवपुरी
राज्य स्तरीय पुरस्कार (5 हैक्टेयर से कम) निजी क्षेत्र में वृक्षारोपण	श्रीमती महारानी बहू, जिला सागर	श्रीमती कीर्ति सिंह, रेहली, जिला सागर	श्री लूणाजी काग, गुलाटी, धार

4-7 vkthfodk &

वनों के समीप रहने वाले ग्रामवासी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति तथा जीविकोपार्जन के लिए मुख्यतः वनों पर निर्भर हैं। इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वनों पर निरंतर दबाव बना रहता है। वन उत्पादों पर आधारित उद्यमों तथा अन्य वैकल्पिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए विभाग प्रयासरत है, ताकि ग्रामों का सामाजिक आर्थिक विकास भी संभव हो एवं वनों पर बढ़ते जैविक दबाव में कमी लायी जा सके।

जन संकल्प 2008 में वन विभाग को यह लक्ष्य दिया गया है कि वृक्षारोपण, वन संरक्षण, वनोपज आधारित कुटीर उद्योग आदि क्षेत्र में 25,000 वनवासी युवकों के लिए रोजगार के लिये अवसर सृजित किए जाएं। इसकी पूर्ति के लिए एक कार्य योजना तैयार की गई है, जिसमें निम्नानुसार गतिविधियॉ सम्मिलित की गई हैं–

o"kZ	m|e dk izdkj	lHkkfor vkthfodk dh volj dh la[;k	miyfC/k
2009–10	लाख य एवं प्रसंस्करण, सबई घास, बांस आधारित कॉमन फेसिलिटी सेन्टर, चिन्दी से रस्सी निर्माण, दोना पत्तल निर्माण, आंवला प्रसंस्करण	7,250	7200
2010–11	दोना पत्तल निर्माण, अगरबत्ती काड़ी निर्माण, केतकी रेशा रस्सी निर्माण, मधुमक्खी पालन व शहद प्रसंस्करण, महुआ फूल एवं महुआ गुल्ली प्रबंधन, वन रोपणी, बांस हितग्राही, ईकोपर्यटन	6,871	4217
2011–12	मधुमक्खी पालन व शहद प्रसंस्करण, मेडिसनल प्लांट्स रिसोर्स ऑगमेन्टेशन, महुआ फूल एवं गुल्ली प्रबंधन	5,512	5293

4-7-1- yk[k dh [ksrh &

प्रदेश में लाख की खेती के माध्यम से दूरस्थ आदिवासी अंचलों में रोजगार बढ़ाने की अपार संभावनाएं हैं। लाख संसाधन की वृद्धि हेतु तीन वर्षों में लाख की 40 नर्सरियों की स्थापना का लक्ष्य है, जिसमें से 2010–11 में 10 नर्सरियां स्थापित की जा चुकी हैं। तीन वर्षो के दौरान 3100 कृषकों को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य है तथा वित्तीय वर्ष में 920 कृषकों को अब तक प्रशिक्षित किया गया है। लाख उत्पादन की यह गतिविधि मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज संघ के अंतर्गत प्रारंभ की गई है। अन्य सहयोगी जनजाति कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, आयुष विभाग एवं ग्रामीण विकास विभाग हैं।

लाख उत्पादन का लक्ष्य एवं उपलब्धि निम्नानुसार रही –

xfrfof/k	तीन वर्ष के लिये लक्ष्य	वर्ष 2010–11 उपलब्धि	वर्ष 2011–12 लक्ष्य	तृतीय त्रैमास तक उपलब्धि
1. नर्सरी लिाख ब्रूड फार्म क्र की स्थापना	40	10	15	15
2. हितग्राहियों का प्रशिक्षण	3100	920	1100	551

नोटः– माह फरवरी में शेष लक्ष्यों की पूर्ति संभव हो सकेगी ।

4-7-2- Vlj mRiknu &

आजीविका उपलब्ध कराने हेतु टसर उत्पादन को तेजी से विकसित करने की वन एवं रेशम विभाग द्वारा संयुक्त रणनीति बनाई गई है। वनक्षेत्रों में टसर उत्पादन हेतु साजा, अर्जुन एवं साल के वृक्ष पर्याप्त संख्या में उपलब्ध हैं। तीन वर्षों में 30,000 हैक्टेयर क्षेत्र में टसर पालन का विस्तार किया जाएगा। इस योजना में 12,000 हितग्राही लाभान्वित होंगे।

प्रदेश से कोसा उत्पादन को बढ़ावा देने एवं दूसरे माध्यम से ग्रामीणों को सतत् रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्राकृतिक वनों में कोसा पालन के लिये उपयुक्त वन क्षेत्रों की पहचान करके समितियों के समितियों के माध्यम से हितग्राहियों का चयन किया गया है। नये वन क्षेत्रों में विस्तार के लिये महात्मा गांधी राष्टीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत कोसा पालन के लिये वृक्षारोपण की भी योजना है, चयनित हितग्राहियों के क्षमता विकास हेतु प्रशिक्षण कार्य म भी आयोजित किये जायेंगे।

टसर उत्पादन से जुड़ी प्रस्तावित गतिविधियों की जानकारी तालिका 4.7 में दर्शित हैं।

rkfydk 4-7

xfrfof/k	rhu o"kZ dk fy;k y{;	o"kZ 2010&11	o"kZ 2011&12
		miyfC/k	
1. कीटपालन हिैक्टेयरक्र	30,000	9,373	17331
2. ककून सिंख्या लाख मेंक्र	900	168,08	303
3. वन्या उपयोजना वृक्षारोपण हिैक्टेयरक्र	12,000	1,672	50
4. हितग्राहियों की संख्या	12,000	5,600	12778

नोटः– वर्ष 2012–13 में 9250 हेक्टेयर में वृक्षारोपण किया जायेगा।

4-7-3 ou fodkl vfHkdj.k &

वन विकास अभिकरण, संयुक्त वन प्रबंधन समितियों का शीर्ष संगठन है। इसके माध्यम से वन समितियों द्वारा मुख्य रूप से वृक्षारोपण का कार्य किया जाता है। आस्थामूलक कार्य, सूक्ष्म प्रबंध योजना निर्माण, भू एवं जल संरक्षण कार्य, जागरूकता प्रशिक्षण आदि इसके अन्य घटक है। क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक जिला स्तरीय अभिकरण का पदेन अध्यक्ष तथा क्षेत्रीय वन मण्डलाधिकारी पदेन मुख्य कार्यपालन अधिकारी होता है। जिले के विकास विभाग के प्रतिनिधि, जिलाध्यक्ष के प्रतिनिधि तथा वन समितियों के प्रतिनिधि वन विकास अभिकरण की सामान्य सभा के सदस्य होते हैं।

वर्तमान में प्रदेश में 57 क्षेत्रीय वन मण्डलों के वन विकास अभिकरणों में 1693 वन समितियां वृक्षारोपण कार्यों में ि याशील हैं। 2008–09 में 34 वन विकास अभिकरणों में 16,434 हैक्टेयर क्षेत्र में 65.73 लाख पौधों का रोपण किया गया। 2009–10 में 17,942 हेक्टेयर क्षेत्र में 71.76 लाख पौधों का रोपण किया गया है। वर्ष 2011–12 के लिये भारत सरकार द्वारा रूपये 20.71 करोड़ की राशि प्रदाय की गई है।

राष्टीय वनीकरण योजना के अन्तर्गत राज वन विकास अभिकरण का गठन ^^राष्टीय वनीकरण योजना'' के अंतर्गत राज्य वन विकास अभिकरण का गठन 19 अप्रैल, 2010 को किया जा चुका है। राष्टीय वनीकरण कार्य म के अंतर्गत प्रदेश की संयुक्त वन प्रबंध समितियों द्वारा 17,000 से 19,000 हेक्टेयर क्षेत्र में प्रतिवर्ष वृक्षारोपण कार्य किया जाता है। इससे समितियों के सदस्यों को घास, चारा, बांस छोटी लकड़ी तथा लघु वनोपज प्राप्त होते हैं।

4-7-4 ou xke fodkl ;kstuk &

प्रदेश के 867 वन ग्रामों में विकास कार्य ि यान्वित किये जा रहे हैं। इन कार्यो के लिये रूपये 259.94 करोड़ की परियोजना विभिन्न चरणों में भारत शासन से स्वी० त हुई है। 30 जून 2011 की स्थिति में रूपये 241.70 करोड़ की राशि उपयोग में ली गई है, जिसके अंतर्गत वन

ग्रामों में अधोसंरचना विकास कार्य जैसे जल संसाधनों का विकास तालाब, ट्यूबवेल, हैण्डपंप, कुंआ, स्टॉपडैम निर्माण सामुदायिक केन्द्र, आंगनवाड़ी, स्वास्थ्य केन्द्र, सड़क, रपटा, पुलिया निर्माण एवं { र्जा के वैकल्पिक स्त्रोत उपलब्ध कराना आदि लिये गये हैं। कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिये अनुश्रवण एवं मूल्यांकन की व्यवस्था की गई है। आंतरिक मूल्यांकन के अतिरिक्त कार्यों का मूल्यांकन राज्य वन अनुसंधान संस्थान, जबलपुर तथा भारतीय वन प्रबंध संस्थान, भोपाल द्वारा भी किया जा रहा है।

वनग्रामों के उत्थान के लिये रूपये 165.51 करोड़ की नई योजना तैयार की जा रही है। इसके अंतर्गत महिला सशक्तिकरण, जीविकोपार्जन, पेयजल व्यवस्था, कृषि तथा { र्जा विकास, अधोसंरचना विकास कार्य के अतिरिक्त सामाजिक गतिविधियों का संचालन प्रस्तावित है।

4-7-5 cUny[k.M idt –

बुन्देलखण्ड विशेष पैकेज में मशः तीन घटक सम्मिलित हैं, इन घटकों में निम्नानुसार राशि प्राप्त हुई हैं, प्राप्त राशि से मृदा एवं जल संरक्षण के कार्य कराये जा रहे हैंः–

- अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता – रू. 107.00 करोड़ प्राप्त।
- राष्टीय वनीकरण योजना – रू. 19.36 करोड़ प्राप्त।
- एन.आर.ई.जी.एस. – रू. 1.31 करोड़ प्राप्त और अधिक राशि प्राप्त करने की कार्यवाही की जा रही है।

उपरोक्त घटकों के अंतर्गत 68097 हेक्टेयर में मृदा एवं जल संरक्षण के कार्य] 7,700 हेक्टेयर में चारागाह विकास के कार्य कराये गये हैं। इस पैकेज से कुल 1913 ग्रामों के ग्रामीण लाभान्वित हुए हैं। कार्य प्रगतिरत हैं।

वर्ष 2011–12 तक दिनांक, 31.11.2011 तक 79.84 करोड़ के उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत शासन को प्रेषित किये जा चुके है।

4-8 xhfux bfM;k fe'ku &

भारत शासन के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा पचास लाख हैक्टे. वन क्षेत्र को वन आच्छादित करने तथा पचास लाख हैक्टे. वन क्षेत्रों में वन संबर्धन करने हेतु ग्रीनिंग इंडिया मिशन प्रारंभ किया गया है। परियोजना निर्माण की कार्यवाही प्रगति पर है। ग्रीनिंग इंडिया मिशन हेतु चयन किये गये कॉरीडोर निम्नलिखित है –

1. सतपुड़ा लेण्डस्केप।
2. कान्हा बांधवगढ कॉरीडोर।
3. कान्हा पेंच कॉरीडोर।
4. पेंच लेण्डस्केप।
5. सतुपड़ा लेण्डस्केप।
6. शिवपुरी–ग्वालियर लेण्डस्केप।
7. इंदौर–उज्जैन लेण्डस्केप।
8. खण्डवा लेण्डस्केप।
9. शहडोल लेण्डस्केप।
10. रीवा लेण्डस्केप।
11. भोपाल लेण्डस्केप।

4-9 <u>lh-Mh-,e- iktDV</u> & सी.डी.एम. प्रोजेक्ट के अन्तर्गत वृक्षारोपण कर कार्बन डाई आक्साइड के अवशोषण से निर्मित होने वाले ''कार्बन केडिटस'' की अन्तराष्टीय बाजार में बि ी करके प्रदेश के वानिकी कृषकों को लाभान्वित करने हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में दिनांक 11.08.2009 को भोपाल में कार्यशाला का आयोजन किया गया । इस हेतु प्रदेश के 23

जिलों में कार्य प्रारंभ करने के लिये जी.टी.जेड जिर्मन सरकारक्र एवं मध्यप्रदेश वन विकास अभिकरण के मध्य एम.ओ.यू किया गया है।

मध्य प्रदेश के 23 जिलों का चयन कर सी.डी.एम. क्षेत्रीय कार्यशालाओं का आयोजन दिनांक 12.07.2011 से दिनांक 08.08.2011 तक किया गया। सी.डी.एम. परियोजना प्रारम्भिक रूप से तैयार करने हेतु हरदा, देवास एवं जबलपुर जिलों का चयन किया गया है।

————————

4-8 ekuo lalk/ku fodkl

- प्रशिक्षण
- वन विद्यालय का संचालन
- दैनिक वेतन भोगियो से संबंधित कार्य
- जायका प्रोजेक्ट का कियान्वयन

वर्तमान में संचालित गतिविधियों का प्रगति प्रतिवेदन :–

1. lsok esa Hkrh mijkr izf'k{k.k

¼1-1½ lgk;d ou laj{kd

वर्ष 2010–11 में 25 सहायक वन संरक्षकों को सीधी भर्ती की गई। माह जुलाई 2011 से 24 सहायक वन संरक्षको को प्रशिक्षण हेतु देहरादून एवं कोयम्बटूर में भेजा गया है।

¼1-2½ ou{ks=iky

वर्ष 2010–11 में 85 वनक्षेत्रपालों की सीधी भर्ती की गई है। सीधी भर्ती किये गये वनक्षेत्रपालों को भारत सरकार से प्राप्त सीटों के अनुरुप निम्नानुसार संस्थााओं में 18 माह के प्रशिक्षण हेतु भेजा गया है :–

.	संस्था का नाम	सत्र	दिनांक	आबंटित सीट	उपस्थिति संख्या
1	वानिकी प्रशिक्षण अकादमी,हल्द्वानी	2011–12 द्वितीय सत्र	06.05.2011	13	13
2	वनक्षेत्रपाल महाविद्यालय बालाघाट	2011–12 तृतीय सत्र	01.07.2011	50	49
3	केन्द्रीय अकादमी राज्य वन सेवा बर्नीहाट ॅिसमक्र	2011–13 तृतीय सत्र	15.11.2011	13	13

¼1-3½ ouj{kd@ouiky izf'k{k.k

वर्ष 2088–09 में 2241 वनरक्षकों की सीधी भर्ती की गई है जिनका 06 माह का प्रशिक्षण प्रदेश के 08 वन विद्यालयों में चलाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त वन विद्यालयों में 45 दिवस का वनपाल प्रशिक्षण भी आयोजित है, जिसकी उपस्थित एवं आवंटन निम्नानुसार है :–

वन विद्यालय	आवंटन				उपस्थिति	
	वनरक्षक		वनपाल		वनरक्षक	वनपाल
	सत्र	संख्या	सत्र	संख्या		
वन विद्यालय शिवपुरी	1.4.10	102	1.3.10	25	93	13
	1.10.11	100	15.5.10	25	92	17
	-	-	15.7.10	25	-	10
	-	-	15.9.10	25	-	19
राजीव गांधी सहभागी वानिकी प्रशिक्षण संस्थान लखनादौन	1.4.10	50	15.7.10	25	49	23
	1.10.11	50	15.9.10	30	50	28
वन विद्यालय झाबुआ	1.4.10	40	15.9.10	25	39	23
	1.10.11	30	-	-	24	-
जैव विविधता प्रशिक्षण केन्द्र ताला,उमरिया	1.4.10	56	15.9.10	20	49	12
	1.10.11	30	-			-
वन विद्यालय बैतूल	1.4.10	100	15.7.10	25	86	18
	1.10.11	102	15.9.10	25	103	20
वन विद्यालय अमरकंटक	1.4.10	100	15.5.10	25	97	19
	1.10.11	110	1.8.10	25	84	23
		-	15.9.10	25	-	24
वन विद्यालय पंचमढ़ी	1.4.10	50	1.10.10	25	40	16
	1.10.11	50	-	-	47	-
वन विद्यालय गोविंदगढ़	1.4.10	50	-	-	42	-
	1.10.11	50	-	-	49	-

¼1-4½ inkUUkr ou{k=iky

पदोन्त वनक्षेत्रपालों के 06 माह के प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत प्रथम चरण के 15 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में सीट आबंटन एवं प्रशिक्षणार्थियों की वास्तविक उपस्थिति की जानकारी –

ou oRr	1-12-09 ls 15-12-09		1-01-10 ls 15-01-10		1-02-10 ls 15-02-10		2-03-10 ls 16-03-10		dy ;kx	
	lhV vkcVu	okLrfod mifLFkfr	lhV vkcVu	okLrfod mifLFkfr	lhV vkcVu	okLrfod mifLFkfr	lhV vkcVu	okLrfod mifLFkfr	lhV vkcVu	okLrfod mifLFkfr
बालाघाट	03	01	03	04	03	03	03	02	12	10
बैतूल	03	03	03	01	03	02	03	01	12	07
भोपाल	04	0	04	01	04	0	04	01	16	02
छतरपुर	03	0	03	0	03	0	03	0	12	0
छिन्दवाड़ा	04	0	04	04	04	02	04	03	16	09
ग्वालियर	03	01	03	03	03	02	03	0	12	06
होशंगाबाद	03	0	03	04	03	0	03	0	12	04
इंदौर	03	03	03	03	03	0	03	0	12	09
जबलपुर	03	0	03	02	03	0	03	01	12	03
खण्डवा	03	03	03	03	03	02	03	0	12	08
रीवा	04	01	04	01	04	01	04	0	16	03
सागर	03	02	03	0	03	0	03	0	12	05
सिवनी	03	01	03	01	03	02	03	02	12	06
शहडोल	03	0	03	03	03	03	03	0	12	06
शिवपुरी	02	01	02	01	02	01	02	03	08	06
उज्जैन	03	02	03	03	03	01	03	01	12	07
योग	50	18	50	34	50	19	50	14	200	91

1-5 fjQ'kj dkl ¼Mh-,Q-b- ngjknu }kjk i;kftr½

वन महाविद्यालय बालाघाट को छोडकर अन्य सभी वन विद्यालयों में डी.एफ.ई. देहरादून द्वारा 15 दिवसीय प्रायोजित रिफ्रेशर कोर्स आयोजित किया जा रहा है। वर्ष 2010–11 में 480 अग्रिम पंक्ति विनरक्षक/वनपाल एवं उप वनक्षेत्रपालक्रकर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया है।

2- lok d nkjku if'k{k.k %&

2-1 Hkkjrh; ou lok

- भारतीय वन सेवा अधिकारियों का एक सप्ताह प्रशिक्षण एवं 2 दिवसीय कार्यशाला भारत सरकार द्वारा आयोजित की जाती है।
- वर्ष 2010–11 में कुल 288 अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया ।

2-2 lgk;d ou lj{kd

- भारत सरकार की संस्थानों तथा अन्य संबंधित संस्थाओं में विशिष्ट प्रशिक्षण आयोजित किये जाते हैं।
- वर्ष 2010–11 में कुल 52 अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया ।

3- ,M;lV d ek/;e l if'k{k.k dk;Øe %&

- विभाग में आर.सी.वी.पी.नरोन्हा प्रशासन अकादमी, भोपाल के सहयोग से खेल परिसर में एडयूसेट केन्द्र स्थापित किया गया है।
- एडयूसेट के माध्यम से वर्ष 2009–10 में 28 प्रशिक्षण आयोजित किये गये है।
- विभाग में भर्ती किये गये नवीन वनरक्षकों के लिये वर्ष 2009–10 में 10 प्रशिक्षण दिये जा चुके हैं।

4- e|[; i:f'k{k.k l:LFkku %&

- jkT; d: ckgj Hkkjr ljdkj }kjk l:pkfyr
    - State Forest Service College , Dehradun
    - State Forest Service College , Coimbatore (Tamil Nadu)
    - Eastern Forest Rangers College , Kurseong
    - Central Soil and water conservation institute, Dehradun
    - Wildlife institute, Dehradun
- jkT; d: vUnj
    - भारतीय वन सेवा, राज्य वन सेवा, वनक्षेत्रपाल तथा विभिन्न स्तर के अधिकारियों को आर.सी.वी.पी नरोन्हा अकादमी, भोपाल में प्रशिक्षण हेतु भेजा जाता है। वर्ष 2010–11 में कुल 171 अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया।
    - उद्यमिता विकास केन्द्र, म0प्र0 सिंडमैपक्र के द्वारा आयोजित प्रशिक्षण में वर्ष 2010–11 में कुल 425 अधिकारी/कर्मचारियों को भेजा गया है।
    - लेखा प्रशिक्षण संस्थाओं में वर्ष 2010–11 में कुल 04 कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया है।

5- n:fud o:ru Hkkfx;k: l: l:cf/kr dk;: %&

- श्रमिक की सेवा से संबंधित मुद्दों/न्यायालयीन प्रकरणों की समीक्षा का कार्य इस कक्ष से सम्पादित किया जाता है।
- दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों से संबंधित जन शिकायत निवारण/मा.मुख्यमंत्री कार्यालय/मा.वन मंत्री/मा.सांसदों/ मा.विधायकों से प्राप्त पत्रों का निराकरण।
- 8826 दैनिक वेतन भोगी कार्यरत थे।
- इनमें से 1321 की वनरक्षक पद पर नियुक्ति किये गये हैं।
- शेष 7505 दैनिक वेतन भोगी वर्तमान में कार्यरत हैं।
- श्रमिकों की सेवा से संबंधित मुद्दों/न्यायालयीन प्रकरणों की समीक्षा का कार्य इस कक्ष से सम्पादित किया जाता है।
- दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों से संबंधित जन शिकायत निवारण/ मा.मुख्यमंत्री कार्यालय/मा.वन मंत्री/मा.सांसदों/ मा.विधायकों से प्राप्त पत्रों का निराकरण।
- 8826 दैनिक वेतन भोगी कार्यरत थे।
- इनमें से 1321 की वनरक्षक पद पर नियुक्ति किये गये हैं।
- शेष 7505 दैनिक वेतन भोगी वर्तमान में कार्यरत हैं।

6- tk;dk izkstsDV dk fØ;kUo;u %&

- JICA (Japan Internationl Cooperation Agency) से भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा 206.3 करोड का लोन लिया गया ।
- भारत सरकार द्वारा 10 राज्यों को यह राशि अनुदान के रूप में दी जायेगी जिसमें म0प्र0 राज्य भी सम्मिलित।
- म0प्र0 राज्य को इस प्रोजेक्ट के अन्तर्गत 20–25 करोड मिलने की संभावना ।

izkstsDV vUrxZr fuEu xfrfof/k;ka izLrkfor gSa %&

- प्रशिक्षण कला एवं कार्यप्रणाली का आधुनिकीकरण एवं सुधार।
- प्रशिक्षण संस्थाओं में अधोसंरचना विकास एवं उन्नयन।
- प्रशिक्षणार्थियों को जनभागीदारी से कार्य करने हेतु विशेष प्रशिक्षण।
- अवधि 5 वर्ष

4-9 lpuk ik|kfxdh

वर्तमान सामाजिक एवं राष्टेीय परिदृश्य में अनुशासन, पारदर्शिता, त्वरित नागरिक सेवा एवं प्रप्रासनिक दक्षता के लिये सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग अनिवार्यता बन चुका है। वन विभाग के लक्ष्यों एवं जन अपेक्षाओं की पूर्ति के लिये वन विभाग में गत कुछ वर्षों से वन व वन्य जीवों के संरक्षण तथा प्रबंधन में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग हेतु प्रभावी पहल की गई है। वानिकी एवं वन्य अनुगामी कार्यो को आयोजित करने, आयोजना, ि यान्वयन एवं अनुश्रवण में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग सुनिश्चित करने पर मुख्य रूप से विभाग द्वारा बल दिया जा रहा है। कम्प्युटर आधारित संचार नेटवर्क के माध्यम से एम.आई.एस. एवं जीयोस्पासियल आंकड़ो के पद्धतिबद्ध संग्रहण, भण्डारण एवं पुनः प्राप्ति द्वारा उपरोक्त कार्य सुनिश्चित किये जा रहे है।

4-9-1 icU/ku lpuk i.kkyh ¼,e-vkbZ-,l-½ &

विभागीय गतिविधियों में कसावट, पारदर्प्रिता एवं दक्षता लाने के लिये समस्त सूचनाओं के संग्रहण, प्रबंधन एवं आवप्र्यकतानुसार जानकारी प्राप्त करने के लिये– वैब आधारित सॉफटवेयर मोडयूल तैयार किये जा रहे है। जिसमें विभिन्न प्रकार तकनीकी को नवप्रवर्तनशील तरीके से एकीकृत रूप में उपयोग किया गया है। उपयोग में लाई गई इन तकनीकों में अन्तरिक्ष प्रणाली, भौगोलिक सूचना प्रणाली, सुदूर संवेदनशीलता, मोबाइल कम्प्युटिंग एवं संचार तकनीक प्रमुख है। समस्त सॉफ्टवेयर अप्लीकेशन वेब व कार्य प्रभाव पर आधारित है।

(i) अग्नि सचेतन प्रणाली fFire Alert Massaging Systemक्र में सुदूर संवेदन के माध्यम से जंगल में लगी आग का ना सिर्फ पता लगाया जाता है वरन् संबंधित अधिकारियों व फील्ड स्टाफ को मोबाईल पर इसकी सूचना भू–स्थानिक स्थिति समेत दी जाती है। यह एप्लीकेशन वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा अग्नि सुरक्षा कार्यो का अनुश्रवण करने में भी अत्यंत सहायक सिद्ध हुआ है।

(ii) वन्य प्राणी प्रबंधन प्रणाली fWildlife Management Systemक्र संरक्षित क्षेत्रों में वन्यप्राणियों के निवास स्थानों, जनसंख्या, घनत्व व वन्य प्राणियों की निगरानी रखने में वन्यप्राणी प्रबंधकों की मदद करती है। यह प्रणाली उपयोगकर्ता को वन्य प्राणियों की भू–स्थानिक जानकारी के साथ उनकी उपस्थिति में साक्ष्य के चित्र लेने में भी मदद करती है। साथ ही इसके द्वारा गश्तीदलों की भी मानीटरिंग की जाती है।

(iii) विभाग द्वारा भूमि सर्वेक्षण हेतु तैयार किये गए वन वासियों का सर्वेक्षण प्रणाली fForest Dwellers Survey Systemक्र के माध्यम से आदिवासी कल्याण विभाग द्वारा ि यान्वित किये जा रहे परम्परागत वन वासियों के वनाधिकारों की मान्यता नियम के अन्तर्गत भूमि का सर्वेक्षण एवं अभिलेख निर्माण का कार्य सम्पूर्ण मध्य प्रदेश में किया जा रहा है।

(iv) एम.आई.एस.के अन्तर्गत विभिन्न एप्लीकेप्रन से जैसे ई–ऑक्प्रन, कूप मार्किगं एवं रिकार्डिगं, जियोमैपिंग आदि का कार्य निर्माणाधीन है। शीघ्र ही इनको पूर्ण कर विभागीय कार्यो में उपयोग किया जावेगा। ई–ऑक्प्रन एप्लीकेप्रन की सहायता से इमारती लकड़ी की निलामी में बिडर देप्र के किसी भी भाग से निलामी में भाग ले सकेगा।

4-9-2 th-vkbZ-,l-¼HkkSxksfyd lpuk i.kkyh½&

वन क्षेत्रों के सभी नक्शों का डिजिटाईजेशन किया जा चुका है एवं ये डिजीटल नक्शो के रूप में संग्रहित है। समस्त क्षेत्रीय इकाईयों के डिजीटल नक्शेां को मिलाकर सम्पूर्ण मध्यप्रदेश के वन क्षेत्रों का एकीकृत डिजीटल मानचित्र तैयार कर लिया गया है इन डिजीटाईज्ड नक्शों का उपयोग "Geo Forest" application के माध्यम से क्षेत्रीय अधिकारी उपयोग कर सकते है।

4-9-3 foHkkxh; MkVk lsUVj ,oa dEI;wVj vk/kkfjr lapkj O;oLFkk dh LFkkiuk &

विभागीय आंकडो के सुरक्षित भण्डारण एवं संसाधन हेतु सूचना प्रौद्योगिकी शाखा भोपाल मुख्यालय में राज्य स्तर का विभागीय डाटा सेंटर स्थापित किया गया है। यह डाटा सेंटर जिला स्तर के कार्यालयों से 2 एमबीपीएस लीज्ड लाइन के माध्यम से जुडा हुआ है। इसके अतिरिक्त अन्य

कार्यालय इन्टरनेट के द्वारा इससे जुडकर विभागीय एप्लीकेशन्स का उपयोग करते है। आंकड़ो का संग्रहण वृहद रूप में सूचना प्रबंध प्रणाली एवं डिजीटल नक्शों के रूप में किया गया है।

1- ,MlV uVodl &

वानिकी क्षेत्र को तेजी से बदलने परिदृप्र्य में उत्कृष्ट नतीजे देने के लिये संस्थागत क्षमता वृद्धि अत्यन्त आवप्र्यक है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान (ISRO) के द्वारा संचालित एजुसेट उपग्रह के माध्यम से दूरस्य अंचलों में स्थित वन कर्मचारियें एवं समितियों के सदस्यों को प्रप्रिक्षित करने के लिए 52 स्थानों पर सूचना एवं प्रप्रिक्षण केन्द्र स्थापित कर भोपाल स्थित एडूसेट स्टूडियों से आवप्र्यक विषय वस्तु उपलब्ध कराई जा रही है। भोपाल में स्थित एजुसेट स्टूडियों से वक्ता समस्त 52 प्रप्रिक्षण केन्द्र (SIT) पर न केवल प्रप्रिक्षण देते है बल्कि श्रोताओं से सीधे संवाद भी करते है। इससे विभाग की प्रप्रिक्षण क्षमता में व्यापक वृद्धि हुई है।

2- fofM;k dkUQfl x lfo/kk&

भोपाल मुख्यालय सहित 16 क्षेत्रीय कार्यालयों में वीडियों कान्फ्रेंसिंग की सुविधा विकसित की गई है। इस सुविधा के माध्यम से नियमित रूप से मुख्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा क्षेत्रीय अधिकारियों से विभिन्न महत्वपूर्ण एवं सामयिक विषयों पर चर्चा आयोजित की जाती है एवं विभागीय प्राथमिकता के अन्तर्गत कार्यो की त्वरित रूप से ि यान्वयन हेतु निर्देश प्रसारित किये जाते है तथा विभिन्न कार्यो की प्रगति का अनुश्रवण किया जाता है।

3- vU; jkT;k dk rduhdh lgk;rk &

वन विभाग की सूचना प्रौद्योगिकी शाखा द्वारा कई अन्य राज्यों के शासकीय विभागों व संगठनों को Web Application Hosting, परामर्श, Digital Maps तकनीकों का स्थानान्तरण आदि जैसे क्षेत्रों में सेवाऐं प्रदान कर रहा है। जिससे गुजरात, केरल, महाराष्टे, झारखण्ड, उत्तर प्रदेश, जम्मू काश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा आदि राज्य लाभान्वित हो रहे है।

4- lkj Åtk l fctyh mRiknu &

राज्य शासन द्वारा इस वर्ष सौर { र्जा से बिजली उत्पादन की नवीन योजना स्वीकृत की है। इसके अन्तर्गत प्रदेप्र के सभी वन परिक्षेत्र कार्यालय, वन्य प्राणी कैम्प, वनोपज नाकों तथा वन चौकियों पर प्रत्येक में 1 kw क्षमता के Solar Photovoltaic System की स्थापना का कार्य प्रगति पर है एवं इस वित्तीय वर्ष में पूर्ण हो जावेगा। इसके लिए केन्द्र शासन द्वारा भी सहायता दी गई है। इससे इन कार्यालयों में लगतार बिजली उपलब्ध रहेगी एवं कम्प्यूटर नेटवर्क द्वारा सूचनाओं का आदान–प्रदान वरिष्ठ कार्यालयों से निरन्तर रहेगा जिससे विभागीय कार्यो के प्रबंधन एवं मोनिटरिंग अच्छे से हो सकेगी।

5- vU; %

(i) dUn 'kkfl r ;ktuk '' बुंदलेखण्ड विशेष पैकेज के अन्तर्गत दमोह, सागर, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ, दतिया जिलों के वाटरशेड के नक्शों का डिजीटाईजेशन कार्य पूर्ण हो चुका है।

(ii) वन क्षेत्रों एवं वाटरशेड क्षेत्रों का एकीकृत मानचित्र तैयार कर तथा मानचित्र पर वाटरशेड में हुए विकास कार्यो का अंकन प्रगति पर है।

(iii) विभाग द्वारा उच्च तकनीक युक्त हैन्ड सेट पिी.डी.ए. विथ जी.पी.एस.क्र य किये गये है जिनमें विभिन्न एप्लीकेप्रन अपलोड कर मैदानी अमले को प्रदाय किये जा रहे है जिसमें विभिन्न कार्य जैसे मुनारे, वन सीमा, प्लान्टेप्रन, क्षेत्र वन अपराध इत्यादि की सही जानकारी शीघ्रता से उपलब्ध हो सकेगी।

6- foHkkxh; i;kl k dh ekU;rk &

वन विभाग में सूचना एवं संचार, प्रौद्योगिकी के उपयोग हेतु किये गये प्रयासों की पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत शासन द्वारा सराहना की गई है। विभाग को "Digital Empowerment Foundation" का South Asia "Manthan Award", भारत शासन का "National Governance Award (Gold)" तथा NIC का "Web-ratna Award Gold Icon Award" प्राप्त हुआ है।

सू. प्रौ. शाखा द्वारा विकसित मोबाईल एप्लीकेशन को WSA-mobile 2010 अवार्ड एवं Integrated Financial & Forestry Works Management System को CSI -Nihilent e-Goverance प्राप्त हुआ हैं।

4-9-4 foRrh; miyfC/k &

वित्तीय उपलब्धि वर्ष 2010–11 एवं 2011–12 में सूचना प्रौद्योगिकी आवंटन एवं व्यय की जानकारी तालिका में दर्शित है :–

Ø-	ctV en	2010&11		2011&12	
		आवंटन र्लाख रू. मेंक्र	व्यय र्लाख रू. मेंक्र	आवंटन र्लाख रू. मेंक्र	व्यय र्लाख रू. मेंक्र दिसम्बर 11 तक
1	योजना शीर्ष 3877–12 मजदूरी	24.00	23.90	20.00	19.90
2	आधुनिक अग्नि सुरक्षा योजना र्5317क्र	749.76	620.00	167.93	120.10
3	प्रशासन सुदृढीकरण	105.00	58.76	411.00	317.50
4	प्रशिक्षण	4.50.00	3.94	30.00	12.00
	dqy ;ksx %&	883-26	706-60	658-93	469-50

&&&&&&&

Hkkx & ikp
efgykvks d: fy, fd, x, dk;l

वन विभाग की नीतियों व योजनाओं में महिलाओं को उपयुक्त स्थान दिया गया है। विभाग द्वारा राज्य की महिला नीति का पालन किया जा रहा है। नीति के अंतर्गत वन विभाग में प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्यालय में नोडल अधिकारी के रूप में मुख्य वन संरक्षक स्तर के अधिकारी की नियुक्ति की गई है तथा मुख्यालय में महिलाओं के लिए मध्यान्ह भोजन कक्ष की तथा अन्य मूलभूत सुविधाएं दी गई हैं।

कामकाजी महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकने के संबंध में कार्यालय में महिला अधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है तथा कार्यालय में विषय से संबंधित शिकायत पेटी स्थापित है।

राज्य की महिला नीति का पालन करते हुये महिलाओं की ईंधन संबंधी कठिनाईयों को कम करने के उद्‌देश्य से विभाग के सीमित संसाधनों से कार्य आयोजना के प्रावधान के अनुरूप जला{ लकड़ी का वृक्षारोपण किया जाता है। वर्ष 2009–10 में 109 गॉवों में 4,841 हेक्टेयर में जला{ लकड़ी का वृक्षारोपण एवं 126 गॉवों के 2,826 हेक्टेयर में चारागाह का रोपण किया गया।

विभाग में वन रक्षकों के पद पर भरती के लिए 10 प्रतिशत पद महिला अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रखे गए हैं। विभाग में चल रहे क्षेत्रीय कार्यो के लिए श्रमिकों के नियोजन में भी महिलाओं को बिना किसी भेदभाव के पुरुषों के समान ही पारिश्रमिक दिया जाता है।

संयुक्त वन प्रबंधन प्रणाली के अंतर्गत भी महिलाओं को महत्व प्रदान किया गया है। प्रदेश में गठित संयुक्त वन प्रबंधन समितियों की कार्यकारिणी में 33 प्रतिशत महिलाओं की सदस्यता आरक्षित की गई है। इसके अतिरिक्त वन समितियों के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के पदों में से एक पद पर महिला की नियुक्ति अनिवार्य की गई है तथा प्रदेश की समस्त वन समितियों में से एक तिहाई समितियों में अध्यक्ष के पद महिलाओं के लिये आरक्षित किये गए हैं।

प्रदेश में लघु वनोपज का संग्रहण सहकारिता के माध्यम से किया जाता है। इसके अंतर्गत गठित प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों की कार्यकारणी में कुल 15 सदस्यों मे से 11 निर्वाचित प्रतिनिधि रहते है, जिसमें दो महिला प्रतिनिधि का होना अनिवार्य किया गया है। जिला यूनियन की कार्यकारिणी समिति में कुल 16 सदस्य होते हैं, जिनमें से 10 निर्वाचित सदस्य होते हैं। इनमें भी दो महिला सदस्यों का होना अनिवार्य किया गया है। तेन्दूपत्ता संग्रहण कार्य में नियुक्त फड़ मुशियों में से यथा–संभव 50 प्रतिशत महिलाओं को नियुक्त करने के निर्देश भी है। मध्य प्रदेश ईकोपर्यटन विकास बोर्ड द्वारा चिन्हांकित ईकोपर्यटन गंतव्य स्थलों के महिला स्व–सहायता समूहों की महिलाओं को पारंपरिक एवं अभिनव शिल्प कला जैसे पेपर मैशे, बांस एवं लकड़ी आधारित शिल्प आदि का प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

कूप का चिन्हॉकन, विदोहन,निस्तार एवं नर्सरी कार्यों हेतु रोजगार कार्यो में लगभग 50 प्रतिशत महिलाओं को प्राप्त होता है, निस्तार जला{ का सीधा लाभ परिवार की महिलाओं को प्राप्त होता है। निस्तार में प्राप्त बांस व्यवस्था के अंतर्गत बांस के औजार, टोकनी,सूप,चटाई खिलौने आदि बनाये जाते है।

राज्य शासन द्वारा वर्ष 2008 में संकल्प की कंडिका 5.2 को संशोधित करते हुये अध्यक्ष पद के एक तिहाई पद महिलाओं हेतु आरक्षित किये गये हैं, साथ ही अध्यक्ष व उपाध्यक्ष में से एक पद महिला का होना अनिवार्य किया गया है। अनूसचित जाति, जनजाति व पिछडा वर्ग के सदस्यों का अनुपात ग्राम सभा में यथासंभव इनकी जनसंख्या के अनुपात में होगा तथा कार्यकारिणी में न्यूनतम 33 प्रतिशत महिलाएं होंगी।

प्रदेश में लघु वनोपज का संग्रहण प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के माध्यम से किया जाता है। इसके अंतर्गत गठित प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के संचालक मंडल

के कुल 15 सदस्यों में से 11 निर्वाचित संचालक रहते है जिसमें से 02 महिला संचालक का होना अनिवार्य किया गया है। जिला वनोपज सहकारी यूनियन के संचालक मंडल में कुल 16 सदस्य होते है, जिसमें से 10 निर्वाचित होते है। इनमें भी 02 महिला सदस्यों का होना अनिवार्य किया गया है। तेन्दूपत्ता संग्रहण कार्य में नियुक्त फड़ मुशियों मे से यथा–संभव 50 प्रतिशत महिलाओं को नियुक्त करने के निर्देश भी क्षेत्रीय कार्यालयों को दिये गये है।

कामकाजी महिलाओं का यौन उत्पीडन रोकने के संबंध में संघ मुख्यालय स्तर पर यौन उत्पीड़न संबंधी शिकायतों के निराकरण हेतु प्रबंधक प्रिंशासनक्रकी अध्यक्षता में समिति का पुर्नगठन किया गया है।

संस्थान में महिला वैज्ञानिक, महिला अनुसंधान अधिकारी तथा संस्थान के विभिन्न अनुसंधान परियोजनाओं में योग्य महिलाओं को अनुसंधान अध्येत्ता के रूप में उपयुक्त स्थान दिया गया है। वर्तमान में संस्थान में विभिन्न अनुसंधान परियोजनाओं के तहत् 13 महिला शोधकर्ता कार्यरत हैं। संस्थान में 2 महिला वैज्ञानिक एवं 4 महिला अनुसंधान अधिकारी कार्यरत हैं, इसके अतिरिक्त तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी में कुल 5 महिला कार्मचारी नियमित रूप से कार्यरत हैं। इसके अतिरिक्त 14 महिला दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है। संस्थान द्वारा दिनांक 16 से 18 माह नवंबर, 2011 में मध्यप्रदेश के वन क्षेत्रों में पाई जाने वाली अकाष्ठीय वनोपजों एवं औषधीय पौधों के विनाशविहीन विदोहन एवं वन प्रबंधन में क्षेत्रीय संयुक्त वन प्रबंधन समितियों की भूमिका से संबंधित ''लघु वनोपजों के सतत् वन प्रबन्धन में महिला वन समिति सदस्यों की सहभागिता'' विषय पर तीन दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में मण्डला जिले के दूरस्थ वन अंचलों से बैगा एवं गौड़ जनजातियों की लगभग 100 महिला प्रतिभागियों ने भाग लिया। कार्यशाला के दौरान प्रतिभागियों को संस्थान की औषधीय एवं सगंध पौधों की रोपणी, जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर के औषधीय रोपणी तथा सुगम सुविधा केन्द्र में महत्वपूर्ण औषधीय पौधों के प्रसंस्करण तथा गुणवत्ता वृद्धि संबंधी जानकारी, जबलपुर स्थित फॉरच्यून प्लान्टेशन में आंवला एवं सागौन प्लान्टेशन के साथ शाकीय एवं औषधीय प्रजातियों के रोपण संबंधी जानकारी दी गयी। कार्यशाला में संस्थान द्वारा औषधीय एवं लघु वनोपजों के सतत् विदोहन संबंधी विकसित की गयी तकनीक का विशेष ज्ञान प्रतिभागियों को दिया गया तथा उन्हें उनके क्षेत्र में ि यान्वयन हेतु प्रोत्साहित किया गया।

बोर्ड द्वारा चिन्हांकित ईकोपर्यटन गंतव्य स्थलों के महिला स्व सहायता समूहों की महिलाओं को पारंपरिक एवं अभिनव शिल्प कला जैसे पेपर मैशे, बांस एवं लकड़ी आधारित शिल्प आदि का प्रशिक्षण दिये जाने की कार्यवाही बोर्ड द्वारा की जा रही है। इसके अंतर्गत देलावाड़ी के स्व सहायता समूहों की 10 महिलाओं को पेपर मैशे मास्क तैयार कराने का प्रशिक्षण बोर्ड द्वारा दिलाया गया तथा उक्त मास्क देलावाडी जंगल कैम्प के पैकेज मे पर्यटकों को सोवेनियर के रुप में जोड़ा गया है। अगस्त 2011 में देश में प्रथम बार कान्हा राष्टीय उद्यान में 13 महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने हेतु 1 माह का गाइड प्रशिक्षण दिया गया। इन महिलाओं से रोस्टर आधार पर कार्य लिया जा रहा है तथा इसका फीडबैक संतोषजनक है।

————

Hkkx & N%
lkjka'k

बढ़ती हुई आबादी और संसाधनों की मांग से वनों पर बढ़ते हुए दबाव के कारण वनों के संरक्षण तथा संर्वधन की दिशा में अनेकों चुनौतियां हैं। वनों के साथ–साथ वनों में पाये जाने वाले जीव–जन्तु और जैविक विविधिता को बनाये रखने की चुनौती भी वन विभाग के समक्ष है। शासन द्वारा इन चुनौतियों का सामना करने के लिए वन विभाग को आवश्यक वि ाीय संसाधन उपलब्ध कराये जाते हैं। सीमित वि ाीय संसाधनों का उपयोग करते हुए वन विभाग प्रदेश के बहुमूल्य वनों तथा वन्यप्राणियों और जैव विविधिता को बनाये रखने एवं वनों पर आजीविका हेतु आश्रित ग्रामीणों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के प्रयास में सफल रहा है। सतत रूप से वनों का संरक्षण और संवर्धन करने तथा विभिन्न कार्य मों और योजनाओं के माध्यम से वनक्षेत्रों के समीप रहने वाले ग्रामीणों, मुख्यतः आदिवासियों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने में वन विभाग निरंतर प्रयासरत है। संयुक्त वन प्रबंधन एवं सूचना प्रौद्योगिकी के ज्यादा से ज्यादा उपयोग द्वारा वन एवं वानिकी को और अधिक उन्नत और जनोन्मुखी बनाया जा सके, यही विभाग की आकांक्षा है।

————————

परिशिष्ट एक
मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम

राष्टीय कृषि आयोग की अंतरिम रिपोर्ट, 'प्रोडक्शन फॉरेस्टी: मैन–मेड फारेस्ट्स' (1972) के आधार पर रूपये 20.00 करोड़ की अधिकृत पूंजी से मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम की स्थापना 24 जुलाई 1975 को की गई थी। 31 अक्टूबर 2006 से निगम की अधिकृत अंशपूंजी रुपये 40.00 करोड़ तथा प्रदत्त अंशपूंजी रुपये 39,31,75,600 है। जिसमें से केन्द्र शासन का अंशदान रूपये 1.38,60,000 एवं मध्यप्रदेश शासन का अंशदान रूपये 37,93,15,600 है।

निगम की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य निम्न कोटि के वन क्षेत्रों को तेजी से बढ़ने वाली बहुमूल्य तथा बहु उपयोगी प्रजातियों के रोपण द्वारा उच्च कोटि के वनों में परिवर्तित कर उत्पादन क्षमता एवं गुणवत्ता में सुधार लाना है।

गतिविधियाँ एवं उपलब्धियाँ

सागौन एवं बांस का व्यावसायिक रोपण निगम की मुख्य गतिविधि है। निगम विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत व्यावसायिक बैंकों प्राप्त कर वन विभाग द्वारा हस्तांतरित वन भूमि पर रोपण किया जाता है। 1976 से 2011 तक विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत निम्नानुसार रोपण कार्य किए हैं –

(क्षेत्रफल हेक्टेयर में)

क्र.	योजना का नाम	उपलब्धि
	वन विकास निगम की योजनाऍ	
1	वर्षा आधारित सागौन रोपण	179740
2	सिंचित सागौन रोपण	533
3	हाई इनपुट सागौन रोपण	802
4	बांस रोपण	23158
5	मिश्रित रोपण	3053
6	12 वें वित्त आयोग से अनुदान प्राप्त सागौन रोपण योजना	10848
7	कैम्पा योजना के अंतर्गत अनुदान प्राप्त सागौन रोपण योजना	3141
	योग	221275
8	बिगड़े वनों का सुधार सह बांस रोपण योजना (योजना 1996 से समाप्त)	5167
9	बिगड़े बांस वनों का सुधार (योजना 2003 से समाप्त)	13179
	योग	18346
	महायोग	239621
10	केन्द्र प्रवर्तित लघुवनोपज (औषधीय पौधों सहित) का रोपण (योजना 1996 से समाप्त)	4746
11	केन्द्र प्रवर्तित गैर इमारती वनोपज का संरक्षण एवं विकास (औषधीय पौधों सहित) (योजना 2000 से समाप्त)	1841
12	विशेष केन्द्रीय सहायता के अंतर्गत सबई सीसल रोपण (योजना 1997 से समाप्त)	1144 416 रो.किमी.
	केन्द्रीय औषधीय पादप बोर्ड, नई दिल्ली से अनुदान प्राप्त औषधि रोपण योजना (योजना 2008–09 से प्रारंभ)	718
13	योग	8449 हे कि 416 रो.कि.मी.
14	सूखा उन्मुख क्षेत्र कार्यक्रम अ. वृक्षारोपण एवं चारागाह विकास (योजना 1995 से समाप्त) ब. सड़क किनारे वृक्षारोपण (योजना 1995 से समाप्त)	90454 334

15	सरदार सरोवर परियोजना के अंतर्गत क्षतिपूरक वृक्षारोपण यिोजना 1997 से समाप्तक्र	4287
16	मोहिनी सागर जलग्रहण क्षेत्र उपचार कार्य र्विष 2008 से समाप्तक्र	29724
17	माहेश्वर बांध जलग्रहण क्षेत्र उपचार योजना र्किवल वर्ष 2007 में रोपणक्र	1158
18	नया हरसूद छिनेराक्रमें रोपण	73850
19	खदानी एवं औद्योगिक संस्थानों के क्षेत्रों पर डिपाजिट वर्क के अंतर्गत रोपण	249.83 लाख पौधे
20	महुअर जलग्रहण क्षेत्र उपचार योजना र्किवल वर्ष 2011 में रोपण	300 हे.

fuxe dk y[kk

2009–10 तक निगम का लेखा अद्यतन कर मार्च 2011 में विधान सभा पटल पर रखा गया। 2010–11 के लेखे तैयार कर निगम के संचालक मंडल द्वारा अनुमोदित किये जा चुके हैं। सांविधिक अंकेक्षण का प्रतिवेदन प्राप्त हो चुका है तथा कंपनी अधिनियम की धारा 619 र्4क्र के अंतर्गत प्रस्तावित लेखों पर अंतिम टिप्पणी प्राप्त होना शेष है। स्थापना वर्ष से ही निगम निरंतर लाभ में चल रहा है। 2010–11 तक संचित लाभ रूपये 65.24 करोड़ है। वर्ष 2010–11 के लिये राज्य शासन को रूपये 341.38 लाख तथा भारत सरकार को रूपये 12.47 लाख र्डिविडेंडक्रका भुगतान 2010–11 में किया गया है।

mnn';k dh ifr

स्थापना के 36 वर्षो की अवधि में निगम के उद्देश्यों की पूर्ति में आशातीत सफलता प्राप्त हुई है। इस अवधि में निगम द्वारा 239621 हेक्टेयर निम्न कोटि के वनों को उच्च कोटि के वनों में परिवर्तित किया गया है। इस महती लक्ष्य की पूर्ति निगम द्वारा वित्तीय संस्थाओं से ऋण लेकर की गई एवं निगम द्वारा बैंकों को समय–समय पर ऋण और ब्याज का भुगतान भी किया गया है। गैर वन भूमि वनीकरण के क्षेत्र में निगम प्रदेश की विशेष एजेंसी के रुप में उभरा है तथा विभिन्न शासकीय उप मों के लिए वनीकरण का कार्य कर पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

ctV dh fLFkfr

निगम के संचालक मंडल की बैठक 2011–12 का बजट निम्नानुसार अनुमोदित किया गया है :–

Ø-	fooj.k	ctV vuqeku ¼yk[k :i;s e½
¼v½	ikjfHkd cd 'k"k	9884
¼c½	ikfIr;k @ vk;	
1.	विदोहन से र्किर के पश्चातक्र	16200
2.	डिपाजिट रोपण हेतु प्राप्तियां	999
3	मध्य प्रदेश शासन से कमीशन	200
4	विविध आय	1195
5	कैम्पा से अनुदान	864
	;kx ¼c½	19458
	;kx ¼v$c½	29342
¼l½	0;;@ Hkxrku	
1.	विदोहन व्यय	3045
2.	रख–रखाव	545

3.	स्थापना व्यय	5577
4.	वृक्षारोपण/ पुनरूत्पादन व्यय	5539
5	डिपॉजिट रोपण व्यय	843
6	पूंजीगत व्यय	1180
7.	अनुसंधान विकास एवं कार्य आयोजना व्यय	50
8	ईकोपर्यटन विकास बोर्ड को भुगतान	25
9.	आयकर भुगतान	444
10.	म.प्र. शासन/ भारत सरकार को लाभांश का भुगतान	492
11.	म.प्र. शासन को लीज रेंट का भुगतान	4000
12.	अतिरिक्त बजट स्वीकृति	50
	;kx ¼1$12½	21790
¼n½	vfre cd 'k"k	7552
	;kx ¼l$n½	29342

o{kkjki.k dh miyfC/k;k

विगत पांच वर्षों में विभिन्न योजनाओं में निम्नानुसार वृक्षारोपण किए गए हैं –
वन विकास निगम द्वारा किये गये वृक्षारोपण

क्षैत्रफल हेक्टेयर मेंक्र

;kstuk	2007	2008	2009	2010	2011	;kx
सागौन र्विषा आधारित क्र	8751	10028	6566	7190	7887	40422
मोहिनी सागर बांध जलग्रहण क्षेत्र उपचार योजना	4200	3584	–	–	–	7784
माहेश्वर बांध जलग्रहण क्षेत्र उपचार योजना	1158	–	–	–	–	1158
12वें वित्त आयोग के अनुदान से प्राप्त सागौन रोपण योजना	2358	2367	3262	2213	–	10200
केन्द्रीय पादप बोर्ड, दिल्ली से अनुदान प्राप्त औषधि रोपण	–	167	223	107	221	718
बांस रोपण	–	–	–	1324	1066	2390
मिश्रित रोपण	–	–	–	482	381	863
कैम्पा से अनुदान प्राप्त सागौन रोपण योजना	–	–	–	–	3141	3141
महुअर बांध जलग्रहण क्षेत्र योजना	–	–	–	–	300	300
;kx	16467	16146	10051	11316	12996	66976
डिपॉजिट वर्क पौधों की संख्या, लाख मेंक्र	8-74	7-80	7-47	6-60	7-04	37-65

Jfed dY;k.kdkjh ;kstuk,a

श्रमिक कल्याणकारी या महिलाओं के लिए पृथक से कोई योजना निगम द्वारा नहीं चलाई जा रही है। परंतु निगम द्वारा संचालित समस्त वानिकी कार्य बिना भेदभाव के महिला एवं पुरुष श्रमिकों द्वारा ही संपन्न किये जाते है। निगम का अधिकांश कार्यक्षेत्र आदिवासी बहूल है। निगम की स्थाई रोपणियों में वर्ष भर लगातार कार्य उपलब्ध रहता है जिसमें अधिकांश महिलाएं कार्यरत है। निगम के अन्य वानिकी कार्यो में भी महिलाओं को रोजगार के बराबर अवसर प्रदान किये जाते है। इन कार्यो मे प्रतिवर्ष लगभग 80 लाख मानव दिवस रोजगार उपलब्ध कराया जाता है।

ifjf'k"V nks
e/; izns'k jkT; y?kq oukst ¼0;kikj ,oa fodkl½ lgdkjh la?k

मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ का गठन 1984 में किया गया। प्रदेश में लघु वनोपज का संग्रहण एवं व्यापार इस संस्था द्वारा किया जा रहा है। वर्ष 1989 में इस व्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ और लघु वनोपज के संग्रहण कार्य में संलग्न प्रदेश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य कमजोर वर्ग के ग्रामीणों के आर्थिक व सामाजिक उत्थान हेतु वनोपज के संग्रहण एवं विपणन का कार्य सहकारी समितियों के माध्यम से किये जाने का निर्णय लिया गया। इस उद्‌देश्य की पूर्ति हेतु संपूर्ण प्रदेश में वास्तविक संग्रहणकर्ताओं की सदस्यता से 1066 प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियां कार्यरत हैं। क्षेत्रीय वनमंडलों के स्तर पर वर्तमान में 61 जिला लघु वनोपज यूनियन बनाये गये हैं। इस त्रिस्तरीय सहकारी संरचना के शीर्ष स्तर पर मध्य प्रदेश राज्य लघु वनोपज संघ पहले से ही कार्यरत है। प्रदेश के वनवासियों को अराष्टीयकृत वनोपजों जैसे चिरौंजी, शहद, माहुल पत्ता, आंवला एवं औषधीय वनोपजों का निःशुल्क संग्रहण करने की छूट दी गई है। संघ की विभिन्न गतिविधियों का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है –

1- jk"Vªh;d`r oukst

(i) rsanwiRrk% – विगत तीन वर्षो में संग्रहण एवं निर्वतन की जानकारी निम्नानुसार है :–

¼ek=k yk[k ekud cksjk esa(jkf'k djksM+ :i;s esa½

संग्रहण वर्ष	संग्रहण दर रिं. प्रति मा.बो.क्र	गोदामीकृत मात्रा	संग्रहण मजदूरी की राशि	अब तक वि य की गई मात्रा	वि य मूल्य
2009	550	20.49	112.69	20.25	264.90
2010	650	21.24	138.06	20.75	327.28
2011	650	17.06	110.89	17.05	309.96

संग्रहण वर्ष 2012 में संग्रहित होने वाले तेन्दूपत्ते के अग्रिम निविदा द्वारा विक्रय की कार्यवाही की जा रही है। जिन लाटों का अग्रिम निर्वर्तन नहीं हो पायेगा, उनका पूर्व वर्षो के अनुसार समितियो द्वारा संग्रहित तेंदूपत्ता उपचारण,बोरा,भराई,परिवहन एवं गोदामीकरण के उपरांत गोदाम से निर्वर्तित किया जावेगा।

(ii) Lkkycht% साल बीज संग्रहण पर म.प्र. शासन द्वारा प्रदेश में 2007 से 2011 तक पिंच वर्षक्र हेतु पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया था। 2008 से प्रदेश में सालबीज संग्रहण पर लगा प्रतिबंध हटाते हुए सालबीज संग्रहण कराने हेतु शासन द्वारा निर्देश जारी किए गये। सालबीज संग्रहण एवं निर्वतन की जानकारी निम्नानुसार हैः–

¼ek=k & fDoUVy esa] jkf'k&yk[k esa½

संग्रहण वर्ष	संग्रहित मात्रा	निर्वर्तित मात्रा	प्राप्त विक्रय मूल्य	औसत विक्रय दर
2009	76597.33	76597.33	419.61	548
2010	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
2011	1713.69	–	–	–

(iii) dqYyw xksan% कुल्लू गोंद को 11 जिलों में राष्टीयकृत वनोपज घोषित कर इसका संग्रहण किया जाता है। विगत तीन वर्षों में संग्रहण एवं निर्वतन की जानकारी निम्नानुसार है –

¼ek=k & fDoVy e] jkf'k&yk[k e ½

lxzg.k o"kZ	lxfgr ek=k	fuofrr ek=k	iklr foØ; eY;	vkSlr foØ; nj
2008–09	231.97	231.97	25.13	10834
2009–10	87.44	87.44	14.85	16985
2010–11	64.81	64.81	17.14	26452

(iv) yk[k% शासन द्वारा 17.9.2009 को अधिसूचना जारी कर प्रदेश के दस जिलों होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, सिवनी, बालाघाट, मंडला, डिण्डोरी, अनूपपुर, शहडोल एवं उमरिया में एक वर्ष के लिए लाख वनोपज को विनिर्दिष्ट वनोपज घोषित किया गया है। 2009–10 में 334.07 क्विंटल लाख का संग्रहण हुआ है, एवं 2010 में 109.74 क्विंटल लाख का संग्रहण हुआ है। वर्ष 2011 से शासन निर्देशानुसार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर संग्रहण किया जा रहा है।

(v) vpkj xBYh % शासन निर्देशानुसार वर्ष 2011 में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कुल 20.45 क्विंटल अचार गुठली का संग्रहण हुआ है।

(vi) vU; &वर्ष 2011–12 में हर्रा,महुआ,फूल, महुआ,गुल्ली,नीम तथा करंज बीज का भी संग्रहण न्यूनतम सर्मथन मूल्य पर क्रय किया जावेगा।

2- lkekftd lqj{kk lewg chek ;kstuk

वर्ष 1991 से प्रदेश के समस्त तेंदूपत्ता संग्राहकों के कल्याण हेतु एक निःशुल्क सामाजिक सुरक्षा समूह बीमा योजना प्रारम्भ की गई है। 1997 से योजना में सम्मिलित किसी भी संग्राहकों की सामान्य मृत्यु होने पर उसके द्वारा नामांकित व्यक्ति को रुपये 3,500/– की राशि तथा यदि कोई संग्राहक दुर्घटना के कारण आंशिक रुप से विकलांग हो जाता है तो आंशिक विकलांगता के लिए रुपये 12,500/– तथा यदि दुर्घटना में व्यक्ति पूर्णतः विकलांग हो जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति में उसे या उसके उत्तराधिकारी को रूपये 25,000 की राशि देने का प्रावधान है। इस योजना के अर्न्तगत अब तक 2.07 लाख दावों का निराकरण किया जाकर रूपये 82.06 करोड़ की राशि मृत तेंदूपत्ता संग्राहकों के परिवारों को भुगतान की जा चुकी है।

3- ,dyO; f'k{kk fodkl ;kstuk

लघु वनोपज संघ द्वारा ''एकलव्य शिक्षा विकास योजना'' नवंबर 2010 में प्रारंभ की गई है। इस योजना का उद्देश्य वनक्षेत्रों में निवास करने वाले तेन्दूपत्ता संग्राहकों के बच्चों की शिक्षा की ऐसी व्यवस्था करना है, जिससे उनके होनहार बच्चे धनाभाव के कारण उच्च शिक्षा प्राप्त करने से वंचित न रह जाएं। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु उत्कृष्ट शिक्षण संस्थानों में प्रवेश एवं शिक्षा का व्यय वनोपज संघ द्वारा वहन किया जाएगा। योजना के मुख्य बिन्दु निम्नानुसार हैं –

1. योजना का लाभ प्रदेश के तेन्दूपत्ता संग्राहकों, फड़ मुंशियों एवं प्राथमिक वनोपज समितियों के प्रबंधकों के बच्चों को प्राप्त हो सकेगा। पात्रता हेतु संग्राहक के लिए यह आवश्यक है कि विगत पांच वर्षो में कम से कम तीन वर्षों में उसके द्वारा न्यूनतम एक मानक बोरा तेन्दूपत्ता का संग्रहण किया गया हो तथा फड़ मुंशी एवं समिति प्रबंधक द्वारा कम से कम तीन वर्षों में तेन्दूपत्ता सीजन में कार्य किया गया हो।
2. योजना हेतु उन्हीं बच्चों के प्रकरणों पर विचार किया जायेगा जिन्होंने पिछली कक्षा में कम से कम 60 प्रतिशत अंक अथवा समकक्ष ग्रेड अर्जित किया हो। उनका चयन प्रावीण्य सूची के आधार पर किया जायेगा। चयनित छात्र–छात्राओं को निरंतर न्यूनतम 60 प्रतिशत अथवा समकक्ष ग्रेड प्राप्त करते रहना होगा, तथा यदि उनका प्रदर्शन नीचे जाता है तो सुधार लाने के लिए अधिकतम एक अवसर प्रदान किया जायेगा

3. योजना में शिक्षण शुल्क, पाठय पुस्तकों पर व्यय, छात्रावास व्यय तथा वर्ष में एक बार घर आने–जाने हेतु यात्रा व्यय दिया जाएगा, तथा सहायता की अधिकतम वार्षिक सीमा निम्नानुसार होगी –

   - कक्षा 9वीं एवं 10 वीं के विद्यार्थियों को 12,000 रूपये
   - कक्षा 11वीं एवं 12 वीं के विद्यार्थियों को 15,000 रूपये
   - गैर तकनीकी स्नातक विद्यार्थियों को 20,000 रूपये
   - व्यावसायिक कोर्स के विद्यार्थियों को 50,000 रूपये

4. प्रत्येक वर्ष लघु वनोपज संघ के संचालक मंडल द्वारा स्वीकृत बजट राशि के अंतर्गत श्रेष्ठता म में चयनित छात्र–छात्राओं को इस योजना का लाभ मिल सकेगा। उपलब्ध बजट की 50 प्रतिशत राशि नौवीं से बारहवीं तक की शिक्षा के लिए तथा शेष 50 प्रतिशत राशि स्नातक स्तर की शिक्षा के लिए उपलब्ध हो सकेगी।

5. शैक्षणिक सत्र 2010–11 में उक्त योजना में 1061 छात्र/छात्राओं को राशि रुपये 46.85 लाख की छात्र वृत्ति प्रदान की गई है।

4- ikRlkgu ikfjJfed

वर्ष 1997 तक संघ द्वारा लघु वनोपजों के व्यापार का शुद्ध राज्य शासन को रॉयल्टी के रूप में किया जाता था। संविधान के 73वें संशोधन के फलस्वरूप लघु वनोपज का स्वामित्व ग्राम सभाओं को सौंपा गया है। प्रदेश में लघु वनोपज व्यवसाय से ग्रामीणों को उचित लाभ दिलाने के लिए अनेक नीतिगत निर्णय लिये गये है। लघु वनोपज व्यवसाय से होने वाली संपूर्ण शुद्ध आय प्राथमिक सहकारी वनोपज समितियों को उपलब्ध कराई जा रही है। इस व्यवस्था को लागू करने वाला मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य है। संग्रहण वर्ष 2004 से इस शुद्ध आय का 60 प्रतिशत भाग संग्राहकों को उनके द्वारा संग्रहित मात्रा के अनुपात में प्रोत्साहन पारिश्रमिक के रूप में नकद भुगतान करने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त 20 प्रतिशत भाग वनों के पुनरूत्पादन पर लगाया जा रहा है तथा शेष राशि सहकारी समितियां अपने विवेक अनुसार ग्राम की मूलभूत सुविधाओं के विकास में व्यय कर रही हैं। इसके अंतर्गत ग्रामों में पेयजल एवं सिंचाई की सुविधाओं का विकास किया जा रहा है तथा गोदामों एवं लघु वनोपज प्रसंस्करण केंद्रों का निर्माण तथा औषधि उद्यान की स्थापना के कार्य किये जा रहे हैं। यह व्यवस्था वर्ष 1998 सीजन से लागू की गई।

इस व्यवस्था के अंतर्गत विभिन्न वर्षों में वितरित प्रोत्साहन पारिश्रमिक की राशि का विवरण निम्नानुसार है :–

lxg.k o"k	ikRlkgu ikfjJfed dh forfjr jkf'k ¼#i;s djksM+ esa½
2006	27.41
2007	118.58
2008	38.73
2009	62.11
2010	82.57

5- vjk"Vªh;dr y?kq ouksit

विनाश विहीन विदोहन को प्रोत्साहित करने हेतु लाख, कुल्लू गोंद एवं शहद के विनाश विहीन विदोहन की पद्धतियों पर प्रशिक्षण दिया गया। इसके अतिरिक्त विभिन्न गतिविधियां व योजनाएं ि यान्वित हैं। जिनके माध्यम से लघु वनोपज तथा औषधी पौधे के स्रोतों के संरक्षण के साथ–साथ संग्राहकों, प्रसंस्करणकर्ताओं व उद्यमियों को अधिक लाभ दिलाने के साथ–साथ अब इनके मध्य समन्वय भी स्थापित करने के प्रयास किये जा रहे हैं। राज्य शासन द्वारा औषधीय एवं सुगंधित पौधों के विकास के लिए एक रणनीति अनुमोदित की गई है।

6 y?kq oukssit dk lalk/ku lo{k.k &

राज्य शासन द्वारा स्वीकृत औषधीय एवं सुगंधित पौध विकस हेतु मध्यप्रदेश की रणनीति के तहत प्रदेश के शासकीय वन क्षेत्रों में औषधीय एवं सुगंधित पौधों एवं अकाष्ठीय वनोपज पौधों की वर्तमान स्थिति,उत्पादन एवं उत्पादक क्षमता का आंकलन किया जा रहा हैं। उक्त सर्वेक्षण संवहनीय उत्पादन, प्रसंस्करण एवं विपणन हेतु बीट स्तर पर किया जा रहा है। अकाष्ठीय लघु वनोपजों के संसाधन सर्वेक्षण एवं सूक्ष्म योजना निर्माण की कार्यविधि के विकास के प्रथम चरण में राज्य वन अनुसंधान संस्थान जबलपुर से प्रत्येक वनमंडल िजिला यूनियनक्रमें पदस्थ उप प्रबंधक /उपवनमंडलाधिकारी को ''प्रशिक्षको के प्रशिक्षण'' (Training of Trainers) माह जुलाई 2011 में दिलाया गया है। राज्य वन अनुसंधान संस्थान, जबलपुर द्वारा प्रदेश के 62 वनमंडलों के उप प्रबंधक/उप वनमंडलाधिकारियों को 3 चरणों में ''प्रशिक्षको के प्रशिक्षण'' दिया गया हैं। इस संपूर्ण योजना पर लगभग 180.00 लाख रुपये के व्यय का अनुमान है। उक्त सर्वेक्षण हेतु जिला यूनियनों को रुपये 119.82 लाख प्रदाय किये गये हैं।

7 vU; ;kstuk,a

1. औषधीय पौधों के विपणन के लिये भोपाल, बालाघाट, पूर्व छिन्दवाड़ा, पश्चिम छिंदवाड़ा, कटनी, सिवनी, खण्डवा, खरगोन, बड़वानी, रेहटी िसीहोरक्र होशंगाबाद, नरसिंहपुर, सतना, बरखेड़ा पठानी, मैहर, इंदौर, पन्ना, ग्वालियर, अमरकंटक, कपिलधारा, छतरपुर, जबलपुर एवं रीवा में 'संजीवनी आयुर्वेद' के नाम से 24 वि य केन्द्र प्रारंभ किये गये हैं एवं देवास तथा बुरहानपुर में निर्माणधीन हैं। इन वि य केन्द्रों के माध्यम से अर्द्ध तथा पूर्ण प्रसंस्कृत लघु वनोपज तथा औषधीय उत्पाद आम जनता को वि य किया जाता है। विपणन किये जा रहे उत्पादों में आंवला मुरब्बा, अर्जुन चाय, शहद, गोंद, बेल, गुड़मार एवं त्रिफला चूर्ण आदि प्रमुख हैं। आवश्यकता एवं उत्पादों की उपलब्धता के आधार पर अन्य स्थानों पर भी ऐसे केन्द्र स्थापित करने पर विचार किया जावेगा।

2. औषधीय पौधों के प्रसंस्करण केन्द्र बरखेडा पठानी, भोपाल की स्थापना वर्ष 2003 में हुई थी। इस केन्द्र को खाद्य एवं औषधि नियंत्रक, मध्यप्रदेश से औषधि निर्माण हेतु 250 उत्पादों के लायसेंस प्राप्त हो चुके हैं। इस केन्द्र की प्रयोगशाला का उन्नयन कार्य आयुष विभाग, भारत सरकार की सहायता से किया जा रहा है, जिससे कि यह एक राष्टीय स्तर की प्रयोगशाला हो जावेगी

3. प्रदेश में लघु वनोपजों तथा औषधीय पौधों के प्रसंस्करण को बढ़ावा देने एवं उनके व्यापार को प्रोत्साहन देने के उददेश्य से विभिन्न जिला यूनियनों को संघ मुख्यालय से ऋण निधि से कम दर र्िं प्रतिशतक्रके ब्याज पर रूपये 614.94 लाख की राशि उपलब्ध कराई गई है।

4. स्थानीय लोगों में वनौषधियों के प्रति जागरूकता बढ़ाने, प्रदेश की विभिन्न समितियों द्वारा उत्पादित हर्बल उत्पादों के विपणन को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष भोपाल में राष्टीय वन मेला आयोजित किया जाता है। इस वर्ष भोपाल में अंतरराष्टीय मेला 16–20 दिसंबर 2011 को बिट्टन मार्केट, दशहरा मैदान में आयोजित किया गया।

5. राष्टीय औषधीय पादप बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा प्रसंस्करण केद्रों में कच्चे माल की आपूर्ति हेतु औषधीय पौधरोपण केद्रों की स्थापना के लिए 11 जिला यूनियनों िखंडवा, देवास, भोपाल, सीहोर, पूर्व छिन्दवाड़ा, इंदौर, जबलपुर, नरसिहपुर, श्योपुर, कटनी एवं शिवपुरीक्रमें कुल 800 हेक्टेयर क्षेत्र हेतु रूपये 640.00 लाख की योजना स्वीकृत की गई है, जिसमें संघ को रुपये 510.00 लाख की राशि प्राप्त हुई है। जिसके विरुद्ध योजना में सितंबर 2011 की स्थिति मे रुपये 399.54 लाख व्यय किये गये है।

6. राष्टीय औषधीय पादप बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा औषधीय पौधों के स्रोतों का सुदृढ़ीकरण अंतर्गत जिला यूनियन रायसेन, होशंगाबाद, उत्तर बैतूल, दमोह एवं बुरहानपुर में कुल 1200 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए रुपये 230 लाख की योजना स्वीकृत की गई है, जिससे संघ को

रुपये 161.00 लाख की राशि प्राप्त हुई है। योजना अंतर्गत अब तक 720 हेक्टेयर क्षेत्र में औषधीय पौधों का रोपण किया गया।

राष्टेीय औषधीय पौधा बोर्ड नई दिल्ली द्वारा" Ex-Situ Conservtion for resource augmentation" बाहय स्थलीय संरक्षण के विस्तार की योजना में कुल 1450 हेक्टर के लिए रुपये 821.00 लाख स्वीकृत किये जाकर संघ को रुपये 480.00 लाख प्राप्त हुए है। यह योजना 12 जिलों यूनियन विदिशा, राजगढ़ पश्चिम सीधी, देवास, सतना, दक्षिण सागर, पूर्व छिंदवाड़ा, दक्षिण छिंदवाड़ा बुरहानपुर, इंदौर, हरदा एवं ग्वालियर में क्रियान्वित की जा रही है।

7. इसी प्रकार अमरकंटक पठार पर औषधीय पौधों का संरक्षण एवं विस्तार हेतु रुपये 124.80 लाख स्वीकृत कर रुपये 80.90 लाख की राशि विमुक्त की गई है। इस योजना के अंतर्गत 200 हेक्टेयर क्षेत्र में कलिहारी, गुलबकावली, काली हल्दी एवं मजिष्ठ का रोपण किया गया है। तामिया क्षेत्र में औषधीय पौधों का संरक्षण हेतु राष्टेीय औषधीय बोर्ड द्वारा रुपये 123.80 लाख की योजना स्वीकृत की गई है। संघ को रुपये 80.40 लाख प्राप्त हुए हैं। योजना के अंतर्गत 150 हेक्टेयर क्षेत्र में कलिहारी, सर्पगंधा एवं कालमेघ का रोपण किया गया है।

8. राष्टेीय औषधीय पौधा बोर्ड, नई दिल्ली से पोषित आंवला प्रचार प्रसार हेतु रुपये 274.00 लाख की योजना स्वीकृत की गई है। जिसमें वर्ष 2009–2010 में 26 जिलों में गतिविधियों क्रियांवित की गई है। वर्ष 2010–2011 मे पूरे प्रदेश में यह योजना क्रियांवित की जावेगी।

9. मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल से रीवा में औषधीय एवं सुगंधित पौधों का प्रशिक्षण–सह–प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी विकास एवं हर्बल अवेयरनेस से संबंधित कार्य म हेतु रुपये 534.00 लाख की योजना 2009–10 में स्वीकृत की गई है। परियोजना के क्रियावयन के दौरान निर्माण सामग्री के मूल्य में वृद्धि होने के कारण म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा दिनांक 23.06.2011 केा अतिरिक्त राशि रुपये 237.74 लाख स्वीकृत की है। इस प्रकार योजना की लागत राशि रुपये 771.74 लाख है। इस हेतु रुपये 625.28 लाख की राशि जिला यूनियन रीवा को प्रदाय की गई है। योजना में रुपये 617.64 लाख व्यय किये जा चुके हैं। इसी प्रकार मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल की सहायता से जिला छिंदवाड़ा में औषधीय एवं सुगंधित पौधों का प्रशिक्षण–सह–प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी विकास एवं हर्बल अवेयरनेस कार्य म हेतु रुपये 231.50 लाख की योजना वर्ष 2006–07 में स्वीकृत की गई। उक्त योजना में बोर्ड से रुपये 208.35 लाख प्राप्त हुए हैं। संघ से जिला यूनियन, पूर्व छिंदवाड़ा को रुपये 245.43 लाख प्रदाय किये गये हैं। योजना में अब तक रुपये 189. 54 लाख की राशि व्यय किये जा चुके है।

———

ifjf'k"V rhu

jkT; ou vuqla/kku laLFkku] tcyiqj ¼e0iz0½

राज्य वन अनुसंधान संस्थान, जबलपुर, वर्ष 1963 में अस्तित्व में आया। राज्य शासन के 29 अक्टूबर, 1994 को जारी आदेश द्वारा इसे स्वायत्तशासी संस्थान घोषित किया गया। यह संस्थान वन वनस्पति, वनवर्धन, वृक्ष सुधार, बीज तकनीकी, जैव विविधता, वन आनुवांशिकी, जैव प्रौद्योगिकी, वनोपज विपणन, वन विस्तार, वन मापिकी, वन पारिस्थितिकीय एवं पर्यावरणीय प्रभाव आदि विषयों में शोध एवं तकनीक विकसित कर उनके प्रचार–प्रसार का कार्य करता है।

lajpuk

संस्थान के संचालक मंडल में 15 सदस्य हैं। संस्थान में संचालक का पद प्रधान मुख्य वन संरक्षक/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक के स्तर का है जिसमें मुख्य वन संरक्षक स्तर के संचालक तथा मुख्य वन संरक्षक स्तर के एक अपर संचालक पदस्थ रहे। इनके अतिरिक्त एक वन संरक्षक स्तर के तथा एक वनमण्डलाधिकारी स्तर के उपसंचालक एवं दो सहायक वनसंरक्षक स्तर के सहायक संचालक पदस्थ रहे। साथ ही, 6 वैज्ञानिक, 1 वन क्षेत्रपाल, 1 उप वनक्षेत्रपाल, 14 अनुसंधान अधिकारी, 2 वरिष्ठ अनुसंधान सहायक, 1 प्रयोगशाला तकनीशियन, 1 लेजर सहायक, 1 प्रयोगशला सहायक, 3 क्षेत्र सहायक, 9 वनपाल, 8 वनरक्षक एवं 2 तकनीकी सहायक सिंविदाक्रतथा 1 हरबेरियम सहायक संविदा पदस्थ रहे।

mn~ns';

यह संस्थान वन वनस्पति, वनवर्धन, वृक्ष सुधार, बीज तकनीकी, जैव विविधता, वन आनुवंशिकी, जैव प्रौद्योगिकी, वनोपज विपणन, वन विस्तार, वन मापिकी, पर्यावरणीय प्रभाव इत्यादि को जन उपयोगी एवं व्यवहारिक बनाने के लिए, प्रयोगशाला से क्षेत्रीय स्तर पर हस्तांरतरण हेतु शोध के माध्यम से तकनीकें विकसित कर प्रचार प्रसार का कार्य करता है ।

eq[; xfrfof/k;k¡

वर्ष 2010– 11 के दौरान संस्थान की अनुसंधान गतिविधियास्त्रं निम्न मुख्य विषयों पर केन्द्रित रही है –

1. राष्टेीय नेटवर्क के अंतर्गत जेटोफा का एकीकृत विकास।
2. प्राकृतिक वनक्षेत्रों, राष्टेीय उद्यानों एवं लोक संरक्षित क्षेत्रों में उपलब्ध जैवविविधता का सर्वेक्षण एवं सकंटापन्न प्रजातियों की पहचान।
3. विभिन्न प्रजातियों के वृक्षों पर लाख का उत्पादन एवं ग्रामीण जनता में विकसित तकनीक का प्रचार–प्रसार।
4. उत्तम गुणवत्ता वाले बीजों का संग्रहण, उपचारण, भंडारण, प्रमाणीकरण एवं वितरण।
5. विभिन्न वानिकी प्रजातियों की रोपणी तकनीकों का विकास।
6. कायिक प्रवर्धन, संतति परीक्षण एवं वृक्षों की अच्छी किस्में तैयार करना।
7. औषधीय पौधों का अन्तः एवं बाहय स्थलीय संरक्षण एवं विकास।
8. लघु वनोपज, औषधीय एवं सुगंधित पौधों का संसाधन सर्वेक्षण।
9. लघु वनोपज तथा औषधीय पौधों का सतत् विदोहन, प्रसंस्करण, श्रेणीकरण, विपणन, सूखत तकनीक, सतत् प्रबंधन, भण्डारण तकनीकों का विकास एवं ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचार प्रसार।
10. सागौन के वृक्षों के पत्तों में लगने वाले कीड़ों की जैविक रोक–थाम हेतु प्रयास।
11. नमूना भूखण्डों का मापन एवं फार्म फैक्टर, आयतन एवं प्राप्ति तालिकाएॅ तैयार करना।
12. मध्यप्रदेश में बांस के सामूहिक रूप से पुष्पित (Gregariously flowered) वनों में बांस की पुनर्स्थापना के लिए किए गए विभिन्न उपचारों का अध्ययन।

13. मध्यप्रदेश राज्य वन विकास निगम द्वारा विभिन्न आयु के सागौन वृक्षारोपणों में शाकीय पादप जैव विविधता की स्थिति का मूल्यांकन।

14. Bibidang तथा Malkagani की Nursery तकनीकी का विकास।

15. परिरक्षित भूखण्डों की स्थापना एवं पारिस्थितकीय अध्ययन।

16. प्राकृतिक वन संसाधन एवं लघुवनोपज सूचना प्रणाली तकनीक का विकास।

17. उत्खनन भूमि के भौतिक, जैविक तथा पारिस्थितिक गुणों पर पड़ने वाले प्रभावों का संघात निर्धारण (Impact assessment)।

18. स्थानीय जनसमुदाय की सक्रिय भागीदारी द्वारा प्राकृतिक वनो में व्यावसायिक एवं औषधीय महत्व की प्रजातियों की सतत् विदोहन तकनीक का निर्धारण एवं विकास।

19. भण्डारण किये गये लाख में समय के साथ वजन में कमी को ज्ञात करने का अध्ययन।

20. बीजोद्यान तथा बीज उत्पादन क्षेत्रों के रखरखाव हेतु संबंधित वन अधिकारियों/कर्मचारियों के प्रशिक्षण कार्यशालों का आयोजन।

21. तेन्दूपत्ता के अधिक से अधिक उत्पादन एवं उच्च गुणवत्ता युक्त पत्तियों की प्राप्ति हेतु शाखकर्तन द्वारा उचित मापदण्ड का निर्धारण।

22. मध्यप्रदेश के विभिन्न वन प्रकारों में चराई की धारण क्षमता एवं वितान घनत्व (Canopy density) के आंकलन हेतु उपयुक्त विधि (Methodology)का विकास।

23. वनों से प्राप्त होने वाले प्रत्यक्ष एवं परोक्ष लाभों का मूल्यांकन कर उनका राष्टीय सकल घरेलू उत्पाद में योगदान एवं एफ.आर.ए. प्रणाली (Forest Resource Accounting System)क्र विकसित करना।

24. मध्यप्रदेश वन विभाग एवं वानिकी अनुसंधान के पुराने अभिलेखों का डिजिटाइजेशन (Digitization)करना।

25. मध्यप्रदेश में स्वचलित मौसम केन्द्र (Automatic Weather Station) एवं कृषि मौसम केन्द्र (Agro-meteorological Station) से प्राप्त आंकड़ों के उपयोंग द्वारा विज्ञान योजना म0प्र0 वन विभाग की साझेदारी (Collaboration) से तैयार करना।

26. संकटाग्रस्त प्रजातियों की Nursery तकनीक तथा रोपण हेतु Model के विकास।

27. जैव प्रौद्योगिकी तकनीक से महत्वपूर्ण औषधीय प्रजातियों का कीमोप्रोफाइलिंग द्वारा जननद्रव्य का आंकलन तथा उन्नत किस्म के पौधों का विकास।

28. महुआ वृक्षों में विभिन्न प्रकार के खाद एवं रासायनिक तत्वों के उपयोग से वृद्धि की तकनीकों का प्रशिक्षण कार्यशाला द्वारा लाभार्थियों को हस्तांतरित।

29. मध्यप्रदेश के विभिन्न वन प्रकार में स्थापित भूखण्डों में वनस्पति तथा मृदा का अध्ययन।

30. मध्यप्रदेश में नर्मदा नदी के जैविक स्वास्थ्य पर अध्ययन।

31. मैदा लकड़ी के वृक्षों की Clonal Multiplication हेतु Protocol तैयार करना।

32. विभिन्न प्रजातियों की Copice origin वृक्षों की वृद्धि तालिका तैयार करना।

33. आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण औषधीय तथा वृक्ष प्रजातियों की भण्डारण, बीज तथा Nursery तकनीकों का विकास।

34. सागौन, खमेर तथा बांस के उत्तम वृद्धि के लिए विभिन्न Potting Mixture का मानकीकरण।

35. मध्यप्रदेश में Oleo-resin तथा अन्य गोंद की सतत् विदोहन तथा प्रसंस्करण।

36. महुआ के Clonal Plants का विकास।

37. महत्वपूर्ण सगंध एवं औषधीय पौधों में लगने वाली विभिन्न बीमारियों की पहचान कर उनका प्रबंधन पर अध्ययन।

vu|l/kku ifj;ktukvk dh ixfr

वर्ष के दौरान संस्थान में चल रहीं अनुसंधान परियोजनाओं में से 14 परियोजनाओं को सफलतापूर्वक पूर्ण किया गया, 21 परियोजनाऐं एवं 14 नियमित गतिविधियां प्रचलित हैं तथा 13 नवीन परियोजनायें प्रारंभ की गईं।

vuJo.k vkj eY;kdu

lLFkku }kjk fuEu vuJo.k vkj eY;kdu dk;l fy;s x;s gl &

- मध्यप्रदेश के विभिन्न वन मंडलों में लोक संरक्षित क्षेत्रों एवं संरक्षित क्षेत्रों में उपलब्ध वन संसाधनों का आंकलन।
- विभिन्न वनमंडलों द्वारा वनग्रामों में कराये गये विकास कार्यों का मूल्यांकन एवं अनुश्रवण का कार्य।
- वन विकास अभिकरणों के माध्यम से वर्ष 2007–08 एवं 2008–09 कराये गये कार्यों का मूल्यांकन।
- राष्टीय औषधीय पादप बोर्ड द्वारा प्राप्त वित्तीय सहायता वाले किसानों का सामाजिक आर्थिक लाभ का आंकलन।

if'k{k.k dk;de

lLFkku }kjk fuEu if'k{k.k lg dk;'kkykvk dk vk;ktu fd;k x;kA

- महुआ वृक्षों में रसायनिक तथा जैविक/गोबर खाद से फूलन तथा पुष्पन की वृद्धि।
- लाख की खेती
- सलई गोंद के सतत् विदोहन प्रसंस्करण श्रेणीकरण तथा भण्डारण।
- लघु वनोपजों की सहभागिता सतत् विदोहन।
- संस्थान द्वारा पूर्ण किये गये परियोजनाओं के निष्कर्षों के प्रचार–प्रसार हेतु विभिन्न अनुसंधान विस्तार एवं लोकवानिकी वृत्तों में, क्षेत्रीय अमला तथा वन सुरक्षा समिति तथा अन्य समितियो के सदस्य हेतु प्रप्रिक्षण/कार्यप्राालाओं का आयोजन।

idk'ku rFkk vU; xfrfof/k;k

उपरोक्त गतिविधियों के अतिरिक्त संस्थान के वैज्ञानिकों पर संस्थान परिसर में स्थापित वानस्पतिक उद्यान के विकास व सुदृढ़ीकरण तथा संस्थान स्थित जीन बैंक, मिस्ट चेम्बर, हरबेरियम और वन संग्रहालय के विकास और रखरखाव का दायित्व भी है। वैज्ञानिकों द्वारा संस्थान तथा क्षेत्रीय स्तर पर विभिन्न प्रप्रिक्षण कार्य म तथा कार्यप्राला संचालित किये जाते हैं तथा वानिकी से संबंधित प्रचार–प्रसार भी किया जाता है। संस्थान द्वारा त्रैमासिक पत्रिकाओं 'वानिकी संदेप्र' तथा 'वन–धन' का प्रकाप्रन भी किया जाता है। समय–समय पर अनुसंधान द्वारा विकसित तकनीकों के प्रचार–प्रसार हेतु तकनीकी बुलेटिन, ब्रोशर एवं पेम्पलेट्स का प्रकाशन किया जाता है। वानिकी अनुसंधान से विकसित तकनीकों के विस्तार हेतु वन मेला, किसान मेला तथा स्वरोजगार मेला में स ि य रूप भाग लिया जाता है।

lLFkku }kjk inRr lok,

lLFkku }kjk fuEu vuql/kku lok;s miyC/k djk;h tkrh gl&

1. ० षकों, उद्यमियों, छात्रों एवं वन विभागीय अमलें को औषधीय पौधों की ० षि तकनीक, उनके प्राथमिक प्रसंस्करण (Primary processing) भंडारण, { तक संवर्धन (Tissue culture),

बीज तकनीक, वृक्ष सुधार, मृदा परीक्षण, हरबेरियम एवं रोपणी विकसित करने संबंधी प्रप्रिक्षण।

2. विभिन्न वृक्ष प्रजातियों के रोपण संबंधी एवं औषधीय पौधों की ०षि तकनीक की जानकारी उपलब्ध कराना।
3. बीज प्रमाणीकरण।
4. मृदा विश्लेषण।
5. उत्तम गुणवत्ता के बीजों एवं रोपण सामग्री का प्रदाय।
6. औषधीय पौधों विशेषतः सर्पगंधा, गूगल, ब्राम्ही, गुडमार एवं कलिहारी का रासायनिक परीक्षण कर रासायनिक रेखाचित्र (Chemo-profiling) तैयार करना।
7. वन विभाग, अन्य शासकीय/अप्रासकीय संगठनों तथा व्यक्तियों को वानिकी विषयों पर व्यावसायिक तकनीकी परामर्प्र देना।
8. वानिकी विषयों पर अनुसंधानरत् छात्रों को मार्ग दर्प्रन एवं अनुसंधान सुविधाएं उपलब्ध कराना।
9. लोक संरक्षित क्षेत्रों (PPAs) एवं अन्य वन क्षेत्रों में वन संसाधन सर्वेक्षण।
10. इमारती काष्ठ वृक्ष प्रजातियों की फार्म फैक्टर तालिकायें, प्राप्ति तालिकायें (Yield Tables) और आयतन तालिकायें तैयार करना।
11. पर्यावरण संघात निर्धारण (Environment Impact Assessment) एवं विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों में वनीकरण हेतु परामर्प्र।
12. लघु वनोपज विपणन सूचना तंत्र (Market Information System) का विकास एवं त्रैमासिक पत्रिका ''वन धन'' के माध्यम से उसका प्रचार प्रसार करना।
13. तकनीकी मैन्युअल एवं प्रचार प्रसार हेतु पठन सामग्री इत्यादि तैयार करना।
14. पुस्तकालय एवं प्रलेख्य शाखा में संग्रहित दुर्लभ वानिकी अनुसंधान अभिलेखों को वानिकीविदों एवं शोधार्थियों को उपलब्ध कराना।
15. संस्थान में स्थापित संग्रहालय के माध्यम से वन संरक्षण एवं वन संसाधनों के विकास हेतु किये जा रहे प्रयासों का प्रदर्प्रन।
16. विभिन्न वन मेलों एवं प्रदर्प्रनियों में भाग लेकर जन साधारण को वन अनुसंधान के लाभ से अवगत कराना।
17. विभिन्न वानिकी अनुसंधान विषयों पर प्रप्रिक्षण, संगोष्ठियों एवं कार्यध्प्रालाओं का आयोजन।
18. विभिन्न विश्वविद्यालयों के स्नातकोत्तर छात्रों को वन आनुवंप्रिकी, { त्तक संवर्धन, जैव प्रौद्योगिकी तकनीकों पर प्रप्रिक्षण आयोजित करना।

foRrh; L=kr

राज्य वन अनुसंधान संस्थान को वन विभाग के आयोजनेत्तर बजट के अंतर्गत अनुदान तथा बाह्य संस्थाओं को भेजी गयी परियोजनाओं से वित्तीय आवंटन प्राप्त होता है। विगत चार वर्षों के दौरान प्राप्त वित्तीय आवंटन तथा ब्यय का विवरण निम्नानुसार है –

¼jkf'k yk[k :i;s e½

ctV en	2009&10		2010&11		2011&12 ¼uoEcj 2011 rd½	
	vkoVu	0;;	vkoVu	0;;	vkoVu	0;;
10–2406 आयोजनेत्तर सहायक अनुदान	362.70	329.37	446.08	390.03	500.00	275.94
डिपाजिट वर्क्स	120.77	64.66	425.09	74.08	179.81	155.99

rjgo foRr vk;kx d fy, iLrko

तेरहवें वित्त आयोग से प्राप्त करने के लिए राज्य वन अनुसंधान संस्थान द्वारा 12 परियोजनाएं प्रेषित की गयी हैं, जिनकी कुल राप्रि रूपए 797.62 लाख है। अभी तक इसके अंतर्गत राप्रि स्वीकृत नहीं की गई है।

&&&&&&&

ifjf'k"V pkj
e/; in'k bdki;Vu fodkl ckM

xBu :– बोर्ड की गतिविधियों का विवरण संक्षिप्त प्रस्तीतुकरण के माध्यम से दिया गया । प्रदेश के ईकोपर्यटन को अतुल्य भारत के हदय की नैसर्गिक धरोहर के पर्यटन की तुलना देते हुए ईकोपर्यटन की शब्दावली में परिभाषित किया गया है। बोर्ड मध्यप्रदेश शासन के वन विभाग के अंतर्गत एक स्वशासी संस्था है, जिसका गठन 12 जुलाई 2005 को म.प्र. सोसाइटी रजिस्टेशन एक्ट 1973 के अंतर्गत किया गया था। बोर्ड म.प्र. शासन के वन विभाग के अंतर्गत एक स्वशासी संस्था है। बोर्ड की दूरदृष्टि उत्तरदायी पर्यटन को सतत् वन प्रबंध की मुख्य धारा में लाना है।

mnn'; :– बोर्ड की तीन प्रमुख उद्देश्य है। iFke– प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, f}rh;& प्रदेश में गंतव्य स्थलों पर ईकोपर्यटन अधोसंरचना विकास और r`rh; – समीपस्थ निवासी ग्रामीण समुदायों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है।

lajpuk–बोर्ड की संरचना में दो प्रमुख समितिया हैं। साधारण सभा, जिसके सभापति माननीय वन मंत्री हैं, एवं कार्यकारी समिति, जिसके अध्यक्ष मुख्य सचिव, वन हैं। बोर्ड में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, महाप्रबंधक और उप प्रबंधक पदस्थ हैं, जो वन विभाग से प्रतिनियुक्ति पर हैं। प्रदेश के 16 क्षेत्रीय वन वृत्तों के मुख्य वन संरक्षक, 11 अनुसंधान एवं विस्तार वृत्तों के मुख्य वन संरक्षक, 64 क्षेत्रीय वनमण्डलाधिकारी राष्टीय उद्यानों के क्षेत्र संचालक/संचालक बोर्ड के पदेन क्षेत्रीय महाप्रबंधक और 9 राष्टीय उद्यानों के संचालक एवं उप संचालक बोर्ड के पदेन अधिकारी हैं।

;kstuk & बोर्ड द्वारा प्रदेश में भारत सरकार, पर्यटन मंत्रालय की गंतव्य स्थल विकास योजना के अंतर्गत निर्धारित दिशा–निर्देशो के अनुरुप वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु के लिए 14 DPRs क्‍िकरु,केरवा, मैहर, मदर महल,तिलक सिंदूर, सलकनपुर कठौतिया, तवा, गांगुलपारा, चीकलपानी, बिलखिरिया, तामिया कोलार एवं अमरकंटकक्रतैयार कर वन विभाग एवं म.प्र. राज्य पर्यटन विकास निगम को प्रेषित किए गए है, जिनमें मे 9 DPRs पर्यटन विभाग म0प्र0 शासन के माध्यम से पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार को भेजने जा चुके है । साथ ही 13वे वित्त आयोग के अंतर्गत स्वीकृत राशि रु. 5 करोड़ से 5 गंतव्य स्थल क्‍िकरु ,केरवा, कठौतिया, दौलतपुर एवं बरगी हिल्सक्रमें ईकोपर्यटन अधोसंरचनाओं एवं गतिविधियों के विकास के लिए टेण्डर कार्यवाही की जा रही है। बोर्ड द्वारा पर्यावरण एवं उसके महत्वपूर्ण घटक तथा गंतव्य स्थलों के ऐतिहासिक एवं प्राकृतिक महत्व को रेखांकित करते हुए पर्यटको में पर्यावरण संरक्षण की भावना जागृत करने के लिए 3 स्थलों रिलामंडल, मदन एवं जार्ज कैसल–शिवपुरी में क्र प्रकृति व्याख्या केन्द्रों का विकास किया जा रहा है।

प्रदेश में नौकायन एवं साईकिलिंग को ईकोपर्यटन गतिविधि के रुप में संस्थागत करने की कार्यवाही बोर्ड द्वारा की जा रही है । इसी तारतम्य में बोर्ड द्वारां 11 गंतव्य स्थलों िकेरवा –भोपाल, राजघाट– मुरैना, सख्या सागर – शिवपुरी, गांगुलपारा – बालाघाट, चिड़ीखोह – राजगढ़ , मड़ई –होशंगाबाद, पुरतल–रायसेन, झांझर–बुरहानपुर, रुखड़–सिवनी,रातापानी जलाशय–रायसेन एवं बरगोंदा रोपणी–इंदौर क्र पर नौकायन िBoatingक्र एवं गंतव्य स्थलों रिलामंडल,वन विहार,देलावाड़ी एवं चिड़ीखो क्रमें साईकिलिंग गतिविधि सफलतापूर्वक संचालित की जा रही है। इसे और अधिक लोकप्रिय बनाने हेतु क्षेत्रीय अधिकारियों के प्रस्ताव अनुसार बोटिंग एवं साईकिलिंग प्लान भी तैयार किया गया है।

vk;kstu &बोर्ड द्वारा ''मध्यप्रदेश की नैसर्गिक धरोहर'' विषय पर छायाचित्र प्रदर्शनी का आयोजन दिनांक 20 से 22 मई 2011 को किया गया । विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर स्कूल विद्यार्थियो हेतु एक चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन वन विहार राष्टीय उद्यान में कराया गया । बोर्ड द्वारा प्रदेश के विभिन्न स्थलों के स्थानीय कलाकारों द्वारा निर्मित किए जा रहे स्थानीय उत्पादों के प्रदर्शन एवं राष्टीय डिजाईन संस्थान, अहमदाबाद के विषय विशेषज्ञो के मार्गदर्शन में उनकी कला को निखारने हेतु एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन दिनांक 11. 07.2011 को आयोजित किया गया । बोर्ड द्वारा स्थापना दिवस को ''ईकोपर्यटन दिवस'' के रुप

में मनाते हुए इस दिन ईकोपर्यटन को बढ़ावा देने हेतु विभिन्न पणधारियों को ईकोटूरिज्म अवार्ड भी प्रदान किए गए।

बोर्ड द्वारा विभिन्न अवसरों पर विशिष्ट आयोजन किये जाते हैं जिसमें साहसिक ीड़ाएं, पक्षी दर्शन, मोगली बाल उत्सव में सहभागिता , प्रकृति के फिल्म फेस्टिवल, नेचर कैम्प, चित्रकला, राष्टीय और अंतर्राष्टीय पर्यटन मेलों में सहभागिता एवं वन्यप्राणी सप्ताह के आयोजन है। बोर्ड द्वारा जन सामान्य में जागरुकता के लिए विज्ञापन प्रकाशित किये जाते।

ipkj ilkj ¼&बोर्ड द्वारा फिल्म निर्माण, पुस्तिकाएं एवं ब्रोशर प्रकाशन, इलेक्टानिक मीडिया द्वारा स्क्रोल इत्यादि, रेडियो जिंगल्स एवं ईको कैम्प कार्यक्रम के माध्यम से प्रकृति संरक्षण का प्रचार–प्रसार किया जाता है। बोर्ड द्वारा विभिन्न गंतव्य स्थलों के समुचित प्रचार–प्रसार के लिए बैतूल वन विहार, देलावाड़ी जंगल कैम्प तथा अन्य गंतव्य स्थलों पर आधारित 11 लघु फिल्मों का निर्माण भी कराया गया है। इसके अतिरिक्त बोर्ड की गतिविधियों के प्रचार–प्रसार हेतु अंतराष्टीय हर्बल मेला 2011 में प्रदर्शनी भी लगाई गई।

uhfr ¼&मध्य प्रदेश राज्य की वन नीति, 2005 में बिंदु . 3.16 पर ईकोपर्यटन को सम्मिलित किया गया है। प्रदेश की पर्यटन नीति, 2010 में भी ईकोपर्यटन सम्मिलित है। मध्यप्रदेश ईकोपर्यटन विकास बोर्ड द्वारा ईकोपर्यटन नीति का प्रारुप तैयार किया गया है, जिसे पृथक से जारी करने हेतु कार्यवाही की जा रही है।

{kerk fodkl ¼&बोर्ड द्वारा क्षमता विकास में बोर्ड द्वारा वनाधिकारी का विषय प्रशिक्षण,गाईड,बोटमैन, वन विश्राम गृह खानसामा/चौकीदार, महिला स्व सहायता समूह की महिलाओं आदि का प्रशिक्षण किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त विकसित किए जा रहे गंतव्य स्थलों पर सर्विस प्रोवाइडर हेतु इच्छुक स्थानीय युवकों का चयन कर उन्हें विभिन्न विषयों जैसे गाइड, नाविक, साहसिक ीड़ा एवं आतिथ्य सत्कार इत्यादि का प्रारंभिक एवं अग्रिम प्रशिक्षण विभिन्न संस्थानों एवं विषय विशेषज्ञों के माध्यम से दिया जा रहा है।

futh iwath fuos'k ¼& बोर्ड द्वारा अर्निया, देवास में निजी पूंजी निवेश की सहभागिता से ईकोपर्यटन विकास हेतु निविदा की कार्यवाही पूर्ण कर सफल निविदाकर्ता द्वारा क्षेत्र में ईकोपर्यटन विकास कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। बीहर, रीवा एवं स्मृति वन– भोपाल में निजी पूंजी निवेश की सहभागिता से ईकोपर्यटन विकास हेतु निविदा जारी की गई है। इसके अतिरिक्त निजी पूंजी निवेश के माध्यम से विकसित किये जाने हेतु बोर्ड द्वारा 19 गंतव्य स्थलों दौलतपुर–देवास, केरवा –भोपाल, स्मृति वन–भोपाल, सापना–बैतूल, तवा–होशंगाबाद, सेसईपुरा– श्योपुर, बीहर–रीवा, ,पातालपानी–इन्दौर, नर्मदा हर्बल पार्क–होशंगाबाद, भौंरा –बैतूल, करबला –शिवपुरी, घुघुवा रा.उ.–डिण्डोरी, गंज बसारी–छतरपुर, भेड़ाघाट – जबलपुर, जोझा–शहडोल, ग्वालबेल–बड़वानी, जामद ईकोपार्क–रतलाम, एवं उदयगिरी–विदिशा, क्र का चयन किया गया है। इनमें से प्रथम 7 गंतव्य स्थलों के लिए कंसल्टेंसी हेतु प्रस्ताव तैयार कर पी.पी.पी. सेल को प्रेषित किये जा चुके है। इस प्रकार बोर्ड प्रदेश के विकास की दिशा में प्राकृतिक संसाधनों की भव्यता के विपणन में प्रयत्नशील है।

xzkeh.kksa ds fy, fd;s tk jgs mRFkku dk;Z ¼& बोर्ड द्वारा चिहिन्त ईकोपर्यटन गंतव्य स्थलों के समीप स्थित इच्छुक ग्रामीणों के स्व सहायता समूह निर्मित कर उन्हें विभिन्न ईकोपर्यटन गतिविधियों गिाइड,साहसिक कीड़, आतिथ्य सत्कार, कैम्प प्रबंधन, लोक कला आदिक्र में संलग्न कर रोजगार उपलब्ध कराये जाने की योजना हैं। इस संबंध में विस्तृत प्रस्ताव तैयार कर मध्यप्रदेश शासन, ग्रामीण विकास विभाग को प्रेषित किया गया है। इसके अतिरिक्त गंतव्य स्थलों के समीप निवास करने वाले विभिन्न जनजाति समुदायों को ईकोपर्यटन के माध्यम से आजीविका सुनिश्चित करने के लिए उनके अभिलेखीकरण एवं प्रशिक्षण संबंधी प्रस्ताव मध्यप्रदेश शासन, आदिम जाति कल्याण विभाग को प्रेषित किया गया है।

&&&&&&&